लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

[खंड 52 में अंक 21 से 30 तक हैं]
Vol. LII contains Nos. 21 to 30

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक 24—सोमवार, 21 मार्च, 1966/30 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 24—Monday, March 21, 1966/Phalguna 30, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
653	व्यापार तथा हथियारों के मामले में पुर्तगाल का बहिष्कार	Trade and Arms Bycott against Portugal	5151–53
654	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund . .	5153–54
655	भारत को हथियार देने पर रोक	Embargo on Arm Supplies to India	5155–59
656	संयक्त राज्य अमरीका सूचना सेवा का अधिकारी	Officer of U.S.I.S. . . .	5159–60
657	दिल्ली में जवानों के स्मारक	Memorial for Jawans in Delhi .	5161–63
658	एशिया में संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र	Collective Security area in Asia	5163–65
659	अखबारी कागज सम्बन्धी स्थिति	Newsprint Situation . . .	5166–67
661	शंघाई से भारतीय लोगों का स्वदेश लौटाया जाना	Repatriation of Indians from Shanghai	5167–68
662	राजस्थान के ऊपर अ ात विमान	Unidentified Plane over Rajasthan	5169

प्रश्नों के लिखित उत्तरWRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
660	विदेशों में प्रचार	External Publicity . . .	5169–70
663	राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये धन संग्रह	National Defence Fund Collections	5170
665	भारतीय तथा पाकिस्तानी उच्चायोगों द्वारा कार्य आरम्भ करना	Functioning of Indian and Pakistan High Commissions . .	5170
666	सीमा पार के चरागाह	Trans-Border Pastures . .	5171
667	नागाओं तथा शान्ति मिशन के प्रतिनिधियों की समिति	Committee of Representatives of Nagas and Peace Mission .	5171
668	वैदेशिक-कार्य मंत्री की भूटान यात्रा	Foreign Minister's visit to Bhutan	5172
669	आकाशवाणी से संस्कृत में समाचार	Radio News in Sanskrit . .	5172
670	बर्मा में रोके गये भारतीय उद्भव के व्यक्ति	Persons of Indian Origin Detained in Burma	5172

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सद य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—40 L. S./65

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
671	केनिया में भारतीय	ndians in Kenya . . .	5173
672	भारतीय पत्रकारों को पाकिस्तान द्वारा वीसा न दिया जाना	Pak. Refusal to give Visas to Indian Journalists	5173
673	जवानों को उपहार स्वरूप दी गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तराधिकार नियम	Succession Rules regarding Gifted Property to Jawans . .	5173–74
674	संयुक्त समाजवादी दल के नेताओं द्वारा आकाशवाणी से भाषण	Broadcast by S.S.P. Leaders .	5174
675	जातीय भेदभाव सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय	International Convention on Racial Discrimination . .	5174
676	पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन	Cease Fire Violations by Pakistan	5175
678	संयुक्त राष्ट्र वित्त सम्बन्धी समिति	Committee on U.N. Finances .	5175
679	पेकिंग से विरोध पत्र	Protest Note from Peking . .	5175–76
680	समाचारपत्र उद्योग में एकाधिकार	Monopoly in Newspaper Industry	5176
681	घाना में सैनिक क्रान्ति	Coup Detat in Ghana .	5176–77
682	बैलून टायर	Balloon Tyres . .	5177

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.			
2477	जवानों के परिवारों को सहायता	Benefits to Families of Jawans .	5177
2479	फिल्मों को राज्य पुरस्कार देने सम्बन्धी नियम	Rules for State Award to Films	5177
2480	एक चीनी कारपोरल पकड़ा जाना	Capture of a Chinese Corporal .	5178
2481	राणा प्रताप सागर परमाणु बिजलीघर (राजस्थान)	Rana Pratap Sagar Atomic Power Station (Rajasthan) . .	5178
2482	सस्ते रेडियो	Cheap Radio Sets	5178–79
2483	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये आवास बस्ती	Housing Colony for Defence Personnel	5179
2484	पाकिस्तानी नागरिकों का भारत आगमन	Visit of Pak. Nationals to India .	5179
2485	दिवाकर समिति का प्रतिवेदन	Diwakar Committee Report	5179–80
2486	आकाशवाणी कार्यक्रम	A.I.R. Programmes . .	5180
2487	आकाशवाणी के लखनऊ और वाराणसी केन्द्र	A.I.R. Stations at Lucknow and Varanasi	5180
2488	पाकिस्तान आक्रमण के सम्बन्ध में फिल्म	Films on Pakistani Attack .	5180–81
2489	मैसूर में आकाशवाणी का रिले केन्द्र	Air Relaying Station at Mysore .	5181

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2490	रेडियो स्टेशनों की संख्या में वृद्धि	Increase in number of Radio Stations	5181
2491	आकाशवाणी केन्द्र, कटक	A.I.R. Station, Cuttack . .	5181–82
2492	भुवनेश्वर स्थित सैनिक स्कूल	Sainik School at Bhubaneshwar .	5182
2493	राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के विद्यार्थी	N.C.C. Students .	5182–83
2494	आजाद हिन्द फौज के सैनिक	I.N.A. Personnel . . .	5183
2495	पाकिस्तानी राजनयिकों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Pakistani Diplomats	5183
2496	चीन से विरोध पत्र	Protest Note from China . .	5184
2497	दिल्ली नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये एकत्रित धन	National Defence Fund collection by D.M.C.	5184
2498	आनन्दपुर साहिब में सैनिक प्रशिक्षण स्कूल	Military Training School at Anandpur Sahib . . .	5184
2499	भारत और जापान के बीच विचार-विमर्श हेतु बैठकें	Consultative Meetings between India and Japan . . .	5185
2500	काश्मीर युद्ध से शिक्षा	Lessons from War in Kashmir .	5185
2501	सैनिक सामान देने के बारे में पाकिस्तान के साथ सउदी अरब का समझौता	Saudi Arabia's deal with Pakistan to share Military equipment .	5186
2502	पदारी श्री माइकल स्काट से पत्र	Letter from Rev. Michael Scott .	5186
2503	भारत तथा इजराइल के बीच सैनिक सहयोग	Military Cooperation between India and Israel . . .	5186–87
2504	आसूचना (इंटेलीजेंसी) व्यवस्था	Intelligence System . . .	5187
2505	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन	Defence Production in Public and Private Sectors . . .	5187–88
2506	सीरिया की नई सरकार की मान्यता	Recognition of new regime in Syria	5188
2507	श्री ननकाना साहेब का प्रबन्ध	Management of Shri Nankana Sahib	5188
2508	आकाशवाणी के ग्वालियर केन्द्र में तीसरी और चौथी श्रेणी के पद	Class III and IV Posts in A.I.R. Station, Gwalior . . .	5189
2509	भोपाल स्थित आकाशवाणी केन्द्र के कर्मचारियों के लिये किराया	Rent for Employees of A.I.R. at Bhopal	5189–90
2510	विज्ञापन नीति	Advertisement Policy. . .	5190
2511	मध्यम तरंग ट्रांसमिटरों का निर्माण	Manufacture of Medium-Wave Transmitters . . .	5190–91
2513	हैदराबाद में इलेक्ट्रोनिक्स कारखाना	Electronics Plant at Hyderabad .	5191

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2514	भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान कब्जा किये गये माल की वापसी	Return of Goods Captured during Indo-Pak. Conflict . .	5191
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—		Committee on Public Undertakings—	
	चौदहवां प्रतिवेदन	Fourteenth Report . .	5191
अनुदानों की अपुनूरक मांगें (सामान्य), 1965-66—		Demands for Supplementary Grants (General) 1965-66—	
	श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta .	5192
	श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat . .	5192–93
सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) संशोधन विधेयक, 1966—		Armed Forces (Special Powers) Amendment Bill, 1966—	
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	5195–96, 5202–05
	श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	5196–97
	श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	5197
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	5197–98
	श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma .	5198–99
	श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav .	5199
	श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma .	5199–5200
	श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	5200–01
	श्री प्र० चं० बरुआ	Shri P. C. Borooah . .	5201
	श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	5201
	श्री बसुमतारी	Shri Basumatari . . .	5201–02
	श्रीमती रेणुका बड़कटकी	Shrimati Renuka Badkataki .	5202
खण्ड 2 से 4 और 1		Clauses 2 to 4 and 1	5205–06
	पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	5206
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1966-67 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रलवे), 1965-66—		Demands for Grants (Railways), 1966-67 and Demands for Supplementary Grants (Railways), 1965-66—	
	श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo .	5208
	श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda .	5209
	श्री वारियर	Shri Warior .	5209–11
	श्री व० ब० गांधी	Shri V. B. Gandhi	5211–12
	श्री अ० सि० सहगल	Shri A. S. Saigal	5212
	श्री बड़े	Shri Bade .	5231

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री भंजदेव	Shri L. N. Bhanja Deo .	5231-32
श्री मुथिया	Shri Muthiah . . .	5232-34
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta . .	5234
श्री मणियंगाडन	Shri Maniyangadan . .	5237-38
श्री अ० शं० अल्वा	Shri A. S. Alva . . .	5239
अधिवक्ता अधिनियम की कार्यान्विति का पुनरीक्षण करने वाली समिति के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Committee to review working of Advocates Act—	
श्री च० रा० पट्टाभिरामन	Shri C. R. Pattabhi Raman .	5234
भाषा के आधार पर पंजाब के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य—	Statement re : Reorganisation of Punjab on Linguistic Basis—	
श्री नन्दा	Shri Nanda . . .	5235

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 21 मार्च, 1966/30 फाल्गुन, 1887 (शक)
Monday, March 21, 1966/Phalguna, 30, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

व्यापार तथा हथियारों के मामले में पुर्तगाल का बहिष्कार

+

***653. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सदस्य राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उस प्रस्ताव के अनुपालन में क्या कार्यवाही की है, जिसमें यह मांग की गयी थी कि व्यापार तथा हथियारों के मामले में पुतगाल का बहिष्कार किया जाये, ताकि उसे अपने अफ्रीकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने के लिये बाध्य किया जा सके ; और

(ख) क्या इस मामले में कोई और पहल करने का भारत का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार ने पुर्तगाल की उपनिवेशी नीति का सदा तीव्र विरोध किया है और इन प्रदेशों के लोगों को, स्वतंत्रता और स्वाधीनता के उनके वैध संघर्ष में, हर तरह की सहायता दी है। भारत सरकार ने सितंबर 1955 से ही पुर्तगाल के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका में पुर्तगाल के उपनिवेश प्रदेशों को जल्दी स्वतंत्रता और स्वाधीन कराने के उद्देश्य से जो प्रस्ताव पास किए हैं, भारत उन पर सदा कार्रवाई करता रहा है। किंतु, कई देशों के अब भी पुर्तगाल के साथ राजनयिक और वाणिज्यिक संबंध है।

(ख) भारत सरकार पुर्तगाल के अधीनस्त उपनिवेश प्रदेशों को जल्दी से जल्दी स्वतंत्र कराने की दिशा में, संयुक्त राष्ट्र में और उसके बाहर भी, सदा सहायता करने को तैयार है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी : व्यापार के मामले में पुर्तगाल को बहिष्कार कराने के लिये क्या विशष कार्यवाही की गई है ताकि उस पर विभिन्न उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने के लिये दबाव डाला जा सके और विशेषतया क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या इस बात में कुछ तथ्य है कि हाल में भारत का उपनिवेशवादी विरोधी रवैया कुछ नर्म हो गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत सरकार ने हर प्रकार के उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिये हमेशा दृढ़ एवं स्पष्ट नीति का अनुसरण किया है और इस नीति के विरुद्ध जो भी कहा जाता है उसमें कोई तथ्य नहीं है। प्रश्न के पहले भाग के बारे में कि क्या विशेष कदम उठाये गये हैं, हमने पुर्तगाल से हर प्रकार के संबंध तोड़ लिये हैं । संयुक्त राष्ट्र महा सभा में तथा उसकी समितियों में हमने तत्संबंधी सब कार्यवाइयों का समर्थन किया है तथा उन देशों पर दबाव डाला है जिन के किसी न किसी रूप में पुर्तगाल के साथ व्यापार सम्बन्ध कायम हैं। हमने आगे यह सुझाव दिया है कि पुर्तगाल को हथियारों की सप्लाई पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी : संयुक्त राष्ट्र संघ के उपनिवेशवाद विरोधी अभियान को मजबूत करने के लिये भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : हर प्रकार के हथियारों की सप्लाई पर प्रभावी प्रतिबन्ध तथा आर्थिक संबंधों को तोड़ना काफी शक्ति प्रदान करना है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have pressurised the Commonwealth Countries also in this regard and have they tried to know U.K.'s attitude?

Shri Swaran Singh : Generally matters relating to Commonwealth Countries are discussed in the Conference of Commonwealth Countries. This matter relates to Portugal and as such it is not discussed in the Commonwealth Prime Ministers' Conference. However, the representatives of African and Asian Countries who meet there discuss this issue and try to exert pressure.

Shri Yashpal Singh : Have they tried to know U.K.'s attitude?

Shri Swaran Singh : The attitude of the Great Britain in colonial matters is well known. There are still certain British Colonies and we are as much against the policy of British Colonialism as we are against the Portuguse Colonialism.

श्री कपूर सिंह : गोआ को पुर्तगाल से स्वतंत्र कराने के बाद पुर्तगाल ने भारत तथा भारतवासियों के विरुद्ध क्या प्रतिशोधात्मक कार्यवाही की है ?

श्री स्वर्ण सिंह: गोआ का भारत में विलय करने से पहले भी उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमारा रवैया स्पष्ट था तथा हम पुर्तगाल के उपनिवेशवाद का विरोध करते रहे हैं। पुर्तगाल हमेशा हमसे नाखुश रहा है तथा गोआ का विलय करने से पहले भी वह भारत की आलोचना करने का प्रयत्न करता रहा है। गोआ का विलय करने के बाद पुर्तगाल की भाषा और अधिक सख्त हो गई है।

Shri Sidheshwar Prasad : May I know the names of those Commonwealth Countries which are still maintaining relations with Portugal and what efforts have been made by the Government of India to change their attitude and how far they have succeeded in their efforts?

श्री स्वर्ण सिंह : इस औपनिवेशिक प्रश्न पर बहुमत उपनिवेशों के निवासियों के पक्ष में ही है कि वे लोग स्वतंत्रता प्राप्त कर लें और इसके बारे में पुर्तगाल का कोई ही समर्थक होगा और वह अपनी इस उपनिवेशवादी नीति पर अड़ा हुआ है, हालांकि विश्व के लोग एक मत से इसके विरुद्ध हैं।

श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या सरकार को मालूम है कि कौन कौन स देशों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के समर्थन में कार्यवाही की है तथा कौन कौन से देशों ने इसके समर्थन में कार्यवाही नहीं की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : अधिकतर देशों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह सच है कि कुछ देशों ने उन सिफारिशों पर पूर्ण रूप से कायवाही नहीं की है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि कुछ पाश्चात्य राष्ट्रों ने व्यापार तथा हथियारों के मामले में पुर्तगाल का बहिष्कार करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव का सक्रिय रूप से उल्लंघन किया है, और यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि वे राष्ट्र कौन कौन से है तथा भारत सरकार ने इस संबंध में दुतरफा अथवा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से क्या कार्यवाही की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से हमने अपने विचार दृढ़तापूर्वक एवं स्पष्ट शब्दों में उनके सामने रखे हैं।

National Defence Fund

+

***654. Shri Jagdev Singh Siddhanti :**

Shri Prakash Vir Shastri :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the **Prime Minster** be pleased to state :

(a) Whether Government have under consideration any new schemes to utilise the collections received so far in the National Defence Fund;

(b) whether there is any scheme to reward the State in any form which has made the largest contribution to the National Defence Fund; and

(c) whether any complaints or difficulties as were experienced in the collections for the National Defence Fund during the Chinese invasion have been heard of this time?

The Parliamentary Secretary to the Prime Minister (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) From time to time the Executive Committee consider proposals from the Ministry [illegible] nd her organisations for the utilisation of the Fund. No proposal [illegible] ent awaiting consideration.

(b) & (c). No, Sir.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : What percentage of collections in the National Defence Fund, whether in the form of currency or in any other form, has been earmarked for the purchase of arms for defence purposes?

अध्यक्ष महोदय : कितना तिशत भाग वास्तव में आवंटित किया गया है ?

डा० सरोजिनी महिषी : 28 फरवरी तक कुल 75.60 करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 27.27 करोड़ रुपये का उपयोग प्रतिरक्षा उपकरण खरीदने के लिये किया गया है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Government state the amount contributed by the farmers and by the shopkeepers in the National Defence Fund separately?

Mr. Speaker : Are you in a position to indicate that?

डा० सरोजिनी महिषी : जी, नहीं।

श्री रामानाथन चेट्टियार : स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह मत व्यक्त किया था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय रक्षा कोष में 3 पैसे जमा करे तो बहुत बड़ी राशि इकट्ठी हो जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरीके से राष्ट्रीय रक्षा कोष में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

अध्यक्ष महोदय : इसका संबंध नये सिरे से धन जमा करने से है, जबकि यह प्रश्न पुराने जमा धन के उपयोग के बारे में है।

श्री बासप्पा : क्या वर्तमान प्रधान मंत्री ने पद संभालने के बाद देश की स्त्रियों से, जिन के पास काफी मात्रा में सोना है, राष्ट्रीय रक्षा कोष में सोना जमा करने की नई अपील की है, और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भिन्न है।

Shri Kashi Ram Gupta : May I know whether Government are aware that the Governments of Rajasthan and Madhya Pradesh have mobilised their Governmental machinery, especially the sales tax officers for collecting funds for the National Defence Fund after Pakistani agression, and thereby the people, specially the villagers have to face difficulties?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : We have written to all the States more than once that no pressure should be exerted in this regard.

Shri Kashi Ram Gupta : My question was whether the Government are aware that the Governments of Rajasthan and Madhya Pradesh have mobilised their Governmental machinery and especially the sales tax officers for collecting funds for the National Defence Fund?

Shrimati Indira Gandhi : I have no such information.

Shri Gulshan : May I know whether it is a fact that during the Chinese and Pakistani agressions the Punjab had contributed the largest amount in the National Defence Fund in comparison to any other State and during Pakistan's agression the Punjab had to suffer most and if so, whether Punjab will be rewarded in any way by the Government?

Shrimati Indira Gandhi : This is a different question.

Mr. Speaker : Next question. Shri Madhu Limaye.

भारत को हथियार देने पर रोक

+

*655. श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हम्मितसिंहका :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री धर्मलिंगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री हेमराज :
श्री मौर्य :
श्री राम हरख यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मुरली मनोहर :
श्री बसुमतारी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 29 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 530 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों ने भारत को सैनिक सामान के निर्यात करने पर लगाई गई रोक हटा ली है ;

(ख) क्या ब्रिटिश सरकार तथा अन्य सरकारों ने भारत को युद्ध सामग्री का निर्यात करने के लिये लाइसेंस जारी करने आरम्भ कर दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन देशों द्वारा भारत को यह सामान अबाध रूप से देते रहने के लिये कोई पक्की गारन्टी मांगी गई अथवा दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग) : इस विषय में विस्तृत सूचना देना लोकहित में नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : Have the Government conducted talks with these Western powers as to what should be the criterion for arms aid, that is, whether it should be available for safeguarding Government against internal uprising, or for use against the friendly countries who may use it for any purpose or for building a new world order?

श्री अ० म० थामस : इस मामले पर समय समय पर विचार किया गया है । इस प्रश्न को दो दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिये । एक तो देश के हित का दृष्टिकोण है और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि उन देशों की भावनाओं को ध्यान रखना है जो हमें हथियार देते हैं । सभा इस बात से सहमत होगी कि देश के हित को देखते हुए, आवश्यक सामान लाने तथा उसके स्त्रोत के संबन्ध में प्रचार नहीं किया जाना चाहिये। जो देश हमें हथियार देते हैं, उनकी अपनी राजनीतिक कठिनाइयां तथा भावनाएं हैं, जिनका हमें आदर करना होगा । फिर भी मैं सभा को यह सूचित करता हूं कि अमरीका तथा ब्रिटेन सहायता के मुख्य स्रोत हैं । जहां तक ब्रिटन का सम्बन्ध है,

अभी हाल में हमें सूचना मिली है कि उन्हों ने सैनिक सामान के भेजने पर लगाये गये प्रतिबंध को हटा लिया है । अमरीका सरकार ने सूचित किया है कि नकद और उधार के आधार पर अघातक साज-सामान की सप्लाई कुछ चुनींदा सामान के सम्बन्ध में ज़ारी की जायेगी ।

Shri Madhu Limaye : Perhaps the honourable Minister has not followed my question. I have not asked for any secret information. If you kindly make him follow my question, he might be able to give a reply.

Mr. Speaker : And if I also do not happen to follow it?

Shri Madhu Limaye : If you have also not followed it then I shall have to repeat the question. I want to know whether the Govt. had any talk with those foreign powers which are giving arms aid about the criterion for the supply of such arms, that is, whether they are giving it for use against internal rebellion or they are giving it to their friends or for building a new world order?

श्री अ० म० थामस : हमने ब्रिटिश तथा अमरीकी सरकारों से कहा है कि आक्रमक देश तथा उस देश को जिस पर आक्रमण किया गया हो, बराबरी का दर्जा न दिया जाये । हमने इसके बारे में उन सब सरकारों को सूचित कर दिया है जो हमें हथियार सप्लाई कर रही है । इसके अतिरिक्त, हमारे हथियार मुख्यत: ब्रिटेन में बने हुए हैं । अत: यदि ब्रिटेन से आने वाले हथियारों तथा पुर्ज़ों की सप्लाई बन्द हो जायेगी तो हमारे देश के लिये इसका बुरा परिणाम निकलेगा । अत: हमने इस मामले पर बातचीत शुरू की है और जैसा कि मैं ने कहा है, ब्रिटिश सरकार ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने सनिक सामान की सप्लाई पर लगाये गये प्रतिबंध को उठा लिया है ।

Shri Madhu Limaye : Have the Government drawn attention of the foreign powers to the adverse consequences of not adhering to the basic principles, namely, arms were supplied to Indonesia for protection of communism but they were used against the communists themselves and the arms given to Paksitan for protection of democracy were used against the world's greatest democracy? Has the attention of those powers been drawn to the adverse consequences resulting from indifference to the basic principles?

श्री अ० म० थामस : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को भली भांति समझता हूं । निस्संदेह, किसी हद तक कि इससे देश की चिन्ता व्यक्त होती है । हमने इस पहलू के बारे में सम्बद्ध देशों को अवगत करा दिया है ।

Shri Kishen Pattanayak : Since India resorts to fighting only when attacked on by some country and since foreign aid is stopped at the time of an attack in India, are the Government establishing such contacts with certain countries that in the event of an attack on India they do not keep silent but continue their help? If so, what are the names of those countries?

श्री अ० म० थामस : मैं सभा से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात पर विचार करे कि वतमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार के प्रश्न न करना ही उचित होगा । आजकल कुछ नाजुक वार्तायें चल रही हैं । अत: ऐसे प्रश्न न करना ही उचित होगा ।

Shri Kishen Pattanayak : Has the honourable Minister stated the truth? What is the hitch in telling the names?

Mr. Speaker : That is correct. It is difficult for him to tell the names.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : U.S.A., Britain and other countries had stopped arms aid to us at the time of the last Indo-Pakistan conflict. The honourable Minister syas that Britain has now lifted the restrictions. Are we getting supplies according to the agreement that had been entered into?

श्री अ० म० थामस : अनक करार हुए हैं । जब तक उस विशेष करार के बारे में जिसका उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं, कुछ और जानकारी न दी जाये, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Supplies of arms were stopped right when our country was fighting. Do the Government propose to achieve self-sufficiency in arms so that in such circumstances we may not have to depend upon foreign countries for arms aid and instead we may use the arms manufactured in our own country?

श्री अ० म० थामस : श्रीमन्, हमारा यही प्रयत्न है कि जहां तक सम्भव हो हम स्वावलम्बी हो जायें जैसा कि सभा को पता है आत्मनिर्भरता के सम्बन्ध में नये नारों को हमने ध्यान में रखा है ।

श्री रा० बरुआ : क्या सैनिक सामान की सप्लाई भारत-पाक मैत्री पर निर्भर करती है ?

श्री अ० म० थामस : ब्रिटिश सरकार ने सूचित किया है कि अब चूंकि दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को 5 अगस्त वाली रेखा तक पीछे हटा लिया है, वह उस प्रकार के हथियारों तथा गोलाबारुद की सप्लाई पुनः आरम्भ कर रही है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : पिछले सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया था कि हमने लगभग 70 लाख स्टर्लिंग पाउंड का प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान मंगाने के लिये आर्डर दिया था जिसको सप्लाई करने के लिये ब्रिटिश सरकार ने लाइसेंस दे दिया था परन्तु उसमें से केवल 5 लाख स्टर्लिंग पाउंड का सामान ही सप्लाई किया गया था । माननीय मंत्री ने अभी अभी कहा हैं कि ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध उठा लिया है । अब तक कितना सामान सप्लाई किया जा चुका है तथा कुल सप्लाई कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री अ० म० थामस : उस प्रश्न का उत्तर सम्भरण तथा तकनीकी विकास मंत्री ने दिया था । उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिये थे । नवीनतम स्थिति के बारे में मुझे पता नहीं है । इस सम्बन्ध में सम्भरण मंत्रालय से पुछा जाये । हमारे पास इतनी ही सामान्य जानकारी है और विस्तृत ब्योरा अभी तय करना है कि क्या लाइसेंस व्यवस्था रहेगी अथवा नहीं । इन सब बातों के बारे में अभी निश्चय करना है ।

Shri Sidheshwar Prasad : It is not a secret that Britain and the U.S.A. did not give us any arms aid during Pakistani attack on India. Even now they are evading supply of arms and spares. Hence, is there any research being made regarding possibility of manufacturing arms in our country in order to achieve self-sufficiency? If so, are the Government taking necessary steps to remove foreign exchange difficulties, if any?

श्री अ० म० थामस : मैंने पहले ही कहा है कि इन देशों के कठोर रुख में काफ़ी नर्मी आ गई है । हमारा यह प्रयत्न है कि हम जितना अधिक आत्मनिभर हो सक हों जायें और इसक लिये हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : My question relates to arms, in the wider, universal sense—it is not confined to India and I hope you will kindly help me get its reply. Have the Indian Government ever discussed with those countries who supply arms, the wider question as to how, when and to whom the arms are to be supplied, because the arms supplied to different countries by Communist countries have been used against communism, as in Indonesia?

Mr. Speaker : This question has been asked before by Shri Madhu Limaye.

Dr. Ram Manohar Lohia : But the honourable Minister is not answering it. Kindly get a reply from him. Please listen to the basic things. The same thing happened in regard to India also.

Mr. Speaker : The basic things have been heard. Now please let him reply.

Dr. Ram Manohar Lohia : Please listen to me; perhaps he may not be able to follow me. Will the U.S.S.R. and the U.S.A. consider whether those arms are used to encourage or discourage the trend of natural development in the world, especially in Asia?

Mr. Speaker : Should the Government of India answer whether the U.S.S.R. or the U.S.A. would consider that matter or not?

Dr. Ram Mahohar Lohia : Do we not take arms from them and do they also not supply arms to others?

Mr. Speaker : How can the Government of India say anything as to whether they will consider that matter or not?

Dr. Ram Manohar Lohia : Why can't the Government of India reply to it? Mr. Speaker, please do not evade this matter like this. When two countries negotiate.....

Mr. Speaker : Please do not argue with me.

Dr. Ram Manohar Lohia : With whom should I discuss it then? Please get me an answer to my question.

श्री अ० म० थामस : वास्तव में, श्रीमन् मेरे पास.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का स्पष्ट रूप यह है कि क्या भारत सरकार ने उन देशों से, जो हथियार देते हैं, इस बात पर बातचीत की है कि कुछ देशों को हथियारों की सहायता जिस उद्देश्य से दी जाती है, क्या वे उसका उपयोग उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये नहीं करते, बल्कि सहायता देने पर भी वह उद्देश्य असफल रहता है और क्या वे देश हथियारों की उस सहायता का किसी और उद्देश्य के लिये उपयोग करते हैं ?

श्री अ० म० थामस : जी, हां। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं प्रधान मंत्री ने दिया है। हमने पहले ही विभिन्न अवसरों पर सम्बद्ध देशों को इस पहलू से अवगत कराया है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, I again seek your help. The reply is very wrong. The Prime Minister was not aware of that.

श्री अ० म० थामस : हमने इस बात की ओर सम्बद्ध देशों का ध्यान दिलाया है।

श्री बसुमतारी : क्या भारत को हथियार तथा गोलाबारुद किन्हीं शर्तों पर दिये जाते हैं अथवा हम इस सामान को कहीं भी और जिस प्रकार चाहें उपयोग में ला सकते हैं ?

श्री अ० म० थामस : मैंने कहा है कि मेरे पास सामान्य जानकारी है । मैंने यह भी बतलाया है कि अधिक विस्तार में उत्तर देना लोकहित में नहीं है ।

संयुक्त राज्य अमरीका सूचना सेवा का अधिकारी

+

*656. **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में संयुक्त राज्य अमरीका सूचना सेवा के अधिकारी ने कुछ छात्रों का अपमान किया था जो दिस्म्बर, 1965 के प्रथम सप्ताह में उसके द्वारा दी गई पार्टी में आमंत्रित किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी; कलकत्ता में अमरीकी सूचना सेवा के एक अधिकारी ने 3 दिसम्बर 1965 को विसकोन्सिन के एटौर्नी जनरल के सम्मान में, जो उस समय कलकत्ता में थे, अपने घर पर भोज दिया था और उसमें कुछ विद्यार्थियों को आंमत्रित किया था । जब मुख्य अतिथि बोल चुके और प्रश्नों का उत्तर दे चुके, तो आतिथेय ने एक भारतीय राष्ट्रिक से, जो अमरीकी सूचना सेवा ही में काम करता है और हाल ही में अमरीका की यात्रा करके आया है, अमरीका के अपने अनुभव सुनाने को कहा । यह भाषण स्पष्टत: कुछ लम्बा था और विद्यार्थियों ने उसमें रुचि नहीं ली और वे आपस में बातें करने लगे । चूंकी भाषण में बाधा उपस्थित हो रही थी इसलिए, आतिथेय ने संबद्ध विद्यार्थियों से चुप हो जाने को कहा । जब वे बातें करते रहे, तो उन्होंने उनसे कमरे से बाहर निकल जाने को कहा । इसके बाद आपस में कुछ कहा-सुनी हुई ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले की छानबीन की और इसका ब्यौरा भारत सरकार को बताया । इसके बाद विदेश मंत्रालय ने इस मामले को अमरीकी राजदूतावास के साथ उठाया और उसने विदेश मंत्रालय को यह आश्वासन दिया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर उसे स्वयं खद है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या इस सम्बन्ध में राजनयिक स्तर पर कोई बातचीत की गई थी और क्या उनके अधिकारी द्वारा अशिष्ट व्यवहार किये जाने के बारे में अमरीका सरकार को सूचना भेजी गई थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले बता चुका हूं कि मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अमरीकी दूतावास से बातचीत की थी और इस घटना के बारे में सूचित कर दिया था ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या उस अधिकारी ने, जिसने विद्यार्थियों को कमरा छोड़ने के लिये कहा था, कोई क्षमायाचना की थी अथवा नहीं ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैं कह चुका हूं जिस समय यह घटना हुई थी, दोनों पक्षों में कुछ गर्मा-गर्मी हो गई थी. . . . . यह मामला उस अधिकारी तथा अमरीकी दूतावास के वरिष्ठ अधकारियों के बीच का है ।

Shri Sidheshwar Prasad : From the proceedings of the West Bengal Vidhan Sabha published in the newspapers and the replies given to it by the West Bengal Government it appears that the American official abused the students and used abusive language against India. In these circumstances, why did the Government not make a strong protest and demand that the said American official be recalled back?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने जो सूचना दी है वह हमें पश्चिम बंगाल सरकार ने भेजी थी । यद्यपि इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार ने विचार किया था, फिर भी ऐसाकोई सुझाव, जसा की माननीय सदस्य ने दिया है, नहीं दिया गया था । कुछ सुझाव दिये गये थे परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने उनको स्वीकार नहीं किया ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has any reply been received to the note sent to the American Ambassador regarding the disgraceful treatment meted out to the students? If so, what have they said in their reply?

Mr. Speaker : He has already told this.

श्री स० चं० सामन्त : क्या आमंत्रित विद्यार्थियों को व्यक्तिश: बुलाया गया था अथवा उनको किन्हीं संघों की ओर से बुलाया गया था ? यदि संघों से बुलाया गया था तो उन संघों के नाम क्या हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे पास यह जानकारी नहीं हैं कि वे व्यक्तिश: बुलाये गये थे अथवा किन्हीं संघों से बुलाये गये थे ।

श्री सुबोध हंसदा : केन्द्रीय सरकार को इस मामले की जांच करने में क्या कठिनाई हो रही थी ? वह जांच पश्चिम बंगाल सरकार को क्यों सौंपी गई ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह घटना पश्चिम बंगाल सरकार के क्षेत्राधिकार में थी और उनकी जांच पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : मंत्री महोदय के कथन से यह स्पष्ट है कि भारत में अमरीकी सूचना विभाग के अधिकारी ने अवश्य ही बहुत बुरा व्यवहार किया, अन्यथा मामला इतना लंबा न होता । एसी परिस्थिति में सरकार ऐसा आग्रह क्यों नहीं करती कि इन लोगों को, जिनका दर्जा राजनयिक जैसा ही होता है, यह क्यों नहीं कहा जाता कि वे इस देश में अवांछनीय लोग हैं क्योंकि वह ऐसा व्यवहार करते हैं मानों यह देश उन्हीं का है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस मामले की सूचना अमरीकी दूतावास को भेजी गई थी और उन्होंने इस घटना पर खेद प्रकट किया था ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि उस अधिकारी को अमरीकी सरकार द्वारा वापस बुलाने का सुझाव क्यों नहीं दिया गया और उसको अमान्य व्यक्ति क्यों नहीं घोषित किया गया ?

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसी परिस्थितियों में, सम्बद्ध दूतावास को मामले के बारे में सूचित किया जाता है । जब तक कि मामला बहुत गम्भीर न हो, प्राय: हम किसी व्यक्ति को 'अमान्य व्यक्ति' घोषित नहीं करते ।

दिल्ली में जवानों के स्मारक

+

*657. श्री हेमराज :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 29 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 514 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना जीवन बलिदान करने वाले सशस्त्र सेनाओं के जवानों की स्मृति में दिल्ली में एक स्मारक बनाने की योजना को अंतिम रूप देने में इस बीच कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस के लिये कौनसा स्थान चुना गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : योजना अभी विचाराधीन है ।

श्री हेमराज : इस विषय पर कब से विचार हो रहा है और कब तक सरकार इस पर विचार करती रहेगी ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक प्रतिरक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध सेना अध्यक्ष ने धौला कुआं के पास एक स्थान चुन लिया है । वह भूमि निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय के अधीन है। हमने उस मंत्रालय को लिखा है ।

श्री हेमराज : स्थापित किये जाने वाला स्मारक किस प्रकार का होगा ?

श्री अ० म० थामस : जब स्थान मिल जायेगा तो आवश्यक डिज़ाइन तथा अन्य अनुमान तैयार किये जायेंगे ।

Shri Madhu Limaye : Have Government received any suggestion demanding that the martyrdom day of Havildar Abdul Hamid should be declared as a day of Hindu-Muslim-Sikh and Christian unity and on that day President, Prime Minister, Chief Ministers and Governors should join community meals and programmes of inter-community "Rakhi Bandhan" should be held.

श्री अ० म० थामस : यह एक सुझाव है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know whether these memorials would be raised in big cities or these memorials would be raised in States to which those Jawans belonged?

श्री अ० म० थामस : यह प्रश्न देश की राजधानी के बारे में है। राज्यों के बारे में राज्य सरकारों ने निर्णय करना है ।

Shri Yashpal Singh : The vacant place in front of Red Fort in Delhi would be more suitable site for this. May I know the reasons for not raising this memorial at that place?

श्री अ० म० थामस : हमने सेनाओं के अध्यक्षों की समिति नियुक्त की थी। उसने यह स्थान चुना है। यह नई दिल्ली और दिल्ली छावनी को मिलाने वाली सड़क पर है और सेना के स्थानों के समीप है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether a list of names of other ranks who laid down their lives would be inscribed on tnis memorial?

श्री अ० म० थामस : इस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री मजीठिया : क्या स्मारक एक बिल्डिंग के रूप में ही होगा या शहीद हुए जवानों के बच्चों के लिये धन भी एकत्र करने का प्रस्ताव है ?

श्री अ० म० थामस : कोई निश्चित योजना अभी नहीं बतायी जा सकती जब स्थान मिल जायेगा डिज़ाइन का काम हाथ में लिया जायेगा और अन्य सम्बद्ध बातों पर भी निर्णय किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : विश्व सभी सभ्य देशों में योद्धाओं के स्मारक होते हैं। इस बारे में विलम्ब के क्या कारण है और क्या इण्डिया गेट को योद्धा-स्मारक के रूप में परिणित नहीं किया जा सकता ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक इण्डिया गेट का सम्बन्ध है वहां पर पहले ही एक आल इण्डिया वार मेमोरियल है और उसका निर्माण दो सरकारों के बीच समझौते के अन्तर्गत हुआ था। स्मारक को भारत सरकार और राष्ट्र मंडल वार ग्रेवज़ कमीशन के बीच हुए समझौते के अनुसार बदला नहीं जा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान हिन्दु, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी मतों के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिये अपने प्राण दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह स्मारक न केवल सेना की राष्ट्रीय एकता बल्कि सम्पूर्ण देश की एकता का द्योतक होगा ?

श्री अ० म० थामस : यह एक अच्छा सुझाव है।

Shri Kashi Ram Gupta : The place that has been selected is in cantonment area. May I know whether general public would be allowed to go there?

श्री अ० म० थामस : जी हां, जनता को वहां जाने की अनुमति होगी।

श्री हो० ना० मुकर्जी : माननीय मंत्री ने कहा है कि इण्डिया गेट के बारे में दो सरकारों के बीच समझौता हुआ था। हम अंग्रेज़ी सरकार के यहां पर न केवल उत्तराधिकारी है बल्कि हमारी एक स्वतन्त्र सरकार है। हम उन शर्तों और अंग्रेजों की भारत सरकार के निर्णयों को पूरा करने के लिये बाध्य नहीं है। उस समय के समझौते वर्तमान स्थितियों के अनुसार देखने चाहियें।

श्री अ० म० थामस : सरकार के बीच समझौते के अतिरिक्त यह हमारे हित में है कि हम एक अलग स्मारक बतायें।

श्री हो० ना० मुकर्जी : प्रश्न तो यह है कि क्या हमारी स्थिति अभी भी एक उपनिवेश की सी है और क्या हमें वे सभी बातें माननी हैं जो अंग्रेज़ों की सरकार ने की थीं ?

श्री अ० म० थामस : इस विषय में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री कपूर सिंह : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक छोटा सा संघर्ष था क्या सरकार यह स्मारक बनाना आवश्यक समझती है ?

श्री अ० म० थामस : जी हां, सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि एक स्मारक बनाया जाये ।

Shri Rameshwaranand : May I know whether arrangements would be made to show the number of Jawans and officers killed from various states?

श्री अ० म० थामस : सरकार इस का प्रबन्ध करेगी कि संसद सदस्यों से उचित सुझाव प्राप्त किये जा सकें ।

एशिया में संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र

*658. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा सुझाव दिया गया है कि भारत को एशिया में ऐसे संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र की स्थापना के लिये अग्रसर होकर प्रयत्न करना चाहिये जिसके लिये पाश्चात्य देशों की ओर से आणविक सुरक्षा की प्रत्याभूति दी जाये; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) हमें इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीनारायण दास : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीन अणु हथियार तथा प्रक्षेपण अस्त्र बना रहा है और पाकिस्तान भी अपनी क्षमता बढ़ा रहा है भारत सरकार ने भारत तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम अपने देश के सुरक्षा को आम हथियारों की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिये कदम उठा रहे हैं । हां अणु हथियारों से नहीं । प्रतिरक्षा मंत्री इस बारे में समय समय पर सभा को अवगत करते रहते हैं ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या अणु हथियारों को रखने वाले देश इस बारे में सलाह कर रहे हैं कि ऐसे देशों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है जिनके पास ये अणु हथियार नहीं है; यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में ऐसी कोई सलाह नहीं हो रही है । अणु शक्ति वाले देशों के इस विषय पर अपने विचार हैं । अमरीका और सोवियत संघ के अपने अपने अनुमान है । हां निरस्त्रीकरण के बारे में इन दोनों देशों ने अणु हथियारों के फैलाव को रोकने के लिये सुझाव दिये है कि बिना अणु हथियारों वाले देशों की शंकाओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाये ।

Shri K. N. Tiwary : Keeping in view our relations with China and the attitude of Western Powers during the Indo-Pak. conflict and China's nuclear policy, what steps are being taken for the safety of our country?

श्री स्वर्ण सिंह : इस विषय पर प्रधान मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम अणु शक्ति का शान्तिमय प्रयोजनों के लिये प्रयोग करना चाहते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री को मालूम नहीं है कि ब्रिटेन की लोक सभा में वहां के प्रधान मंत्री ने कहा था कि वहां के विदेश मंत्री रूस जा रहे है इस विषय पर विचार किया जा सके ? अमरीका और ब्रिटेन ने इस क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में चिन्ता प्रकट की है । ब्रिटेन सरकार और रूस सरकार ने इस बारे में क्या प्रस्ताव रखे है और हमारी इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की हाल की रूस यात्रा के बारे में सोच रहे हैं उस समय उनके विदेश मंत्री और निरस्त्रीकरण विभाग के मंत्री भी साथ थे। मेरे विचार में वहां पर बातचीत के अतिरिक्त कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आये हैं। इस विषय पर एक समिति जनेवा में विचार कर रही है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यह है कि क्या ये देश हमारी सलाह से कार्य कर रहे हैं और उन्हों ने क्या प्रस्ताव रखे हैं ? श्री रस्क और श्री विल्सन ने कई बार चिन्ता व्यक्त की है कि चीन इस क्षेत्र में एक अणु हथियारों वाली शक्ति बनता जा रहा है। क्या सरकार ने इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किये है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हां माननीय सदस्य की बात ठीक है कि ब्रिटेन और अमरीका सरकारों ने चीन के अणु शक्ति बनने पर चिन्ता व्यक्त की है परन्तु उन्हों ने न तो कोई सुझाव दिया है और न हमारे से सलाह ही की है। हमने अपनी ओर से सुझाव दिये है कि इन राष्ट्रों अणु हथियारों वाले देशों को विचार करना होगा कि अणु हथियारों के फैलाव को कैसे रोका जा सकता है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या हमें समझना चाहिये कि हमने अपनी सुरक्षा का काम उनपर छोड़ दिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : वह अलग प्रश्न है। हम अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अणु हथियारों के फैलाव को रोकने के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है क्या सरकार महसूस करती कि हमारी वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त है और हमें किसी प्रकार की ढील नहीं करनी है और क्या जापान के साथ किसी प्रकार का समझौता किया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रश्न अणु हथियारों से सुरक्षा का है और जापान ऐसा देश नहीं जिसने अणु हथियार बनाये हों। हां परम्परागत हथियारों के बारे में हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की कार्यवाही कर रहे है?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार हमारी वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं तो इस बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस में आत्म-तुष्टि का कोई प्रश्न नहीं है। हमें स्थिरता लाने के लिये कार्य करना है। साथ ही साथ हमें अपनी प्रतिरक्षा को भी सुदृढ़ करना है। और हम यह कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपना प्रश्न पूछने से पहले यह बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न सामूहिक सुरक्षा के बारे में है, न कि परमाणु नीति के बारे में। उन्होंने कहा है कि यह परमाणु शक्ति से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : परमाणु गारंटी भी इस प्रश्न में सम्मिलित है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार ने जापान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री किशी तथा वर्तमान प्रधान मंत्री श्री सोतो द्वारा गत दिसम्बर में सारे एशियाई राष्ट्रों को चीन की परमाणु शक्ति के बारे में दी गई चेतावनी की ओर ध्यान दिया है और यदि हां तो क्या सरकार ने वर्ष 1964 में अपनी ब्रिटिश यात्रा के दौरान श्री शास्त्री द्वारा ब्रिटिश प्रधान मंत्री के साथ की गई बातचीत के अनुसरण में जापान, रूस, ब्रिटेन और अमरीका से सम्पर्क स्थापित किया है ? क्या एशिया में परमाणु रहित क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने जिन राष्ट्रों के नाम लिये हैं, हम उनकी सरकारों से समय समय पर सम्पर्क स्थापित करते रहे हैं। परन्तु, म यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सामूहिक सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारा सदा यही विश्वास रहा है तथा अब भी यही दृढ़ विश्वास है कि सामूहिक सुरक्षा करारों से रक्षा का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और वास्तव में इस से सदस्य देशों की प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप होता है। भारत अपनी प्रभुसत्ता कायम रखने के लिये कृत-निश्चय है। हम अपनी अखण्डता एवं एकता की रक्षा के लिये आवश्यक उपाय करते रहेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या एशिया के लिये परमाणु रहित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम परमाणु रहित क्षेत्र के पक्षमें हैं, परन्तु इस दशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी है, क्योंकि एशिया का एक देश चीन परमाणु देश बन गया है। उसने मास्को परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर भी हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : सरकार ने परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने पर ठीक जोर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में सतर्क है कि वह किन्हीं हितों के कारण और विशेषत: चीन के भारत विरोधी एवं उत्तेजनात्मक रवैये के कारण किसी प्रकार के सामूहिक संधि संगठन में सम्मिलित होने के लिये प्रलोभित न हो ? हमें किसी प्रकार के संधि संगठन में शामिल नहीं होना चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य की बात को ध्यान में रखा जायेगा। हम स्वयं ऐसे कदम उठायेंगे जो हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये आवश्यक हों तथा जिस से हमारी प्रतिरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सैनिक संगठनों के बारे में मैं पहले ही सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर चुका हूं।

Shri Sheo Narain : China is not a party to the Geneva disarmament conference and as such she will not honour any agreement reached there. May I know the reaction of the conference in respect of China?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि चीन जेनेवा के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग नहीं ले रहा है। इस का स्पष्ट कारण यह है कि यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में हो रहा है और चीन लोक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र ने विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाने के लिये एक दूसरा प्रस्ताव पास किया है, जिस में चीन को भी निमंत्रित किया गया है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान अमरीकी सैनेटर माइक मैन्सफिल्ड के इस वक्तव्य की ओर गया है कि वियतनाम युद्ध का एशिया महायुद्ध के रूप में फैलने का खतरा है। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री अपनी अमरीका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जॉनसन से इस मामले में बातचीत करेंगी ताकि वियतनाम युद्ध ऐशिया महायुद्ध का रूप न धारण करे और क्या भारत एशिया के लिये सामूहिक सुरक्षा का कोई प्रबन्ध करेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : निस्संदेह भारत चाहता है कि इस संघर्ष का फैलाव न हो और इस का एशिया के दूसरे भागों पर प्रभाव न पड़े। मेरे लिये यह बताना संभव नहीं है कि वाशिंग्टन में क्या चर्चा की जायगी, परन्तु संभव है कि वियतनाम के प्रश्न पर विचार किया जायेगा, क्योंकि इस से एशिया की शांति पर प्रभाव पड़ता है।

अखबारी कागज सम्बन्धी स्थिति

+

*659. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी काग़ज संबंधी गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिये भारतीय भाषा समाचारपत्र संघ की कार्यकारिणी ने अनुरोध किया है कि एक संविहित मूल्य पृष्ठ अनुसूची लागू की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

श्री प्र० चं० बरुआ : हमारी वार्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कितनी कमी रहती है तथा हमारा देशी उत्पादन कितना है ?

श्री राज बहादुर : मुख्य प्रश्न मूल्य पृष्ठ अनुसूची के बारे में है। मैं अखबारी कागज के बारे में भी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, परन्तु वह अलग का उत्तर होना चाहिये।

श्री प्र० चं० बरुआ : जब यह प्रश्न अखबारी कागज के बारे में है तो यह स्वाभाविक है कि इस में उत्पादन का प्रश्न भी निहित है। यदि आप इस की अनुमति नहीं देते तो मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि आसाम में क्षेत्रीय प्रयोगशाला, जोरहाट ने प्रयोग के लिये समाचार पत्रों की स्याही मिटा कर अखबारी कागज बनाने का एक नया तरीका निकाला है और यदि हां तो मैं जानना चाहता हूं कि इस नये तरीके से अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री राज बहादुर : इस के परिणामों को रुचि पूर्वक देखा जायेगा।

Shri M. L. Dwivedi : The Indian dailies and other magazines have increased their prices a fews days back. May I know the reasons for this increase in prices, when the price of newsprint has not been increased so far?

Shri Raj Bahadur : We have no control over their prices. I think their object of introducing price page schedule has been achieved to some extent by this rise in prices.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Govt. keep an eye on the black-marketeers of newsprint and care for those newspapers who do not get it?

श्री सुबोध हंसदा : जैसा कि समाचार पत्रों द्वारा प्रायः कहा जाता है, क्या मूल्य पृष्ठ अनुसूची के बारे में समय समय पर जांच की जाती है और यदि हां तो कितने अवसरों पर यह कार्यवाही की गई है और क्या कुछ विषमताएं पाई गई हैं और उन विषमताओं तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : अभी तक मूल्य पृष्ठ अनुसूची को लागू नहीं किया गया है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इस मामलें में भारतीय प्रैस परिषद की राय भी मांगी गई है ?

श्री राज बहादुर : भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना अभी नहीं हुई है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Most of the newspapers, who get quotas of newsprint, are selling it in black market, while other newspapers for whom sufficient quotas of newsprint have not been allotted, have to buy it from black market. May I know whether in view of the above facts, Government are considering to revise their policy in this regard? Have any arrests been made in this connection?

Shri Raj Bahadur : This question does not a rise from the main question. Such complaints have been noticed in the newspapers.

Shri Sidheshwar Prasad : The Supreme Court had given a decision against the price page schedule. May I know whether the Government want to introduce price page schedule and how the hurdle created by the Supreme Court's decision would be overcome? Are there other hurdles also in the way of introducing price page schedule?

Shri Raj Bahadur : Keeping in view the Supreme Court's decision Diwakar Committee has recommended that the concerned article in the constitution should be amended suitably. The matter is under consideration.

श्री दाजी : माननीय मंत्री ने कहा है कि मामला विचाराधीन है और दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि कीमतें बढ़ाई गई हैं, इस का अर्थ यही है । ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं । क्या यह सरकार की राय है अथवा निर्णय है कि चूंकि मूल्य में दो पैसे की वृद्धि कर दी गई है अत: अब मूल्य पृष्ठ अनुसूची लागू करने के मामले को समाप्त किया जाये अथवा सरकार इसे लागू करने के लिये सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि या तो माननीय सदस्य मेरी बात को नहीं समझ सके अथवा मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सका । मैंने कहा था कि समाचारपत्रों के मूल्य पर हमारा कोई विशेष नियंत्रण नहीं है और अब चूंकि समाचारपत्रों के मूल्य में वृद्धि की गई है, मैं समझता हूं इस वृद्धि के कारण मूल्य पृष्ठ अनुसूची के कुछ लक्ष्यों की पूर्ति हो गई है ।

श्री दाजी : क्या आप उन की सहमति प्राप्त नहीं करना चाहते ?

श्री राजबहादुर : मैं ने यह तो कभी नहीं कहा । मैं इस का प्रतिवाद करता हूं ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या हाल में आरम्भ किये गये साप्ताहिक पत्रों के लिये अखबरी कागज की सप्लाई पर कुछ प्रतिबंध लगाये गये हैं और यदि हां, तो उन्हें कब तक हटाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है । अगला प्रश्न ।

शंघाई से भारतीय लोगों का स्वदेश लौटाया जाना

+

*661. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करें गे कि :

(क) क्या शंघाई में इस समय जो भारतीय हैं उन्होंने सरकार से प्रार्थना की है कि उनके स्वदेश लौटने की व्यवस्था की जाय ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : चीनी प्राधिकारियों द्वारा मुश्किलें और पाबंदियां बढ़ाते रहने के परिणामस्वरूप शंघाई में रहने वाले बहुत से भारतीय राष्ट्रिकों ने अपनी परिसंपत्ति का निपटान करने के बाद चीन छोड़कर चले आने की इच्छा व्यक्त की है; उनमें से अधिकांश लोगों की परिसम्पत्ति उनकी जीवन भर की बचत का परिणाम है। पीकिंग-स्थित भारतीय राजदूतावास के कर्मचारी नियमित रूप से शंघाई आते-जाते रहे हैं और उन्होंने शंघाई में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों की कठिनाइयों, उनकी परिसंपत्ति के निपटान और जो लोग चीन छोड़ कर जाना चाहते हैं, उनके चले जाने के प्रश्न पर चीनी प्राधिकारियों के साथ लिखा-पढ़ी की है।

Shri M. L. Dwivedi : May I know the number of Indian families in Shanghai, who are facing difficulties ?

Shri Swaran Singh : Their number is not much. According to my information their number is 35.

Shri M. L. Dwivedi : What are the possibility of the solution of this issue as a result of talks of the representatives of our Government with the Chinese Government and how long will it take?

Shri Swaran Singh : It is not possible to state how long it will take to be solved.

श्री सुबोध हंसदा : चूंकि देश प्रत्यावर्तन की प्रवृत्ति, विशेषतः दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में उत्तरोत्तर बढ़ रही है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन लोगों को वापस लेने को तैयार है अथवा उन की कठिनाइयों का निवारण करने के लिये यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का प्रस्ताव है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस मामले को संयक्त राष्ट्र संघ में ले जाने से किसी उपयोगी प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि लोक गणराज्य चीन संयुक्त राष्ट्र-संघ का सदस्य नहीं है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि परिस्थितियां ऐसी है जिन के परिणामस्वरूप भारत मूलक लोगों को शंघाई से वापस बुलाना आवश्यक है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि वे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वे यह सोच कर वहां रहते है कि उन के लिये वहां रहते रहना संभव होगा और उन में से कुछ ने स्थानीय चीनी स्त्रियों के साथ विवाह कर लिये हैं। यह निर्णय करना उन के लिये आवश्यक है कि वे वहां रहना चाहते है अथवा बाहर जाना चाहते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि वर्ष 1962 के आक्रमण के बाद चीन ने शंघाई तथा चीन के अन्य भागों में रहने वाले बहुत से भारत मूलक लोगों को वास्तव में उन के घरों में कैद कर रखा है और उन्हें तरह तरह की यातनायें दी जा रही है, अर्थात उनकी परिसंपत्ति को छीनना आदि और यदि हां, तो क्या सरकार सभा को उन भारतीयों की अनुमानित संख्या बता सकती है, जिन्हें यातनाएं दी गई ह तथा उन्हें स्वदेश वापस लाने के लिय क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : संघर्ष के बाद बहुत से भारत मूलक लोगों ने लोक गणराज्य चीन को छोड़ दिया है। वहां अब बहुत कम लोग बाकी हैं। शंघाई में उन की संख्या केवल 35 है।

श्री हरि विष्णु कामत : अन्य भागों में कितने लोग हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न शंघाई से सम्बन्धित है।

श्री स्वर्ण सिंह : दूसरे स्थानों पर भी उन की संख्या अधिक नहीं है।

Unidentified Plane over Rajasthan

+

***662. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the identity of the jet aeroplane which flew over the military positions in Rajasthan on the 22nd December, 1965 has since been established;

(b) the reason for not shooting it down;

(c) whether the Indian aeroplanes had chased it; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) Yes, Sir. The aircraft were visually identified as to F-86 of Pakistan Air Force.

(b) No tactical action could be taken due to delay in the visual report reaching the Air Defence authorities.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know when the aeroplanes were identified as Pakistani jet planes and what had presented the Government in taking an immediate action against them?

श्री अ० म० थामस : यह विमान गदरा नगर से, जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के 12 मील अन्दर है, 10,000 फूट की ऊंचाई से उड़ा था। जैट विमान को 12 मील का फासला तय करने में मश्किल से एक मिनट का समय लगता है, और जब तक यह सूचना जोधपुर में वायुसेना के अधिकारियों को पहुंचाई गई, तब तक कोई आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशों में प्रचार

***660. श्री लिंग रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में प्रचार कार्य के सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय को सुव्यवस्थित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : विदेशों में प्रचार का काम विदेश मन्त्रालय के एक्स० पी० डिवीजन का है। आकाशवाणी के विदेशी प्रसारण विभाग को छोड़ कर, यह मन्त्रालय तथा इसके विभाग, विदेशों में प्रचार के काम में, विदेश मन्त्रालय

की सहायता मात्र करते हैं और उस के लिये प्रचार सामग्री तैयार करने में, एक टुकड़ी के रूप में काम करते हैं । इस दिशा में, मन्त्रालय के काम को और तेज़ तथा अच्छा बनाने का बराबर प्रयत्न किया जाता है ।

National Defence Fund Collections

*663. **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishram Prasad :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Warior :
Shri Mohammed Koya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that a part of the amount collected as the National Defence Fund is not deposited;

(b) whether Government are aware that Government officials have been exerting pressure at certain places in their efforts for collections for the National Defence Fund; and

(c) if so, the reaction of Government in this matter?

The Prime Minister (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No instance has come to light recently in which moneys collected for the National Defence Fund have not been deposited as accounted for.

(b) & (c). Contributions to the National Defence Fund are entirely voluntary and Government have repeatedly made this clear. The State Governments also have been suitably advised in this regard. However, any complaints about the methods employed for receiving contributions to the National Defence Fund are referred to the State Governments concerned for attention and necessary action.

Functioning of Indian and Pakistan High Commissions

*665. **Shri Lahtan Chaudhry :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that staff has been sent to the Indian High Commission in Pakistan so that the Commission may start functioning;

(b) if so, whether Pakistan High Commission in India has also started functioning; and

(c) whether India has urged Pakistan to treat diplomatic personnel according to international conventions?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) & (b) : Yes, both High Commissions are functioning normally.

(c) Under Article V of the Tashkent Declaration, the Pakistan Government has pledged self to treat our diplomatic personnel in accordance with international conventions.

सीमा पार के चरागाह

*666. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के हिमालय क्षेत्र में सीमा पार के चरागाहों का प्रयोग करने के अधिकार समाप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत और तिब्बत के 15 अगस्त, 1947 और 1 जनवरी, 1966 को सीमा पार के चरागाहों के प्रयोग के अधिकार क्रमशः क्या थ ; और

(ग) क्या भारतीयों को सीमा पार के चरागाह सम्बन्धी अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करने दिया जाता है, और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वण सिंह) : (क) भारत पर चीन के आक्रमण के फलस्वरूप और सीमा पर चीन द्वारा बराबर तनाव बनाए रखने के कारण, सीमा के आर-पार ढोरे चराना बहुत कम हो गया है, जो कि सीमा निवासी बहुत पहले से करते आए थे ।

(ख) और (ग) : अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई जगह दोनों ओर के सीमा निवासियों को, प्रथा और परम्परा के अनुसार चरागाह के कुछ अधिकार थे और उसका इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि संवद्ध क्षेत्र पर किस सरकार की प्रभुसत्ता या किसका प्रशासनिक नियंत्रण है । सीमा पर सैनिक जमाव और चीन की आक्रमक कार्रवाइयों की वजह से सीमा के आर-पार आना-जाना, जो बहुत पहले से होता आया था, बहुत कम हो गया है, खासकर 1962 के बाद से ।

Committee of Representatives of Nagas and Peace Mission

*667. **Shri Narayan Reddy :** **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Rameshwar Tantia : **Shri D. C. Sharma :**
Shri Himatsingka :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have set up a Committee consisting of the representatives of underground Nagas and the Nagaland Peace Mission Observers to investigate incidents of violence in Assam, Manipur and the adjoining areas;

(b) if so, whether they have submitted any report to Government; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) The Government have agreed to the appointment of two representatives of the Government of India and of the Underground to work with the Observers team already set up to investigate into incidents of violence in Nagaland, Assam and Manipur.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

वदेशिक-कार्य मंत्री की भूटान यात्रा

*668. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री अ० सि० सहगल :**
श्री दलजीत सिंह : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में वह भूटान गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन की इस यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह एक सौजन्य यात्रा थी ।

आकाशवाणी से संस्कृत में समाचार

*669. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से संस्कृत में कोई समाचार प्रसारित किये जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो किस समय और किस मीटर बैंड पर, और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) समाचार प्रसारित करने का उद्देश्य यही है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग सुनें । अतः यह तय करने के लिए कि समाचार किन भाषाओं में प्रसारित किए जांए, आकाशवाणी यह देखती है कि कोई भाषा कितनी बोली और समझी जाती है । संस्कृत बोलने और समझने वाले लोगों की संख्या कम है, अतः समाचारों को संस्कृत में प्रसारित करना आवश्यक नहीं समझा गया है । फ़िर भी, इस सुझाव पर और विचार किया जा रहा है ।

बर्मा में रोके गये भारतीय उद्भव के व्यक्ति

*670. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री भूतपूर्व प्रधान मंत्री की बर्मा यात्रा के बारे में 28 फरवरी, 1966 को लोक-सभा में उन के द्वारा दिये गये वक्तव्य पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में भारतीय उद्भव के कितने व्यक्तियों को तथाकथित 'आर्थिक अपराधों' के कारण वहां पर रोका गया है; और

(ख) उन की रिहाई के लिये सरकार ने राजनयिक अथवा अन्य स्तर पर अब तक क्या कार्यवाही की है और उस का क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारतमूलक लोगों के विषय में हमें पूरी जानकारी नहीं है । किंतु, बताया यह जाता है कि तथाकथित अर्थ-संबंधी अपराधों के लिए कोई 70 भारतीय राष्ट्रिकों को नजरबंद किया था ।

(ख) बर्मा सरकार के साथ हमारी बातचीत और प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप, 33 लोगों को रिहा किया जा चुका है । बर्मा सरकार बाकी लोगों को रिहा करने के बारे में भी सोच रही है ।

केनिया में भारतीय

*671. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केनिया में भारतीयों को केनिया की नागरिकता प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार को इस तरह की किसी कठिनाई के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय पत्रकारों को पाकिस्तान द्वारा वीसा न दिया जाना

*672. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हेम बरुआ :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रामसेवक यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पत्रकारों को 1 मार्च, 1966 को रावलपिंडी में ताशकन्द घोषणा के अन्तर्गत हुई भारत पाकिस्तान के मंत्रियों की बैठक के बारे में समाचार भेजने के लिये पाकिस्तान सरकार ने वीसा नहीं दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारतीय पत्रकारों को वीसा न दिये जाने के कोई कारण बताए गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ग) : पहले पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय पत्रकारों को इस विना पर वीज़ा देने में हिचक रहे थे कि उनके पास निवास की सुविधाओं की कमी है । किंतु, भारतीय हाई कमिश्नर के हस्तक्षेप करने पर उन्होंने दो भारतीय पत्रकारों को वीज़ा देने का फैसला किया ।

जवानों को उपहार स्वरूप दी गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तराधिकार नियम

*673. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष में वीरगति प्राप्त जवानों के शोकातुर परिवारों के पुनर्वास के लिये राज्यों/केन्द्र द्वारा उपहार स्वरूप दी गई अचल तथा चल सम्पत्ति का स्वामित्व मृत जवान की विधवा द्वारा पुनर्विवाह किये जाने की अवस्था में जवान के बच्चों/माता-पिता को प्राप्त होता है ; और

(ख) ऐसी सम्पत्ति के उत्तराधिकार का निश्चय करने से सम्बन्धित विशिष्ट नियम क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : इस मामलें में कोई विशुद्ध नियम विद्यमान् नहीं हैं, स्थिति सम्पत्ति प्रदान किए जाने की शर्तों के साथ विभिन्न होगी । यदि सम्पत्ति विधवा को निरपेक्ष उपहार स्वरूप दी गई है, तो उसपर उसका स्वामित्व पुनर्विवाह के पश्चात् भी बना रहेगा। यदि सम्पत्ति उसे किसी शर्त के अधीन दी गई है, जिस में उसके पुनर्विवाह पर उसे मृतक के बच्चों अथवा माता पिता को अन्तरित किए जाने का उपबंध है, तो उसका स्वामित्व उसके पुनर्विवाह पर हिताधिकारियों को अन्तरित हो जाएगा ।

संयुक्त समाजवादी दल क नताओं द्वारा आकाशवाणी से भाषण

*674. **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री 29 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 533 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त समाजवादी दल की ओर से किस व्यक्ति को आकाशवाणी से भाषण देने के लिये आंमत्रित किया गया था,

(ख) क्या 29 नवम्बर, 1965 तक संयुक्त समाजवादी दल के प्रधान-अथवा महासचिव अथवा संयुक्त समाजवादी दल के संसदीय ग्रुप के नेता अथवा किसी अन्य संसद् सदस्य को आकाशवाणी से भाषण देने के लिए बुलाया गया था, और

(ग) यदि नहीं, तो संयुक्त समाजवादी दल को छोड़कर अन्य दलों के समान नेताओं को आमंत्रित करने के क्या कारण थे?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ग) : 29 नवम्बर, 1965 को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 533 के (ख) भाग के उत्तर में उल्लिखित संसद सदस्य का नाम श्री यशपाल सिंह है । परन्तु संसद सदस्यों को प्रसारण के लिए बुलाते समय इसका बिचार नहीं किया जाता कि वे किस दल के हैं, बल्कि इसका कि वे प्रसारण कितना अच्छा कर सकते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

जातीय भेदभाव सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय

*675. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 दिसम्बर, 1965 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत जातीय भेदभाव को अवैध घोषित करने के अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का सरकार ने अनुसमर्थन किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : अभी नहीं, क्योंकि यह अभिसमय संयुक्त राष्ट्र महासभा के पिछले अधिवेशन (1965) में ही पास किया गया था और कुछ दिन पहले ही दस्तखतों के लिए जारी हुआ है । संम्बद्ध मंत्रालय इस मामले पर विचार कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा कोई निर्णय ले लिया जाएगा ।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन

*676. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने पाकिस्तान द्वारा किये बहुत से युद्ध-विराम उल्लंघनों को, जिनकी ओर भारत द्वारा समय-समय पर उनका ध्यान दिलाया गया था, मान लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों की संख्या और स्वरूप क्या है ;

(ग) संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों ने इस प्रकार के कितने मामलों की जांच की है और अपनी रिपोर्ट महा सचिव को दी है ; और

(घ) महा सचिव ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ) : 6 जनवरी, 1966 को और उस तारीख तक, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने, सरकार के निदेश पर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम 53 पत्र भेजे जिनमें उनका ध्यान पाकिस्तान द्वारा युद्ध-विराम का उल्लंघन किए जाने के 2041 मामलों की ओर दिलाया था । संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने इन पत्रों को सुरक्षा परिषद के प्रलेखों के रूप में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के पास भज दिया था । संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों ने इन मामलों की जांच की और उनके निष्कर्ष महासचिव द्वारा युद्ध-विराम की देखभाल से संबद्ध रिपोर्टों में सम्मिलित किए गए हैं । ये रिपोर्ट भी सुरक्षा परिषद के प्रलेखों के रूप में भेजी गई हैं ।

संयुक्त राष्ट्र वित्त सम्बन्धी समिति

*678. **श्री किशन पटनायक :**

श्री मधु लिमये :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के वित्त सम्बन्धी समस्या की जांच करने के लिये संयुक्त राष्ट्र में कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) क्या भारत इस समिति का सदस्य है ; और

(ग) समिति के निदश-पद क्या हैं ?

वैदेशक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) समिति के विचारार्थ विषय संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव नं० ए०/आर०ई०एस०/2049 (XX) के प्रवर्ती (आपरेटिव) पैरा 5 और 6 में दिए गए हैं जिसकी एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–5818/66]**

पेकिंग से विरोध पत्र

*679. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेकिंग में भारतीय दूतावास को स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के शोक संदेश मिलने के तुरन्त बाद चीन सरकार से एक कड़ा विरोध पत्र मिला था जिसमें भारत में रहने वाले चीनियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था ;

(ख) यदि हां, तो यथार्थ आरोप क्या थे ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चीन सरकार ने अपने नोट में यह आरोप लगाया कि भारत सरकार ने "बड़ी संख्या" में "भोले" चीनी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें "एक बंदी शिविर" और जेलों में फेंक दिया है । अंत में उसमें यह "जल्दी और निश्चित" उत्तर "मांगा" गया है कि (1) जेलों में बंद तमाम चीनी राष्ट्रिक रिहा किए जाएं, उनकी संपत्ति लौटाई जाए और मुआवजा दिया जाए, औ "अत्याचार" समाप्त किया जाए और उनकी सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गा ी दी जाए ।

(ग) चीन के ये आरोप नए नहीं हैं और पहले कई मौकों पर इनका कारगर ढंग से खंडन किया जा चुका है । अधिकांश चीन-मूलक लोग कानून का पालन करने वाले नागरिकों की तरह स भारत में सुख-चैन से रह रहे हैं । अत्याचार का कोई प्रश्न नहीं उठता । हम अपने आंतरिक मामलों में चीन सरकार द्वारा किए गए हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं ।

Monopoly in Newspaper Industry

*680. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state the progress so far made in regard to the setting up of a Commission to go into the question of monopoly in the newspaper industry?

The Minister of Information & Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : There is no proposal under consideration of the Government of India to set up a Commission to go into the question of monopoly in newspaper Industry.

घाना में सैनिक क्रान्ति

*681. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री लखमू भवानी :
श्री रा० बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वसुमतारी :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घाना में सैनिक क्रान्ति हुई है ;

(ख) क्या उसके फलस्वरूप एक नई सरकार ने सत्ता संभाल ली है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में, विशेषकर नई सरकार को मान्यता देने के प्रश्न के सम्बन्ध में, सरकार का क्या रुख है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) भारत सरकार ने घाना की नई सरकार की यह इच्छा नोट की है कि वह भारत के साथ सौहार्द और मैत्रीपूण संबंध बनाए रखना चाहती है ; हमने भी एसी ही इच्छा व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध बराबर बने हुए हैं।

बैलून टायर

*682. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बैलून टायरों का उत्पादन हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता ों को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन का आयात किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : बीते समय में कोई आयात नहीं हुए। जीपों और डाज-ट्रक 1 टन के संबंध में बैलून टायरों की आवश्यकताओं का सामना करने के लिए देशीय क्षमता वर्तमान है। अन्य गाड़ियों के लिए आवश्यक टायरों की क्षमता विकसित की जा रही हैं।

जवानों के परिवारों को सहायता

2477. **श्री हेमराज :**

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान वीर गति को प्राप्त, जखमी, विकलांग हुए अथवा लापता हुए जवानों के परिवारों को, राज्य-वार, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पहुंचाये गये विभिन्न प्रकार के लाभ और दी गई रियायतें क्या हैं ; और

(ख) कितने ऐसे परिवारों को, राज्यवार और जिलावार, ये लाभ और रियायतें मिल रही हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) काम आ चुके, घायल तथा लापता समेत रक्षा सेवाओं के सेविवर्ग के कुटुम्बों को राज्य सरकारों तथा प्रशासनों द्वारा दी गई रियायतों संबंधी एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—5819/66]**

(ख) सूचना राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फिल्मों को राज्य पुरस्कार देने सम्बन्धी नियम

2479. **श्री राम हरख यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965 में फिल्मों को राज्य पुरस्कार प्रतियोगिता में शामिल करने सम्बन्धी नियमों में संशोधन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस को किस तिथि से लागू किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Capture of a Chinese Corporal

2480. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Kindar Lal :
Shri Bade : Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the articles recovered from the Chinese Corporal captured on the U.P.-Tibet border in November, 1965;

(b) whether Government have ascertained the purpose for which he crossed the boundary to come into India; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) A Lance Corporal of the Chinese Army was apprehended in the Mana Sector of the U.P.-Tibet border on 27th November, 1965, and not in Lucknow. He was in possession of a rifle, some ammunition, usual items of army clothing and equipment and some articles of private use.

(b) According to the Lance Corporal he deserted because of the conditions of service in the Chinese Army and voluntarily sought refuge in India.

(c) A decision has yet to be taken.

राणा प्रताप सागर परमाणु बिजली घर (राजस्थान)

2481. श्री बागड़ी : श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री यशपाल सिंह :
श्री किशन पटनायक : श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** 8 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 780 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् शक्ति की क्षमता को बढाने के लिये राणा प्रताप सागर परमाणु बिजली घर की क्षमता को दुगनी करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : बिजली घर में दूसरा यूनिट लगाने के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है, बशर्ते कि इस पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की व्यवस्था हो जाये। इस प्रायोजना के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बातचीत जारी है।

सस्ते रेडियो

2482. श्री लिंग रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गांव पंचायतों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सस्ते रेडियो उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार कहां तक सफल रही है?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : देश में सस्ते रेडियो बनाने के प्रश्न पर सरकार जोरों से विचार कर रही है। इस प्रकार के रेडियो का टेकनीकी विवरण रेडियो निर्माताओं के पास भेज दिया गया है। पता चला है, कि यदि रेडियो निर्माताओं को कुछ जरूरी पुर्जे और कच्चा माल आयात करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा दिला दी जाए, तो वे सस्ते रेडियो बना सकते हैं।

पंचायती-रेडियो सहायता योजना के अन्तर्गत गांवों में पंचायती रेडियो सेट लगाए जा रहे हैं। गांवों को सस्ते रेडियो सेट दिलाने पर सरकार विचार कर रही है।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये आवास बस्ती

2483. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन के समीप प्रतिरक्षा कर्मचारियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये एक आवास बस्ती बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री थामस) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सैनिक सहयोगी भवन निर्माण समिति लि० संभाव्य आवासियों से सन्तोषजनक प्रोत्साहन के अभाव के कारण प्रस्ताव के संबंधी कोई प्रगति नहीं कर सकी।

पाकिस्तानी नागरिकों का भारत आगमन

2484. **श्री विश्वनाथ पांडे :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में अब तक कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत आये ; और

(ख) उक्त अवधि में कितने भारतीय पाकिस्तान गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अप्रैल 1965 से फरवरी 1966 तक की अवधि में, जिन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने भारत की यात्रा की, उनकी संख्या 1,31,917 थी।

(ख) उसी अवधि में, जिन भारतीयों ने पाकिस्तान की यात्रा की, उनकी संख्या 81,001 थी। इन आंकड़ों में :

(1) फरवरी 1966 के महीने में गुजरात राज्य से;

(2) 16–28 फरवरी 1966 की अवधि में पश्चिम बंगाल राज्य से; और

(3) 26–28 फरवरी 1966 की अवधि में असम राज्य से, आने-जाने वालों की संख्या शामिल नहीं है। इन आंकड़ों से संबद्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और सुलभ होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

दिवाकर समिति का प्रतिवेदन

2485. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामचन्द्र उलाका
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री दिवाकर समिति के बारे में 8 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिवाकर समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : रिपोर्ट की एक प्रति 9 मार्च, 1966 को सदन की मेज़ पर रख दी गई थी। सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की हैं, वे राज्य सरकार, संघ प्रशासित क्षेत्र, केन्द्रीय मन्त्रालय, समाचार-पत्र संगठनों आदि से सम्बन्धित अनेक विषयों के बारे में हैं। इस विषय में उन सब की राय मांगी जा रही है, और ज्योंही उनकी राय मिल जाएगी, सरकार उस पर विचार करके अंतिम निर्णय करेगी।

आकाशवाणी कार्यक्रम

2486. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1965 से 31 जनवरी, 1966 के बीच की अवधि में आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए किन किन संसद् सदस्यों को वहां आमंत्रित किया गया था और किन किन तारीखों को उन्हें आमंत्रित किया गया था; और

(ख) उन पर कुल कितना खर्च हुआ ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जा रहा है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-5820/66]**

(ख) इन सदस्यों को 3535 रुपये फ़ीस के रूप में दिए गए।

आकाशवाणी के लखनऊ और वाराणसी केन्द्र

2487. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जनवरी, 1966 तक लखनऊ और वाराणसी के आकाशवाणी केन्द्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने स्टाफ आर्टिस्ट तथा अन्य कर्मचारी थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) :

	स्टाफ़ आर्टिस्ट		अन्य कर्मचारी	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
आकाशवाणी लखनऊ .	..	..	12	1
आकाशवाणी वाराणसी .	..	..	6	..

पाकिस्तानी आक्रमण के सम्बन्ध में फिल्म

2488. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री 15 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 213 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी आक्रमण पर आधारित फिल्म तयार करने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उनका प्रदर्शन कब किया जायेगा तथा उन्हें विदेशों में कब भेजा जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) : इस विषय के समाचारचित्र भारत तथा विदेशों में दिखाए गये। भारत में कुछ वृत्त-चित्र भी दिखाए गये। लेकिन ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर होने के कारण, भारत तथा विदेशों में समाचार और वृत्त चित्रों का दिखाना बंद कर दिया गया है।

मैसूर में आकाशवाणी का रिले केन्द्र

2489. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में आकाशवाणी का एक रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस केन्द्र को स्थापित करने के लिये कोई इमारत निश्चित कर ली गई है;

(ग) इसके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा; और

(घ) यह रिले केन्द्र कब से काम करने लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) मैसूर में स्टूडियो स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ये स्टूडियो बंगलौर के रेडियो केन्द्र से जोड़े जाएंगे।

(ख) मसूर रेडियो केन्द्र के लिए पहले जो इमारत इस्तेमाल की जाती थी, उसे ले लेने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : योजना आयोग ने यदि इस योजना को मंजूर कर लिया, तो इसे चौथी योजना अवधि में पूरा कर दिया जाएगा।

रेडियो स्टेशनों की संख्या में वृद्धि

2490. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के सचिव ने 1 जनवरी, 1966 को इलाहाबाद में यह कहा था कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेडियो स्टेशनों की संख्या दुगुनी हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के परिणामस्वरूप कितने क्षेत्रों को लाभ होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। इस समय आकाशवाणी के केन्द्रों की संख्या 34 है, चौथी योजना में 29 नये स्टूडियो तथा प्रेषण केन्द्र स्थापित करने और 22 रिले करने वाले केन्द्रों को मौलिक कार्यक्रम प्रसारण केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) 21 प्रतिशत, इससे लगभग 82 प्रतिशत क्षेत्र में कार्यक्रम सुने जा सकेंगे।

आकाशवाणी केन्द्र, कटक

2491. **श्री धुलेश्वर मीना** :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जनवरी, 1966 तक आकाशवाणी के कटक (उड़ीसा) केन्द्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने 'स्टाफ आर्टिस्ट', तथा अन्य कर्मचारी थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
स्टाफ़ आर्टिस्ट	..	..
अन्य कर्मचारी	25	1
योग .	25	1

भुवनेश्वर स्थित सैनिक स्कूल

2492. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर (उड़ीसा) स्थित सैनिक स्कूल में दाखिले के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये गत वर्ष कितना कोटा रक्षित किया गया था; और

(ख) कितने उम्मीदवारों को गत वर्ष वस्तुत: दाखिला मिला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) भारत के किसी सैनिक स्कल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के छात्रों के दाखिले के लिए कोई कोटा आरक्षित नहीं किया गया; परन्तु यदि कोई ऐसा छात्र प्रविष्टि परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए, अर्हतासूची में उसका चाहे कैसा ही स्थान हो, उसे दाखिल कर लिया जाता है।

(ख) 1965 में भुवनेश्वर के सैनिक स्कूल में दाखिल किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के ऐसे छात्रों की संख्या थी :

उड़ीसा से	3
नागालैंड से	34
उत्तर पूर्वी सीमा से	4
कुल संख्या .	41

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के विद्यार्थी

2493. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राष्ट्रीय सेनाछात्र दल में कुल कितने विद्यार्थी हैं ;

(ख) राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के विद्यार्थियों को राइफलों तथा कारतूसों के बारे में क्या सुविधायें दी जाती हैं ; और

(ग) क्या इस प्रशिक्षण को स्थायी बनाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 15.44 लाख ।

(ख) तथा (ग) : एन० सी० सी० छात्रों को निम्न प्रकार की राईफलों के प्रयोग के लिए सुविधाएं दी जाती हैं :—

(1) ड्रिल उद्देश्यों के लिए खाली गोलियों के लिए प्रशिक्षण के लिए (डी० पी० वी० एफ०) राईफलें ।

(2) चांदमारी अभ्यास के लिए .22 राईफलें ।

(3) चांदमारी के लिए .303 राईफलें ।

वरिष्ठ डिवीज़न तथा छात्रा डिवीज़नों की विभिन्न यूनिटों के लड़कों और छात्राओं के लिए गोलि-बारूद के उपयुक्त माप नियत किए गए हैं ।

आजाद हिन्द फौज के सैनिक

2494. **श्री हेम राज :**
श्री काजरोलकर :
श्री पाराशर :
श्री दि० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज़ाद हिन्द फौज के "ब्लैक" और 'ग्रे' श्रेणियों के सैनिकों को उनके वेतन की बकाया राशि दे दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : उल्लिखित सेविवर्ग को, अर्थात् भारतीय सेना के ऐसे भूतपूर्व सेविवर्ग को जो पिछले विश्वयुद्ध में भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हो गए थे और जिनका 'कृष्ण' और 'श्वेत' वर्गीकरण किया गया था, वेतन का कुछ बकाया देना शेष नहीं है। कुछ अवधियों के इन सेविवर्ग के वेतन और भत्ते जब्त कर लिए गए थे । जब्त किए गए वेतन और भत्तों को बहाल करने पर सरकार द्वारा विचार किया गया था, परन्तु बहाल करना स्वीकार नहीं किया गया था । तदपि ऐसे सेविक वर्ग को विभिन्न रियायतें दी गई हैं । विस्तार संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5821/66 ।]**

Restrictions on Pakistani Diplomats

2495. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that restrictions imposed on the movement of Pakistani diplomats stationed at Calcutta nave been completely lifted; and

(b) if not, the nature of restrictions which still remain in force?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

Protest Note from China

2496. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China has sent another protest note on the 31st January, 1966, accusing India of 39 border violations; and

(b) if so, the reply sent by Government thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir. The Chinese Government have sent us another protest note on the 31st January, 1966 levelling a series of false and mischievous allegations, many of which have already been refuted by the Government of India as totally baseless.

(b) The reply to this Chinese note is to issue shortly.

National Defence Fund Collection by D.M.C.

2497. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news published in a Hindi daily 'Veer Arjun' of the 5th February, 1966 that the Delhi Municipal Corporation has not deposited the money in the treasury collected for the National Defence Fund; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter?

The Prime Minister (Shrimati Indira Gandhi) : (a) & (b). Yes, Sir. However, the news is not quite correct. Out of a sum of Rs. 2,27,941.64 collected for the National Defence Fund, Rs. 2,20,981.87 have already been deposited. Collections are deposited progressively. This amount has also been accounted for and steps are being taken to deposit the balance.

आनन्दपुर साहिब में सैनिक प्रशिक्षण स्कूल

2498. श्री दलजीत सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि पंजाब में आनन्दपुर साहिब में गुरू गोविन्द सिंहजी की स्मृति में इंडियन मिलिटरी एकेडमी, देहरादून के अनुरूप एक सैनिक प्रशिक्षण स्कूल खोला जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : सितम्बर, 1965 में 'ट्रिब्यून', अम्बाला के सम्पादक को दो व्यक्तियों द्वारा सम्बोधित एक पत्र की प्रतिलिपि पंजाब सरकार ने भारत सरकार को उचित कार्यवाही के लिए भेजी थी, जिस में आनन्दपुर साहिब में एक सैनिक अकादमी की स्थापना का सुझाव दिया गया था। पंजाब सरकार को सूचित कर दिया गया था कि देश में अतिरिक्त सैनिक अकादमी स्थापित करने की कोई प्रायोजना न थी, जिसके संबंध में सुझाव पर विचार किया जा सकता।

भारत और जापान के बीच विचार विमर्श हेतु बैठकें

2499. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री राम हरख यादव :
श्री दि० च० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान की सरकारों के बीच विचार विमर्श करने के लिये बैठकों के आयोजन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इन बैठकों का प्रस्ताव किसने किया था ;

(ग) विचार विमर्श किन-किन मुख्य बातों पर किया जायेगा ;

(घ) ये बैठकें कब होंगी ; और

(ङ) इन बैठकों के क्या परिणाम निकलने की आशा है ?

वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत और जापान की सरकारों ने निर्णय किया है कि दोनों सरकारों के अधिकारियों के बीच साल में एक बार क्रमशः नई दिल्ली और टोकियों में मीटिंग आयोजित की जाएं ।

(ख) मीटिंगों का यह प्रस्ताव दोनों देशों के बीच निकट संबंध रखने की आपसी इच्छा से हुआ है ।

(ग) वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से उत्पन्न सामान्य सवाल और दोनों देशों के आपसी हित के अन्य मामले ।

(घ) पहली मीटिंग 3 और 4 मार्च को हो चुकी है । चूंकि यह स्थगित बैठक थी, जो कि सितंबर, 1965 में होनी चाहिए थी, इसलिए यह फैसला किया गया है कि दूसरी बैठक इस साल के अंत में टोकियों में होनी चाहिए ।

(ङ) आशा है कि समान हित के अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के मामलों पर एक-दूसरे देश की समझ-बूझ को बढ़ावा मिलगा और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सुदृढ़ हो सकेंगे ।

कश्मीर युद्ध से शिक्षा

2500. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 नवम्बर, 1965 के टाइम्स आफ इंडिया में उद्धृत किये गये यू० एस० कमांड एंड जनरल स्टाफ कालेज कैन्सास की अधिकृत पत्रिका में छपे "काश्मीर युद्ध से शिक्षा (लैसन्स फ्राम दी वार इन काश्मीर)" शीर्षक के लेख की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त लेख में व्यक्त किये गये विचारों से कहां तक सहमत है ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : "काश्मीर में युद्ध से शिक्षा" शीर्षक वाला लेख सरकार के सामने आया है, जो यू० एस० सेना कमान और जनरल स्टाफ कालेज फोर्ट लीवनवर्थ, कंसास द्वारा सैनिक पुनरीक्षण में प्रकाशित हुआ था । यद्यपि लेख कुछ हद तक भारतीय पक्ष में है, कुछ तथ्य जिनपर लेखक ने अपने विचार प्रकट किए ठीक नहीं हैं अथवा अधूरे हैं ।

सैनिक सामान देने के बारे में पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का समझौता

2501. श्री काजरोलकर :

श्री पाराशर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1966 के "इंडियन ऐक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि काहिरा में यह अफवाह फैली हुई है कि सऊदी अरब 30 करोड़ डालर की युद्ध विषयक सामग्री का, जिसे बेचने के बारे में ब्रिटेन तथा अमरीका ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ करार किया है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देगा ;

(ख) सऊदी अरब को किस प्रकार के हथियार मिलेंगे और पाकिस्तान को क्या सामान दिया जाना तय हुआ है ; और

(ग) क्या इस बात की सचाई का पता लगाने और इसका भारत पर होने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने के लिये सरकार द्वारा कोई पूछताछ की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा सऊदी अरब को जो हथियार दिए जाने हैं, उनमें आवश्यक राडार और संचार समर्थक वस्तुओं के अतिरिक्त ब्रिटिश लाइट-निंग हवाई जहाज और अमरीकी हाक मिसाइल्स भी शामिल हैं।

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इनमें कोई भी उपकरण किसी भी रूप में पाकिस्तान के लिए है।

पादरी श्री माइकल स्काट से पत्र

2502. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड शांति मिशन के सदस्य, पादरी श्री माईकल स्काट, ने अपने एक पत्र में प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है कि एक ऐसे विशेषज्ञ आयोग द्वारा नागालैंड संबंधी मामलों का "गहनतर अध्ययन" कराया जाये जो तनावपूर्ण तथा हिंसा की निरन्तर धमकी से मुक्त वातावरण में अभी तक विद्यमान भ्रान्तियों को दूर करने में समर्थ हो ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इन के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस तरह का कमीशन बनाना आवश्यक नहीं समझती।

भारत तथा इजराइल के बीच सैनिक सहयोग

2503. श्री धर्मलिंगम : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ अरब देशों से प्राप्त इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि भारत तथा इजराइल के बीच सैनिक सहयोग स्थापित किये जाने की एक योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह समाचार कहां तक सच हैं ;

(ग) क्या सरकार ने खुले आम इन समाचारों का खण्डन किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार ने कुछ अरब देशों के अखबारों में प्रकाशित सोद्देश्य खबरों तथा कुछ संगठनों के बयानों को भी गंभीरता की दृष्टि से देखा है जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि सैनिक साज-सामान की खरीद के लिए इजराइल से गुप्त बातचीत हुई है।

(ख) ये खबरें जो बिलकुल झूठी हैं, ऐसे लोगों द्वारा फैलाई गई हैं जो भारत-अरब देशों के संबंधों में बिगाड़ पैदा कराना चाहते हैं।

(ग) भारत सरकार ने इस मामले को विभिन्न अरब सरकारों और अरब लीग के साथ उठाया है और इस का निश्चित रूप से खंडन किया है कि हथियारों की सप्लाई के बारे में इजराइल के साथ खुले तौर पर या गुप्त रूप से कोई बातचीत की गई है अथवा करने का विचार है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आसूचना (इंटेलीजेंसी) व्यवस्था

2504. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हमारी आसूचना व्यवस्था की प्रभावकता के संबंध में मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो आसूचना कार्य में किस प्रकार की शिथिलता पाई गई है ; और

(ग) इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : आसूचना संगठन की क्रियाशीलता के सम्बंध में सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन

2505. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के किन-किन उद्योगों का प्रतिरक्षा उत्पादन कार्य के लिए उपयोग किया गया है ; और

(ख) वे क्या कार्य कर रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : रक्षा मंत्रालय के अधीन राजकीय क्षेत्र के उपकरणों के अतिरिक्त निम्न निजी क्षेत्र के उद्योगों का रक्षा उत्पादन कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है :—

हिन्दुस्तान स्टील लि०

फर्टिलाईज़र कार्पोरेशन, भारत, लि०/हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ लि०

हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि०

इंडियन टेलिफोन्स लि०

इंडियन आयल कार्पोरेशन लि०

एटामिक इनर्जी एस्टैब्लिशमेण्ट, ट्राम्बे

सी० एस० आई० आर० के अधीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं

प्रोटोटाईप सेण्टर, ओखला।

रक्षा उत्पादन कार्य के लिए प्रयोग में लाये जा रहे निजी क्षेत्र के उद्योग संख्या में इतने हैं कि उन्हें सूचिबद्ध करना कठिन है। केवल हथियारों के संघटकों और गोलिबारूद के लिए ही डी० जी० ओ० एफ० द्वारा 125 औद्योगिक यूनिटों को 1963-64 के दौरान 9.20 करोड़ रुपये के आर्डर भेजे गए थे। अन्य उत्पादन यूनिटों द्वारा असैनिक क्षेत्र के उद्योगों को भी आर्डर भेजे गए थे। भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० ने 1965 में निजी क्षेत्र की औद्योगिक यूनिटों को 1965 में लगभग 30 लाख रुपये के मूल्य के आर्डर भेजे थे।

खाम, पदार्थों, संघटकों, उपसंयोजनों और तैयार माल की आवश्यकताएं औद्योगिक यूनिटें पूरा करती हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं विकास कार्य करती हैं और ऐसे पदार्थों के उत्पादन की स्थापना को पाइलाट करती हैं, जो इस समय आयात किए जाते हैं। ऐसी मदों के उदाहरण हैं फेरो-अलाय और रसायन।

सीरिया की नई सरकार को मान्यता

2506. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीरिया की नई सरकार को मान्यता देने के बारे में भारत सरकार ने कोई औपचारिक पत्र भेज दिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जी नहीं। सीरिया की सरकार ने औपचारिक मान्यता के लिए नहीं कहा है।

श्री ननकाना साहेब का प्रबन्ध

2507. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 28 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1181 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री ननकाना साहेब के प्रबंध के लिये शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर द्वारा कुछ सेवादार भेजे जाते हैं और सारा खर्चा यह कमेटी वहन करती है और पाकिस्तान सरकार द्वारा अथवा पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों संबंधी वक्फ बोर्डों द्वारा प्राप्त की गई आय में से कुछ भी नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मरम्मत न किये जाने के कारण पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों की दशा बहुत खराब हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार से इस मामले में बात-चीत करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1955 के पंत-मिर्जा क़रार के अंतर्गत जो भारत-पाकिस्तान सम्मिलित समिति बनाई गई थी, उसे पाकिस्तान-स्थित सिख पूजास्थानों से होने वाली आमदनी का उपयोग करने के प्रश्न पर विचार करना था। दुर्भाग्य से, इस समिति की केवल एक बार बैठक हो सकी ; हम पाकिस्तान को इस बात पर राज़ी करने की क़ोशिश कर रहे हैं कि वह आगे मीटिंग करने पर सहमत हो जाए।

(ग) रिपोर्ट है कि पाकिस्तान-स्थित सिखों के कुछ धार्मिक पूजा-स्थानों की दशा असंतोषजनक है।

(घ) पाकिस्तान-स्थित सिख पूजा-स्थानों के समुचित रख-रखाव का प्रश्न भी उस विषय का अंग है जिस पर पंत-मिर्जा क़रार के अंतर्गत स्थापित भारत-पाकिस्तान सम्मिलित समिति को विचार करना है।

Class III and IV Posts in A.I.R. Station, Gwalior

2508. Shri Surya Prasad : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some vacant class III and class IV reserved posts at Gwalior Station of the All India Radio have not been filled up for a long time; and

(b) if so, the number of posts lying vacant, the date since when they have been lying vacant and the reasons for not filling them?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) & (b). Certain Class III and Class IV reserved posts at All India Radio, Gwalior could not be filled up since the date of their creation *i.e.* 15-5-64. The particulars of these posts and the reasons for not filling them are as under :

Name of the post	No. of the posts	Reasons for not filling the posts
Transmission Executive (Class III).	2 (Reserved for Scheduled Castes).	Recruitment for this cadre is made centrally after holding open competitive examination. Applications have already been received and steps are being taken to hold the examination as soon as possible.
Motor Driver (Class III)	1 (Reserved for Scheduled Castes).	No suitable candidate could be found earlier. A suitable candidate has since been found and steps are being taken to appoint him.
Peon (Class IV) .	1 (Reserved for Scheduled Tribe).	Inspite of best efforts no suitable candidate has so far been found.
Farash (Class IV) . .	1 (Reserved for Scheduled Tribes).	

भोपाल स्थित आकाशवाणी केन्द्र के कर्मचारियों के लिये किराया

2509. श्री समनानी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को निर्माण और आवास मन्त्रालय के पत्र संख्या एफ० 875ई०ई०/59 दिनांक 20 नवम्बर, 1959 के बारे में जानकारी है, जिसमें यह सिद्धान्त निर्धारित किया गया है कि भोपाल स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राज्य सरकार को वह किराया देना पड़ेगा, जो वे राज्य सरकार के कर्मचारी होने की अवस्था में देते ;

(ख) यदि हां, तो क्या भोपाल स्थित आकाशवाणी केन्द्र के कर्मचारियों पर भी वहीं सिद्धान्त लागू किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। निर्माण और आवास मन्त्रालय का पत्र संख्या एफ० 875-ई० ई०/59 (सही संख्या 8575-ई०ई०/59) दिनांक 20 नवम्बर, 1959 जो शिक्षा मन्त्रालय को सम्बोधित था, आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा इस मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था।

(ख) मामले पर निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय के साथ मिल कर विचार किया जा रहा है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

विज्ञापन नीति

2510. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारत छोटे तथा मध्यम समाचारपत्र सम्पादक संघ ने अपनी 23 फरवरी, 1966 की बैठक में यह मांग की थी कि सरकार को अपनी विज्ञापन नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार ने अखिल भारतीय छोटे तथा मध्यम समाचार पत्र सम्पादक संघ की स्थायी समिति के फरवरी, 1966 के प्रस्ताव की रिपोर्ट को देखा है, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार आदि की विज्ञापन नीति में परिवर्तन करने की मांग की गई है।

(ख) सरकार की नीति यह रही है कि, थोड़े या मध्यम प्रचारसंख्या वाले समाचार-पत्र को केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन धीमे धीमे बढ़ाए जाएं। विज्ञापन देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनको विज्ञापन देने में कितनी वृद्धि की जा सकती है, इस बात पर लघु समाचार-पत्र जांच समिति की रिपोर्ट और अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

मध्यम तरंग ट्रांसमिटरों का निर्माण

2511. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में मध्यम-तरंग ट्रांसमिटरों का निर्माण करने के बारे में विचार कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये कोई विदेशी सहायता प्राप्त की जायगी ; और

(ग) ट्रांसमिटरों का निर्माण कब से आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) तथा (ख): आकाशवाणी की मध्यम-तरंग ट्रांसमिटरों की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत की आवश्यकताओं के लिए भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने इस प्रकार के ट्रांसमिटरों को बनाने का प्रस्ताव रखा है। उन्हें इस के लिए एक विदेशी कम्पनी से लाइसेंस करार प्राप्त है। इस पर विचार हो रहा है।

(ग) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को आर्डर दिए जाने के 18 से 20 महीनों बाद इस प्रकार के ट्रांसमिटरों के उत्पादन की आशा की जा सकती है।

हैदराबाद में इलेक्ट्रोनिक्स कारखाना

2513. **श्रीमती मैमन सुल्तान :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में स्थापित किये जा रहे इलेक्ट्रानिक्स कारखाने के निर्माण क्षेत्र का काफी प्रसार करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर कौन सी अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जायेगा और प्रत्येक वस्तु के लिए कितनी अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जायगी ; और

(ग) इस योजना पर कितान व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) (ख) तथा (ग): हैदराबाद में स्थापित की जा रही इलेक्ट्रानिकी फैक्ट्री में कुछ अतिरिक्त मदों के निर्माण के प्रस्ताव विचार विमर्श की पहली प्रावस्थाओं में हैं, और योजना के सम्पूर्ण विस्तार और उसकी लागत का अभी निर्धारण नहीं किया गया।

भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान कब्जा किये गये माल की वापसी

2514. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के दौरान भारतीय सेनाओं द्वारा कब्जा किये गये सैनिक हथियार आदि तथा अन्य वस्तुएं भारत ने पाकिस्तान को वापस कर दी हैं ;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने भी कब्जा की हुई वस्तुएं लौटा दी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भारत को उन्होंने अब तक क्या-क्या वस्तुएं लौटायी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क), (ख) तथा (ग): हाल के भारत पाकिस्तान युद्ध में कब्ज़े में आए हथियार और गोलीबारूद न भारत द्वारा पाकिस्तान को लौटाए गए हैं, न पाकिस्तान द्वारा भारत को। तदपि कुछ असैनिक चल सम्पत्ति जैसे कि मोटर गाड़िएं, ट्रैक्टर, नलकूप साज़सामान जो भारतीय सेना द्वारा 6 सितम्बर से 22 सितम्बर 1965 तक कब्जे में की गई थी सद्भावना के तौर पर पाकिस्तान को लौटा दी गई थी।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री सुबोध हंसदा (झाड़ग्राम) : मैं इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड के बारे में प्राक्कलन समिति के चौतीसवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का चौदहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1965-66-जारी

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL) 1965-66—Contd.

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि रेलवे में असिस्टेंट अधिकारि ों के तीन वर्ग हैं, अर्थात प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा अस्थायी। ये सारे वर्गों के व्यक्ति एक ही प्रकार काम करते है। अत: मेरा कहना यह है कि दूसरी श्रेणी की सेवाओं को प्रथम श्रेणी की सेवाओं में विलीन कर दिया जाना चाहिए। यदि एक दम यह सम्भव न हो तब तक द्वितीय श्रेणी की सेवाओं समाप्त नहीं कर दी जाती तब तक उनके लिए कुछ संरक्षणों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि मैसर्स एपेक्स ब्रदर्स, देश के लिए कुछ विदेशी मुद्रा का अर्जन कर रहे हैं। उनको बन्द करने के निर्णय पर वा।णिज्य मंत्रालय द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी आक्रमण के समय आर० एस० एन० तथा आई० जी० एन० के मजदूर बेकार हो गये थे। अब जब कि ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर हो गये है, इस लिए उन्हें पाकिस्तान होकर स्टीमर सेवाओं को चालू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी प्रकार की स्थिति आसाम की भी है। वहां भी सिल्चर तथा आसाम के अन्य भागों के बीच भी इसी प्रकार की सेवा पुन: चालू कर दी जानी चाहिए। यह खेद की बात है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना को समाप्त कर दिया गया है। इसके समाप्त हो जाने के फलस्वरूप कई अध्यापक बेरोजगार हो गये है। मेरे विचार में तो यह योजना बहुत ही उपयोगी है और मेरा आग्रह यह है कि इसको चालू रखा जाना चाहिए। मुझे श्री भक्त दर्शन जी ने बताया है कि इसे छ: मास के लिए ही स्थगित किया गया है।

इसके बाद मैं खाद्य विभाग की ओर आता हूँ। कहा जा रहा है कि खाद्य विभाग के कर्मचारियों को खाद्य निगम में तबदील करके भेजा जा रहा है। परन्तु उनसे कहा जा रहा है कि वह वर्तमान पदों से त्याग पत्र दें और निगम में अपनी नियुक्ति दोबारा करा लें। मेरा विचार यह है कि यह शर्त बहुत ही अनुचित शर्त है। ऐसा करना उनके साथ अन्याय करना होगा। मेरा आग्रह यह है कि उनकी सेवा शर्तों को तथा निरन्तर सेवा को बनाये रखने के लिए कार्यवाही होनी चाहिए। इसी प्रकार की बात स्टेशनरी के बारे में है। विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत कलकत्ता में स्टशनरी आफिस का, जिसमें 1438 कर्मचारी है। उनका दूसरे स्थानों पर तबादला नहीं किया जाना चाहिए इससे न केवल कर्मचारियों को ही परेशानी होगी, सरकार को भी इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरा आग्रह यह है कि सरकार संघ खाद्य मंत्रालय को उन राज्यों को अधिक धन देकर सहायता करनी चाहिए, जहां कि सूखे की स्थिति का फसलों पर काफी प्रभाव हुआ है। बिहार सरकार के लिए इसके लिए कुछ कर पाना बहुत कठिन है और केन्द्र को सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : माननीय सदस्यों ने जिन बातों का उल्लेख किया है उनका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। श्री स० मो० बनर्जी ने प्रबन्धक एजन्टों की अवधि को बढ़ाये जाने के बारे में उल्लेख किया है। यह कहा गया है कि कुछ प्रबन्धक एजेंसियों की कार्य-अवधि पांच से दस वर्ष तक बढ़ा दी गई है जबकि एक यह अधिसूचना जारी की गई थी कि कार्य-अवधि को सामान्यतया 31 मार्च, 1967 से आगे तक नहीं बढ़ाया जाएगा। वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त अधिसूचना एक प्रेस विज्ञप्ति के रूप में जारी की गयी थी जो 1 जनवरी, 1966 के समाचार पत्रों में छपी थी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह निर्णय इस स्थिति से बहुत पहले ले लिया गया था कि प्रबन्ध एजेन्टों की कालावधि अलग अलग समय के लिए बढ़ाई जाये। पहले के मामलों के बारे में किसी समय अगस्त 1965 में निर्णय किया गया था उन मामलों में समय बढ़ाने के प्रार्थना-पत्रों पर समवाय विधि सलाहकार आयोग ने जांच की थी। इस आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।

लौगिंग प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये भारत में विदेशियों को लाने के बारे में आपत्ति की गई थी। यह हमारे लिये एक नया क्षेत्र है और संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता कार्यक्रम का एक भाग है। भारत सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी ने प्रत्येक विशेषज्ञ के बारे में मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त इंडियन आयल निगम और अन्य संस्थाओं की भी मांगें है, जो कि अनुपूरक मांगों के रूप में प्रस्तुत की जायेगी। अत: किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष रख गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1965-66 के लिए बजट (सामान्य) संबंधी निम्न लिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा अस्वीकृत हुई / *The following supplementary Demands in respect of Budget (General), 1965-66 were put and adopted.*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
4	असैनिक मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,39,000
7	वाणिज्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,000
11	रक्षा-सेवाऐं—सक्रिय-स्थल सेना	22,03,00,000
12	रक्षा सेवाएं—सक्रिय-नौसेना	2,48,00,000
14	रक्षा सेवाएं—निष्क्रिय	1,76,50,000
21	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	90,68,000
25	वित्त मंत्रालय	12,51,000
27	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	40,75,000
28	निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	25,00,000
30	लेखा परीक्षा	55,00,000
31	मुद्रा और सिक्का ढलाई	1,12,55,000
32	टकसाल	16,81,000
36	अफीम	11,40,000
37	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	21,67,82,000
39	राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	6,00,00,000
46	वन	11,80,000
48	स्वास्थ्य मंत्रालय	1,30,000
51	गृह मंत्रालय	44,00,000
52	मंत्रीमण्डल	92,000
54	न्याय प्रशासन	28,000
55	पुलिस	2,27,57,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
57	अंक संकलन . . .	44,31,000
58	भारतीय राजाओं को निजी थैलियां और भत्ते	86,000
59	दिल्ली . . .	1,40,00,000
60	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	10,00,000
63	गृह-मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	1,000
64	उद्योग और सम्भरण मंत्रालय . . .	4,22,000
69	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . .	24,000
70	प्रसारण	28,00,000
71	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	20,00,000
72	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	2,80,000
74	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	93,00,000
78	श्रम और नियोजन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	32,99,000
82	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय . . .	1,49,000
83	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	94,000
84	पुनर्वास मंत्रालय .	1,30,000
87	भूगर्भ सर्वेक्षण	1,39,47,000
88	इस्पात और खान मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	2,11,48,000
93	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत .	30,55,000
95	निर्माण और आवास मंत्रालय	1,47,000
96	सरकारी निर्माण-कार्य	3,11,09,000
100	परमाणु-शक्ति गवेषणा	6,00,000
103	डाक और तार (कार्य चालन) व्यय . . .	2,07,05,000
104	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधि में विनियोग . .	1,000
106	संसद विषयक विभाग	70,000
107	सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,64,000
114	असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	77,000
115	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	85,000
118	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	1,21,37,000
119	विदेश मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	10,00,000
121	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय . .	6,41,66,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
122	टकसालों पर पूंजी परिव्यय . . .	8,13,000
124	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	64,84,000
127	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम .	70,00,00,000
130	खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	13,00,01,000
131	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	82,59,000
132	गृह मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	25,00,000
134	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	1,000
135	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	6,61,06,000
136	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	12,45,000
138	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	12,77,02,000
140	इस्पात और खान मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	1,38,00,000
142	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय .	1,51,18,000
148	डाक और तार पर पुंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं) .	1,000

सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) संशोधन विधेयक, 1966

ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) AMENDMENT BILL, 1966

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) विनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक की वर्तमान अवधि 4 अप्रैल, 1966 को समाप्त हो रही है। इसकी अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाने का और उसे नागालैंड के पूरे राज्य पर लागू करने का प्रस्ताव है।

इस विधेयक का सिद्धान्त स्वीकार किया जा चुका है। और यह काफी बरसों से चला भी आ रहा है। आज की हालत में राज्य की स्थिति को देखत हुए यह नहीं कहा जा सकता कि सेना को नागालड के असनिक अधिकारियों की सहायता के लिए नहीं बलाया जायगा। यह बात भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुलिस के अधिकारियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पांच व्यक्तियों से अधिक लोगों के इकट्ठ होने पर रोक लगाई जायगी। बिना चेतावनी दिय जहां सशस्त्र खतरा होगा लोगों को गिरफ्तार किया जा सकेगा और किसी भी स्थान की तलाशी ली जा सकेगी। सेना को नागरिकों की र ा के लिए बलाया जा सकेगा।

[श्री स्वर्ण सिंह]

इस विधेयक को इस लिए पेश किया जा रहा है कि संसद् द्वारा पारित कानून की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी जाय। वसे नागा प्रश्न के शांति पूर्ण हल के लिए जो कुछ भी प्रयत्न किये जाते रहें हैं उसके बारे में संसद को समय-समय पर जानकारी दी जाती रही है। सरकार पूरी ईमानदारी से यह प्रयास कर रही है कि शान्ति-पूर्ण तरीकों से समस्या को हल किया जाय। परन्तु यह खेद की बात है कि छिपे हुए नागा लोगों की गतिविधियां बढ़ जाने के कारण सशस्त्र सना को बुलाना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभा के सामने जो विधयक है उसमें वर्तमान कानून को एक वर्ष के लिए बढाये जाने का प्रस्ताव है। यह बडे दुर्भाग्य की बात है कि विधेयक का समय केवल एक वर्ष के लिए बढ़ाया नहीं जा रहा बल्कि इसको नागालैंड के अन्य क्षेत्रों पर भी लागू किया जा रहा है। इस से इस तथ्य का पता लगता है कि नागालैंड क अन्य क्षेत्रों में भी गड़बड़ी फैल रही है। वास्तव में यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एसे भारत विरोधी लोगों से तीन सदस्यों की एक समिति जिसमें एक राज्य के मुख्य मंत्री भी शामिल हैं बातचीत कर रही है और जो स्वतंत्र नागालैंड चाहते हैं।

हम चाहते हैं कि सरकार हमें यह बताये कि नागा विद्रोहियों के जो प्रतिनिधि प्रधान मंत्री से दिल्ली में मिलने आये थे और जो खुले आम अपने आपको नागालैंड 'फैडरल गवनमेंट' का प्रतिनिधि बताते थे, वे किस हैसियत से यहां आये थे। राष्ट्र तथा सभा को बताया जाना चाहिये कि उनकी क्या हैसियत थी। यदि इस प्रश्न को अस्पष्ट छोड़ दिया गया तो समस्या और भी अधिक गम्भीर हो जायेगी। सरकार को ऐसे किसी प्रतिनिधि मण्डल से बातचीत नहीं करनी चाहिये थी जो अपने आपको स्वतन्त्र सरकार के प्रतिनिधि बताते थे। अन्यथा इससे निष्ठावान नागाओं का, जो भारत से प्यार करते हैं, नतिक पतन हो जायगा। विद्रोही नागाओं से जो भी बातचीत होती है उससे डा० शिलू आओ को सूचित रखा जाना चाहिये।

वैदेशिक-कार्य मंत्री को यह बताना चाहिये कि उनकी इस दिशा में क्या नीति है। अब अप्रैल में नागा लोग फिर प्रधान मंत्री से बात चीत करने वाले ह। मेरा कहना है इन लोगों को क्यों मान्यता दी जाती है। उन लोगों को स्पष्ट कह दिया जाना चाहिए कि उनकी मांगों पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जा सकता है, जबकि वे भारत संघ में रहना स्वीकार करे। उन्हें नागालैंड में अपनी सरकार बनाने का विचार छोड़ देना चाहिए।

मंत्री महोदय ने ठीक ही इस बातपर जोर दिया है कि हमें इस समस्या का सैनिक हल ही नहीं वरन् राजनैतिक हल भी ढूंढना है। दुर्भाग्यवश, नागा समस्या और नागालैंड क संबंध में सरकार की अनिश्चित और ढीलीढाली नीति के कारण ही यह उपद्रव अभी हाल में मिजो पहाड़ियों में भी शुरू हो गया है।

यह बात गृह-कार्य मंत्री ने स्वयं ही स्वीकार की थी कि नागाओं की तरह मीजों लोगों को भी पाकिस्तान में छापामार युद्ध करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता रहा। परन्तु मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या अब भी नागा लोग भारत और पाकिस्तान के बीच आसानी से आ-जा रहे हैं। क्या सरकार उनकी गतिविधियों को रोकने में सफल हुई है कि नहीं ? मैं सरकार से यह निवदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का कोई राजनीतिक हल खोज निकालना चाहिए। सरकार को एक बात समझ लेनी चाहिए काफी संख्या में ऐसे नागा लोग है जो कि अब भी हमारी सरकार के प्रति वफादार है। सरकार यदि चाहती है तो विद्रोही नागाओं से बातचीत कर सकती है, परन्तु जो भी स्थिति हो उसकी सूचना

नागालैंड की शीलो ओ सरकार को देते रहना चाहिए। उन्हें यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी उपेक्षा की गयी है। यह भी ठीक है कि केवल सैनिक हल की ही अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जलौर) : एक प्रश्न इस विषय पर सब को परेशान करता है कि वहां के हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। काफी समय से यह समस्या हमें चिन्तित किये हुए है। आज जो स्थिति नागालैंड में है उसे देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन उपबन्धों तथा विशेष शक्तियों का विस्तार करने से इन्कार कर सके। इस बात की आशा की जानी चाहिए कि आगामी वर्ष तक हालात ठीक हो जायेंगे। सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाये जाएंगे कि इन उपबन्धों की अवधि और अधिक बढ़ाने की नौबत ही नहीं आयेगी। हमें इस बात से चिन्ता है कि नागाओं की गतिविधियां आस पास के क्षेत्रों में भी निरन्तर बढ़ रही है। ऐसे क्षेत्र भी उनसे प्रभावित हो रहे हैं जिन में इस से पूर्व कुछ भी नहीं था। यह सब उस नीति का परिणाम है जो कि हमारी सरकार निरन्तर पिछले कुछ दिनों से अपना रही है। मेरा अनुरोध यह है कि सरकार को इस दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए और विधि और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कठोर कार्यवाही करनी होगी।

इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि श्री स्काट जो यहां आये थे और हमें उनसे भेंट करने का अवसर मिला था। इस बात को हमें स्वीकार करना है कि हम पर उनका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं हुआ है। उनका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदार रहा है और वह वक्तव्य भी बहुत गैर जिम्मेदारी से देते रहे हैं। वे वक्तव्य ऐसे हैं जिन्हें कि कोई भी स्वतन्त्र सरकार सहन नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि वह भारत में कठिनाइयां पैदा करने के लिए आये थे। राष्ट्र हित में उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। शांति मिशन कुछ भी नहीं कर पाया है। यहां तक कि जय प्रकाश नारायण जैसा साहसपूर्ण व्यक्ति भी वहां न चल सका। उनका धीरज भी समाप्त हो गया। अब आसाम के मुख्य मंत्री का भी इस में रहना केवल उपहासप्रद ही होगा।

श्री जय प्रकाश नारायण को यह महसूस हो गया कि जिन लोगों के हित के लिए वह अपना सारा जोर लगा रहे थे, उनका व्यवहार तर्कपूर्ण नहीं था। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आसाम के मुख्य मंत्री को भी नागाओं से बातचीत करने से रोका जाना चाहिए। उन्हें यह बात महसूस करनी चाहिए कि वह गैर-सरकारी व्यक्ति नहीं है। अब तो सरकार को उनके साथ सीधा ही सम्पर्क रहना चाहिए। श्री स्काट को यह स्पष्ट बता दिया जाना चाहिए कि यदि वह वास्तव में नागाओं की भलाई चाहते हैं तो इस समस्या से उन्हें सदा के लिए हट जाना चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को न केवल अपने वक्तव्यों प्रत्युत अपने कृत्यों से भी, बार बार इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस समस्या का कोई भी हल भारतीय संविधान के ढांचे के अन्तर्गत ही सम्भव हो सकेगा। इस समस्या को हल करने का काम गृह-कार्य मंत्रालय को सौंप दिया जाना चाहिए। हम यह अनुभव कर रहे हैं कि स्थिति बिगड़ती ही चली जा रही है। और इसका प्रभाव अन्य स्थानों पर भी पड़ा है। हम यह नहीं चाहते कि मिज़ो जिले जैसी स्थिति अन्य स्थानों में भी उत्पन्न हो। हमें प्रत्येक स्थिति में हालात का मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिये। देश भक्त नागाओं को भी निराश नहीं करना चाहिये। जो लोग हमारे साथ नहीं है उन्हें लाभ नहीं उठाने देना चाहिये। सरकार को यह बात समझ लेनी चाहिये कि जनता सरकार की इस नीति की समर्थक नहीं है।

Shri S. M. Bannerjee (Kanpur) : There is nothing in this Bill which should be opposed. Only one question has been put to the honourable Minister and that is that why the administration of Nagaland is being conducted by the Ministry of

[Shri S. M. Bannerjee]

External Affairs. It should have been looked after by the Ministry of Home Affairs. I remember when this question once came up before the House on some previous occasion, Shri Kriplani very severely criticised. But nothing has been done so far in this connection. The assurance was also given but never implemented. I am of the opinion that this is in effect an acceptance of a demand of Naga Hostiles that they are a seperate entity.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

We have always been of the opinion that a peace mission is not needed at all. And the negotiations with the mission will be ultimately harmful in the interest of the country. Let me urge that even at this it should be given up. This has become now very clear that Shri Scott is the only link that exists between Phizo, the rebel leader and the hostile Nagas who have been receiving training in Pakistan. After training they came back to create difficulties for us in this country. The statements and writings, which have come to light, issued by Shri Scott are highly irresponsible. It has very clearly revealed his inner mind. He was having in his mind the establishment of independent state of Nagaland.

Let it be understood that he is mainly responsible for bringing on the fore the demand of independence of Nagas. And this is the only cause why the secessionist tendencies have so much been intensified and one section of Nagas is speaking the hostile language. Let me state that the right course in this direction is that he should be arrested immediately under the D.I.R. If it is not possible then he should be at once externed from India and he should not be allowed again to come to the country. Government should not have any peace mission between themselves and the Nagas and hold direct talks with them. It is very sad that the separate tendency in Nagaland is spreading and it must be checked at all costs. We should not use armed forces against the civilians. Michel Scott should go out of India immediately.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस विधेयक पर विचार करते हुए मुझे बड़ा खेद हो रहा है। कई निर्धारित बातें समाप्त हो रही है। शांति के स्थान पर सरकार अशांति पैदा करने का कारण बन रही है। सरकार ने अपनी नीतियों से सर्वत्र भ्रम पैदा कर दिया है। और यह भी देखने में आया है कि सरकार प्राय: दबाव में आ जाती रही है। मेरा इस बारे में मत यह है कि नागाओं के साथ बातचीत करने के लिये शांति मिशन को बीच में लाना भारी भूल थी। इस पादरी स्काट को लाया गया है परन्तु यह देखने का कष्ट हमारी सरकार ने नहीं किया है कि यह पादरी स्काट का पूर्व वृत्तान्त भी बहुत बढ़िया नहीं रहा है। उससे निपटने के लिए हमें प्रत्येक प्रकार की सावधानी का प्रयोग करना होगा। क्या यह सत्य नहीं कि श्री स्काट एक अच्छी और स्थापित शांतिपूर्वक सरकार को समाप्त करने में लगे हुए हैं। यह वही सरकार का जो श्री शिलू आओं के नतृत्व में नागा लोगों की व्यवस्था के लिये चल रही है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब शांति मिशन छिन्नभिन्न हो रहा था उस समय वह एक विशेषज्ञ आयोग की स्थापना के लिए प्रयत्न कर रहे थे। मैं यह मांग करना चाहता हूं कि शांति मिशन को सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। इसकी उपयोगिता अब समाप्त हो गयी है। यह बात भी स्पष्ट हो गयी है कि विद्रोही नागा लोग हमारे देश के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए पाकिस्तान से शस्त्र ला रहे हैं। वे यह बात साफ कहते हैं कि वे भारतीय नहीं है और उन्हें स्वतन्त्र नागालैंड का राज्य चाहिए। हमें कभी भी ऐसे लोगों के साथ बातचीत करके पृथकता वाद को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये।

इस अवसर पर जब कि हम अपनी सशस्त्र सेनाओं को विशेष शक्तियां दे रहे है तब हमें उन्हें संरक्षण भी देना ही चाहिए। हमें यह न भूलना चाहिए कि नागालैंड में हमारी सेनाओं का अपमान किया गया है। उनके विरुद्ध सभी प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। हमारे सैनिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि उन्हें भारत के सम्मानित नागरिक समझा जाय। भारत के विरुद्ध कार्य करने वालों को ही सारे अधिकार नहीं दिये जाने चाहिए।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Our Government do not believe in far sightedness. By their own acts they have encouraged the disintegrating tendencies in the country. This fact is clear from the policy that the Government have pursued for the last so many years. This policy alone is responsible for the spread of seperatist tendencies all over the country. We allowed a foreign national to move freely in Nagaland, but the country men could not go there and mix with the people. The same policy is there regarding Kashmir, Nagaland and NEFA. I am of the opinion that the main reason why the problem was aggravated, has been that the people of the other parts of the country were not allowed to go there, move freely and mix with the people of those areas. This is also an important point that this subject has been placed under the External Affairs Ministry. This must come to an end, for this also has been the cause for engendering a mentality of separatism.

Let me also urge that the use of the army for dealing with the internal law and order situation is a bad policy. This has been the cause of the unpopularity of army amongst the people. This also encourages the mentality among the armed forces that the Civil Government are not capable of doing anything and it is the army alone which can restore law and order. It is only at the time of revolt that the army should be utilized. The army should not be used for quelling civilian agitation.

Rev. Michael Scott has done his mischief. It is due to his activities that Nagas were encouraged to indulge in unlawful activities. If there would have been no Michael Scott, Phizo would have faded long ago. It would be better for the country if he is eliminated as soon as possible.

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इसे महसूस करता हूं कि यह मामला वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के हाथ में नहीं होना चाहिए। जब भी कानूनी रूप से गठित प्राधिकार अथवा देश की बहुसंख्यक जनता को खतरा होता है तो यह सभा सरकार को विशेष अधिकार देने से कभी पीछे नहीं हटी है। परन्तु हमें देखना है कि क्या इस शक्ति का बुद्धिमानी और प्रभावी रूप से प्रयोग किया गया है। नागालैंड के बारे में, जिससे यह वर्तमान विधेयक सम्बन्धित है, ऐसा प्रतीत होता है कि इन शक्तियों से कोई लाभ नहीं हुआ है। विद्रोही अधिक जिद्दी होते जा रहे हैं और उनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। मनीपुर की तीन डिवीजनों में इन उपबन्धों का लागू किया जाना इस बात का द्योतक है कि युद्ध-विराम से उन्हें वहां घुसपैठ करने तथा वहां संकट पैदा करने का अवसर मिला है।

उनकी तथाकथित सशस्त्र सेना के लिये लोग भर्ती किये जा रहे हैं। छिपे नागा संगठनों द्वारा इन क्षत्रों में अवैध तथा समकक्ष प्रशासनिक एकक स्थापित किये गये हैं। मनीपुर के कुछ भागों में नागालैंड की तथाकथित संघीय सरकार द्वारा जारी किये गये पास के बिना लोग इधर उधर आ-जा नहीं सकते हैं। कुछ दिन पहले वे मनीपुर के, जो नागालैंड का एक भाग नहीं है, तोलोय में अपनी संसद् भी बुलाना चाहते थे। शान्ति मिशन हर प्रकार से शक्तिहीन था।

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

ऐसे बहुसंख्यक लोगों का संरक्षण करना सरकार का कर्तव्य है जिनको अलग होने की मांगों से कोई सहानुभूति नहीं है। युद्ध-विराम नागा विद्रोहियों के लिये ऐसा लाइसस न बन जाये जिससे वह समझने लगे कि उनको सशस्त्र सेना को पुनः प्रशिक्षित करने तथा शस्त्र सज्जित करने और नय राज्य क्षेत्रों में आतंक फैलाने की खुली छूट मिल गई है। मिजो हिल्स में जो कुछ हुआ है उससे सरकार की आंखे खुल जानी चाहियें। विद्रोही मिजों की गतिविधियों में विदेशी हित रखने वालों का हाथ है। ऐसे समाचार मिले हैं कि एक उग्रवादी मिजो नेता से डा० सुकार्णो द्वारा लिखित पत्र प्राप्त हुए हैं। यदि यह अफवाहें सही हैं तो संसार को यह जानना चाहिये कि कौन ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय तत्व हैं जो हमारी सीमाओं पर आक्रमण के पीछे हैं।

न केवल हमारी सीमाओं पर बल्कि देश के अन्य भागों में भी ऐसे आदिमजाति के लोग है जिन्हें अपने इतिहास तथा संस्कृति पर गर्व है। हम सीमान्त आदिम जाति के लोगों के साथ विशेष व्यवहार क्यों करें और उन्हें अधिक स्वायत्तत्ता आदि के अधिकार क्यों दें। देश में एकीकरण के प्रति रवैये के बारे में दो प्रमाप नहीं होने चाहियें। ऐसे रवये से देश के टुकड़े हो सकते हैं। नागा नेताओं ने यह बात दुहराई है कि वे केवल पृथक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य से ही सन्तुष्ट होंगे। श्री जय प्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति ने शान्ति मिशन के साथ सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। श्री स्काट छिपे नागाओं की मांगों के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ने लगे हैं। इन सब बातों को देखते हुये सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या शान्ति मिशन की आवश्यकता रह गई है।

मै इस बात में विश्वास नहीं करता कि केवल सनिक शासन से ही इस प्रकार की स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है। वास्तव में यह नितान्त आवश्यक है कि वहां शीघ्र सुधार किये जायें और तुरन्त आर्थिक प्रगति के लिए कार्यवाही की जाय और अलग होने की मांगों को मुस्तैदी से दबाया जाये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : इस विषय पर बोलते हुए मैं झिझकता हूं क्योंकि सरकार नागालैंड में एक पेचीदे तथा कठिन कार्य में लगी हुई है।

यह शिकायत बहुत स्थानों पर है कि इस मामले को गृह-कार्य मंत्रालय की बजाय विदेश विभाग क्यों कर रहा है। यदि विदेश विभाग इस समस्या को सुलझा सकता है तो भगवान उनका भला करे।

मुझे पता है कि वहां सेना को लगाया हुआ है और वह वहां के कुछ भागों में आवश्यक भी है। सरकार को सेना ऐसी प्रकार लगानी चाहिये जिस से वहां मैत्री उत्पन्न हो तथा वह शान्ति दूत हो।

यह भी स्पष्ट है कि सेना को वहां बड़ी कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। जब हम वहां गये तो वहां के लोगों ने सेना के विरुद्ध शिकायत की। स्त्रियों ने भी सेना की क्रूरता के विरुद्ध शिकायत की। जब मैं ने उन से कहा कि जो वह कहते हैं उसमें मुझे विश्वास नहीं है परन्तु फिर भी मैं उनके कार्य पर क्षमा मांगता हूं तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ा।

मैंने यह भी देखा कि वहां असैनिक प्रशासन ने भी नागा लोगों के प्रति मानवता का बर्ताव नहीं किया।

नागा शान्ति दल के एक सदस्य जो कि भारतीय नहीं है की बजाय यदि हम उन लोगों से सीधी बातचीत करें तो अधिक अच्छा होगा।

हमें नागालैंड के लोगों से इस सहानुभूति के रवैये से मिलना चाहिये जिस सहानुभूति से श्री नेहरू उनसे बात किया करते थे।

यह कठिन कार्य है परन्तु इस पर हमें आहिस्ता से और सावधानी से चलना है। हमें वहां शान्ति स्थापित करनी है।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : उपाध्यक्ष महोदय, नागालैंड के विद्रोह दूसरे क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। नागालैंड के नेता यहां आये और स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू से नागालैंड के लिये अलग राज्य प्राप्त कर लिया।

अब विद्रोह मनीपुर में भी फैल गया है और मनीपुर को विद्रोहग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। कल 22 मार्च को विद्रोही नागा अपना गणतन्त्र दिवस कोहिमा में ही मना रहे हैं।

नागालैंड की दो तिहाई आबादी गैर-ईसाई हैं परन्तु ईसाई नेताओं के प्रति उनमें बड़ी श्रद्धा है।

शान्ति दल ने वहां नागालैंड में शान्ति स्थापित करवा दी है। वे वास्तव में वहां गोली चलनी बन्द करवाने में ही सफल हुए हैं। वैसे अब तो वहां स्थिति खराब होती जा रही है। जयप्रकाश नारायण के इस्तीफे के पश्चात तो शान्तिदल का पता नहीं क्या बनेगा।

इसी बीच मिज़ो नेशनल फ्रंट के सदस्य विद्रोही बन गये हैं।

हमें नागा नेताओं से एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि यदि वे भारत से अलग होना चाहते हैं तो यह बात नहीं मानी जावेगी।

हमने नागा राष्ट्रवादियों की अवहेलना की है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। यदि नागाओं से कोई बात करनी हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिये।

इस विधेयक की अवधि कम से कम तीन वर्ष के लिये बढ़ा देनी चाहिये। दूसरे इसे न केवल नागालैंड में अपितु मनीपुर और मिज़ो क्षेत्र में भी लागू करना चाहिये। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Deputy Speaker, this Bill should have been presented by the Home Minister.

The Naga rebels are destroying railway tracks. We know what the Naga Peace Mission has achieved. Rev. Michael Scott should be expelled from the country. Our armed forces are not being properly used. Instead of using them in disturbed areas, they are used to quell people who agitate for food.

I am in favour of solving problems in a peaceful manner. We should ponder over the fact as to what extent we have been successful in that area.

The Congress Working Committee has taken a decision for creation of Punjabi Suba. This will encourage demands for further division of India into smaller states. Now demand for separate Vidarbha and Malwa and Bundelkhand will be made.

I am in favour of giving more powers to the armed forces. But that power should be used where it may be useful for the country. We are justified in using our armed forces where violent activities are taking place. The people in Nagaland have to pay taxes both to the Nagaland Government as well as to the rebel Nagas. Effective steps should be taken to quell the disturbances there.

श्री बसुमतारी (उदालपाड़ा) : मैं इस अस्थाई विधेयक का समर्थन करता हूं।

जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो नागा लोगों का एक मंडल केन्द्रीय नेताओं से बात करने आया ताकि उन्हें स्वतन्त्रता के अर्थ का पता चले।

[श्री बसुमतारी]

एक बार तो कांग्रेस प्रधान तथा अन्य नेता उनसे मिलना भी चाहते थे परन्तु नीचे के अधिकारियों ने उनसे मिलने नहीं दिया। इसके बाद से ग़लतफहमी उत्पन्न हो गई है। इस लिये यह एक बहुत पेचीदा मामला है। उनका सदा विश्वास नहीं करना चाहिये जो यह कहते हैं कि आदिवासियों का विश्वास नहीं करना चाहिये। उनकी ठीक प्रकार देखभाल करनी चाहिये। स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू आदिवासियों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते थे।

मैं सभा को चेतावनी देना चाहता हूं कि आदिवासियों के विषय को बहुत सावधानी से सुलझाव।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेटा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

जब नागाविद्रोही नेताओं ने युद्ध-विराम के लिये तैयार हुए तो एसी आशा लगी कि नागा प्रदेश में शान्ति स्थापित हो जावेगी। परन्तु आसाम तथा नागालैंड मे स्थिति खराब ही हो रही है।

मझें यह कहते दुःख होता है कि यद्धविराम के कारण शान्ति स्थापित नहीं हुई है। गत कुछ महिनों से एक भी दिन एसा नहीं गुजरा जब लूटमार की घटना न हुई हो। विद्रोही नागाओं के दल शिवसागर तथा जोरहाट के क्षत्र में खुले आम घुमते हैं और वहां के निवासियों को डराते हैं, रेल की पटरी को उखाड़ते हैं। समाचार तो लूट मार और कत्ल के भी आ रहे हैं। युद्ध-विराम के कारण विद्रोही नागाओं ने अपनी स्थति सुधार ली है। उन्होंने नये आदमी अपनी भूमिगत सेना में भरती कर लिये हैं।

मिज़ो हिल्स में भी हमारी सेना विद्रोह समाप्त करने में लगी हुई है। मिज़ो नेशनल फ्रंट न तो भारत क अन्दर ही स्वायत्तता लेने से इन्कार कर दिया है। वह तो एक अलग स्वतन्त्र राज्य चाहते हैं और उन्होंने नागा विद्रोहियों तथा अन्य देशों से भी अपना मेल-मलाप स्थापित कर लिया है।

ऐसी स्थिति में सरकार को हर प्रयत्न करना चाहिये जिस से वहां के लोगों की प्रत्येक न्यायपूण शिकायत पर ध्यान देना चाहिय। परन्तु साथ ही यह भी याद रहे कि कोई भी सरकार अपने नागरिकों के प्रति तो उसकी जिम्मेदारी है उसे टाल नहीं सकती। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है।

जब तक वहां यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति जारी राती है इस प्रकार का कानून रखना पड़ता है।

जो विचार इस सदन में विभिन्न दलों के सदस्यो ने व्यक्त किये है उनका मुझे लाभ हुआ है। मुझे हर्ष है कि इस मामले पर सारे दलों के सदस्यों ने एक जैसे ही विचार व्यक्त किया ह। मै इसका स्वागत करता हूं।

इस सदन के सदस्य नागालैंड के दौरे पर गये और इससे उन्हें वहां की स्थिति को समझने में सहायता मिली। इस बात से नागालैंड के लोग भी प्रभावित हुए कि देश की संसद् उनके मामले में रुचि ले रही है।

साथ ही नागा विद्रोहियों के नेता जो दिल्ली आये उस से भी एक दूसरे को समझने का मौका मिला है। यह भी एक अच्छी बात हुई है। हमें नागालैंड के लोगों को विश्वास दिलाना चाहिये कि व हमारे ही भाई बन्धु हैं और हम सब मिलकर इस देश के महान कार्य में लगे हुए ह।

कई बार यह कहा जाता है कि हमें वफादार नागाओं की सहायता करनी चाहिये इस देश में जो भी है हमें उसे वफादार ही समझना है तथा कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे आपस में भेद भाव उत्पन्न हो और ग़लतफहमी पैदा हो।

नागालैंड के निवासी भारतीय नागरिक हैं और हमें उनकी समस्याओं पर धैर्य से विचार करना चाहिये तथा सुलझाना चाहिये। इसमें किसी को भी सन्देह नहीं है कि नागा समस्या का हल भारतीय संविधान के अन्दर ही होगा। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई ग़लतफहमी नहीं होगी। इस पर भी यदि कुछ लोग पर्दे के पीछे कुछ नाम देकर अपनी ग़लत गतिविधियों को जारी रखते हैं या अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और हमारे आग्रह का उनपर कोई भी प्रभाव नहीं होता। वे यथार्थ को स्वीकार करने का इन्कार करते हैं तो हमें शान्ति से अपने काम को करना है। शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। नागाओं में ऐसे लोग बहुत हैं जो यह महसूस करते हैं कि वे भारतीय है और उनका भविष्य भारत के साथ रहने में ही है।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी तथा सारभूत मामलों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। परन्तु मेरा इरादा नहीं है कि मैं उनपर अधिक समय व्यय करूं। अनेक माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये है कि इस मामले को वैदेशिक कार्य मंत्रालय न निपटाये। परन्तु मैं स्थिति का स्पष्टीकरण कर चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं यह चाहता हूं कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय ही इस मामले को निपटाये। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जिस समय स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू ने इस समस्या पर विचार किया था तो उस समय भी वैदेशिक कार्य मंत्रालय उनके अधीन था। इसका उल्लेख अन्तिम घोषणा में भी किया गया था कि यह कार्य वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा ही किया जायेगा। उस समय यह निश्चय किया गया था कि फिलहाल इस कार्य को वैदेशिक कार्य मंत्रालय ही करे ताकि कोई ग़लत मनोवृत्ति न उत्पन्न हो जाये।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस विषय पर विचार कर रही हैं। उचित समय पर परिवर्तन किया जायेगा और उस समय ऐसा करने से पूर्व नागालैंड की जनता तथा वहां के मुख्य मंत्री की इच्छाओं को ध्यान में रखा जायेगा।

हमें इस मसले को विवादास्पद नहीं बनाना चाहिये। सामान्य राय यह है कि यह मामला वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन नहीं होना चाहिये। वैदेशिक कार्य मंत्रालय के पास वैसे भी अधिक कार्य है। इसके अतिरिक्त इस कार्य को गृह मंत्रालय या और कोई मंत्रालय कर सकता है।

श्री वारियर (त्रिचूर) : प्रश्न यह नहीं है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के पास काम नहीं है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि नागा समस्या वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन होना चाहिये। यह आन्तरिक समस्या है न कि बाहरी।

श्री स्वर्ण सिंह : इस विषय को विवादास्पद नहीं बनाना चाहिये। मेरा विश्वास है कि प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में उचित समय पर निर्णय लगी। सरकार इस विषय को किसी अन्य मंत्रालय के अधीन करने के विरुद्ध नहीं है।

शान्ति मिशन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। शान्ति मिशन के कुछ सदस्यों के नामों का उल्लेख आलोचना के दृष्टिकोण से तथा अन्य सदस्यों के नामों का उल्लेख उनके कार्य में सुधार लाने के दृष्टिकोण से किया गया है। शान्ति मिशन के संविधान का भी एक इतिहास है। इसमें नागाओं के प्रतिनिधि हैं।

[श्री स्वर्ण सिंह]

यह भी कहा गया है कि आसाम के मुख्य मंत्री श्री चालिहा को शान्ति मिशन का सदस्य क्यों बनाया गया है। परन्तु हमको इस बात को जानकर संतोष होना चाहिये कि हमारी सरकार तथा हमारे दल के प्रमुख नेता ने ऐसा कार्य किया है कि उन नागाओं ने भी श्री चालिहा में विश्वास प्रकट किया है जो नागालैंड में वर्तमान कार्यविधियों के विरुद्ध हैं।

यह माना कि पादरी माइकल स्काट ने जो वक्तव्य दिये हैं वे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जब कभी पादरी माइकल स्काट ने सरकार के किसी सदस्य से बात चीत की है हमने समस्या के प्रति अपने दृष्टिकोण को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। हमने यह भी बता दिया है कि हम समस्या को किस प्रकार सुलझाना चाहते हैं। म नहीं कह सकता कि शान्तिपूर्ण तरीकों से कोई हल निकलेगा या नहीं। परन्तु मैं सभा से अपील करता हूं कि हमें शान्तिपूर्ण प्रयत्नों का समर्थन करना चाहिये। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि शान्तिपूर्ण तरीकों से समस्या हल नहीं की जा सकती और केवल बल प्रयोग से ही उस ढंग से सुलझाई जा सकती है जिस ढंग से हम चाहते हैं। यह दूसरी बात है कि बाद में हमें बल प्रयोग करना पड़े परन्तु हमें शान्तिपूर्ण प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

श्री त्यागी : एक विदेशी को क्यों रखा गया है ? पादरी माइकल स्काट में सभा का विश्वास नहीं है। हम एक विदेशी को नहीं रखना चाहते।

Shri Kishen Pattanayak : Rev. Michael Scott is a British agent through and through. Have you since come to know of this or not?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पादरी माइकल स्काट का पक्ष नहीं ले रहा हूं। वास्तव में मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पादरी स्काट के कई वक्तव्य बड़े आपत्तिजनक हैं। वह हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं।

Shri Kishen Pattanayak : Why not relieve him of this job ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने उन्हें कोई कार्य नहीं सौपा हुआ है और मेरे द्वारा उनको छुट्टी देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : You should declare that the Peace Mission has been wound up.

Shri Swaran Singh : It is very easy to wound up the Mission if what you say is accepted.

श्री स्वर्ण सिंह : हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसे गड़बड़ी उत्पन्न हो जाये या ऐसे कारण उत्पन्न हों जिन से कठिनाइयां बढ़ जाये। जो मसले हैं उनके बारे में हमें अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखना चाहिये। विभिन्न प्रकार के सुझाव देना तो आसान है परन्तु हम उनपर अमल करके सारे देश में तनाव पदा नहीं करना चाहते। पादरी माइकल स्काट इसलिये मौजूद हैं कि नागाओं को उनमें विश्वास है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो कुछ पादरी माइकल स्काट कहते है हम उसको स्वीकार करते हैं यदी उनकी कार्यविधियां सीमा से बाहर हो जाती हैं तो हम पुनर्विचार करेंगे। पादरी स्काट हमारें द्वारे नामांकित नहीं किये गये ह और उनको हमने रखा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि जब सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया है तो शान्ति मिशन की क्या आवश्यकता रह जाती है। पहले भी सीधी वार्ता हुई है। अतः प्रधान मंत्री तथा छिप नागाओं के बीच हाल की बातचीत से कोई नई बात नहीं उत्पन्न हुई है। अभी कोई हल निकलता दिखाई नही देता। अतः अभी विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही जारी रखी जायेगी। इस प्रकार क सम्बन्ध स्थापित होने पर शान्ति मिशन की उपयोगिता कम हो जायगी। शान्ति मिशन को हल्क हल्के बकार करने का यही सब से अच्छा उपाय है कि सीधे सम्पर्कों को और दृढ़ बनाया जाय। उस तरह कोई हल भी निकल सकेगा।

मैं यह समझता हूं कि शान्ति मिशन जैसे निकाय द्वारा कार्य करने के बारे में लोगों को आपत्ति हो सकती है। यह निकाय स्वच्छिक कार्य करता है और उसकी कोई बात अवश्यपालनीय नहीं है। यह शान्ति मिशन की है सिफारिश थी कि नागा समस्या का एक मात्र हल यही है कि नागाओं का वह वर्ग भी यह समझ लें कि उनका भविष्य भारत के साथ रहने में ही है। यदि नागाओं का वह वग इसके लिय सहमत हो जाये तो यह बड़ा अच्छा होगा और हम उसे मामूली घटना समझ कर उसकी हंसी में नहीं टाल सकते।

डा० शोल् आओं तथा उनके प्रतिनिधि भारतीय शिष्टमंडल में थे। एक समय छिपे हुये नागाओं को नेता ने इसका विरोध किया था परन्तु हमने दृढ़ता से मह जबाब दे दिया कि हम जिसे चाहें शिष्टमण्डल में रख सकते है और सदस्यों की संख्या भी हमारे ऊपर निर्भर करती है। अतः वह सब कुछ जानते है।

मैं यहां तक कहूंगा कि हमारी जो चर्चा यहां हो उस से उन लोगों में भी जो हमारे विरुद्ध हैं यह भावना पैदा हो जाये कि समस्त नागा जाति के लिय हमारे पास सद्भाव ही है। भारत के सब ही भागों में नागों के लिये सद्भावना तथा उनके लिये शुभ कामनायें हैं और वे उन्ह अपने ही समान भारत के नागरिक समझत ह। अतः इस समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण मत्रीपूण होना चाहिये तथा हमें इसे भारत से बाहर की कोई समस्या नहीं समझना चाहिये।

मैं इस प्रस्ताव की सिफारिश करता हूं।

श्री त्यागी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह कहा गया था कि मह विद्रोही नागा इन्दोनेशिया से प्रोत्साहन पा रहे है। डा० सुकार्नो का पत्र भी पकड़ा गया है। क्या कोई ऐसा पत्र-व्यवहार पकड़ा गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : वह सत्य नहीं है।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) **:** Has any check been made on the supply of arms to these Nagas from Pakistan and Burmese border areas?

श्री स्वर्ण सिंह : इसका स्पष्टीकरण दो या तीन सप्ताह पूर्व किया गया था। इन लोगों ने बर्मा होकर पाकिस्तान जाने की कोशिश की थी परन्तु बर्मा के अधिकारियों ने उन्हे अपने क्षेत्र में हो कर पाकिस्तान नहीं जाने दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) विनिमय, 1958 अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ / *The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब इस विधेयक पर खण्डवार चर्चा आरंभ करेगी। मैं सभी खंडो को एक साथ लुंगा कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यही है :

"कि खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ / *The motion was adopted.*

खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिय गये । /*Clauses 2, 3 and 4 were added to the Bill.*

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिये गये । /*Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.*

श्री स्वर्ण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । *The motion was adopted.*

अनुदानों की मांगे (रेलवे), 1966–67 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1965–66

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAY), 1966-67 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1965-66

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा रेलवे आय-व्ययक 1966-67 सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर विचार करेगी । यदि सभा सहमत हो तो 1965-66 सम्बन्धी रेलव की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर भी साथ ही विचार कर लिया जाये ।

Dr. Ram Subhag Singh : We can take up the both, simultaneously.

उपाध्यक्ष महोदय : यह मांगें सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं :—

मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड . .	1,26,17,000
2	विविध व्यय . . .	3,89,14,000
3	चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान .	49,65,000
4	संचालन-व्यय—प्रशासन . . .	58,22,22,000
5	संचालन-व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण .	187,01,26,000
6	संचालन-व्यय—परिचालन कर्मचारी	119,96,68,000
7	संचालन-व्यय परिचालन (ईंधन) . .	116,62,63,000
8	संचालन-व्यय—कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर परिचालन	34,30,54,000

मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
		रुपय
9	संचालन-व्यय—विविध व्यय	31,93,65,000
10	संचालन-व्यय —कर्मचारी हित . .	21,07,40,000
11	संचालन-व्यत—मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	100,00,00,000
11क	संचालन-व्यय—पेंशन निधि में विनियोग . . .	13,60,00,000
12	सामान्य राजस्व को लाभांश . .	133,49,78,000
13	चालू लाइन निर्माण (राजस्व) . . .	12,00,38,000
14	नई लाइनों का निर्माण	49,08,51,000
15	चालू लाइन निर्माण—पुँजी, मूल्यह्रास, आरक्षित निधि और विकास निधि	523,72,77,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि . .	3,060,8,000
18	विकास निधि में विनियोग	22,18,87,000
20	राजस्व आरक्षित निधि से निकासी . .	2,39,35,000

अनु-पूरक मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड . . .	2,74,000
4	संचालन-व्यय—प्रशासन . .	3,31,01,000
5	संचालन-व्यय—मरम्मत और अनुर ण . . .	11,03,24,000
6	संचालन-व्यय—परिचालन कर्मचारी .	7,23,41,000
7	संचालन-व्यय—परिचालन (ईंधन) . . .	5,81,44,000
8	संचालन-व्यय—कर्मचारी और ईधन को छोड़कर परिचालन .	2,30,91,000
9	संचालन-व्यय—विधि व्यय	1,36,22,000
12	सामान्य राजस्व को लाभांश . .	38,22,000
13	चालू लाइन निर्माण (राजस्व) . .	30,97,000
14	नई लाइनों का निर्माण	2,73,07,000
15	चालू लाइन निर्माण—पुँजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	14,80,74,000

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे जितने कटौती प्रस्ताव है उन्हें न प्रस्तुत मान लिया जाये । मैं इस समय मुख्यतः दक्षिण-पूर्व रेलवे के बारे में कहुंगा ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे कुल रेलवे लाइन का 10 प्रतिशत है। फिर भी यह रेलवे सब जोनों पर लाये ले जाने वाले कुल माल का 25 प्रतिशत माल परिवहन करती है। यह पांचों स्पात कारखानों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करती बल्कि बोकारों छठे स्पात कारखाने की भी पूर्ति करती है। अतः हम यह यह सकते हैं कि यह हमारी "स्पात रेलवे" है ।

पारादीप के नये बन्दरगांह को सीधी लाइन से मिला देना चाहिये ।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SURAF *in the Chair*]

परादीप का बन्दरगाह देश का सब से गहरा बन्दरगाह है । परादीप बन्दरगाह में ज्वार पर पर फोट की वहति है । अतः परखेला होने पर भी बड़े पोत तथा स्टीमर वहां घाट में ठहर सकते हैं । इस बन्दर गाह से 20 लाख मीट्रिक टन कच्चे लोहे का वार्षिक निर्यात होता है परन्तु शीघ्रही 30 लाख अथवा 50 लाख मीट्रिक टन का निर्यात होने लगेगा । पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात भी यहां से होगा । यह बहुत महत्वपूर्ण बन्दरगाह है। इस को बड़ी लाइन से जोड़ा जाना चाहिये । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक यहां रेलवे लाइन नहीं पहुचाई गई है । केवल 100 वर्ष पुरानी नहरें तथा आन्तरिक बड़ी सड़कें हैं । कच्चे लोहे के परिवहन के लिये यह सड़कें ठीक नहीं हैं। अतः यदि हमें निर्यात बढ़ाना है और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी है तो नया गठ के खनन क्षेत्र से पारादीप बन्दरगाह तक एक बड़ी लाइन का निर्माण किया जाना चाहिये ।

यह बड़ी अच्छी बात है कि इस बन्दरगाह पर जहाज भरने वाली मशीन की व्यवस्था कर दी गई है जिस से 2,500 मीट्रीक टन माल प्रति घंटा भरा जा सकता है । अतः रेलवे लाइन होने पर इस यंत्र का भी पूरा उपयोग किया जा सकेगा ।

तलचेर तथा बरसुआत के बीच 50 मील का फासला है । यदि इस को मिला दिया जाये तो सम्पूर्ण ब्रह्मनी घाटी का जो कच्चे लोहे तथा मेंगनीज़ का मुख्य खनन क्षेत्र है विकास हो सकेगा और भुवनेश्वर से पारा दीप की ओर रुडकेला तक सीधा सम्पर्क स्थापित हो जायेगी ।

कोटावलाला से बैलाडीला तक जो लाइन बन रही है वह बैलाडीला में ही समाप्त नहीं होनी चाहिये । उसे बढ़ाकर वर्धा-विजयवाडा लाइन से चन्दा में अथवा रामागण्डम में मिला देना चाहिये ताकि चन्दा घाटी तथा बैलाडीला का कच्चे कोयले का एकीकरण किया जा सके और अगला स्पात संयंत्र बन सके ।

दिल्ली से रायपुर तक जाने वाले डिब्बे को बड़े लम्बे और चक्करदार रास्ते से ले जाया जाता है जिससे 37 घंटे लगते हैं । इस डिब्बे को पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ी में जोड़कर बीना तक ले जाया जाने का सुझाव है । रायपुर से दिल्ली को मिलाने के लिये सदन एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा पहले डिब्बे को दिल्ली से नागपुर लें जाया जाये, फिर वहां से बम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस से रायपुर तक ले जाया जाये ।

केसिंग में उपरिगामी पुल बनाया जाना चाहिये । इसके निर्माण के बारे में राज्य अधिकारियों तथा रेल अधिकारियों के बीच झगड़ा चल रहा है । यदि दोनों पक्ष चाहे तो यह कठिनाई दूर हो सकती है ।

श्री सुबोध हंसदा (झाड़ग्राम) : अनुदानों की मांगों का समर्थन करने से पूर्व मैं सभा के विचार के लिये कुछ कहना चाहता हूं। 1964–65 में 139 नई गाड़ियां चलाई गई थीं। 1965–66 में 94 से अधिक गाड़ियां चलाई गई हैं परन्तु दक्षिण-पूर्व रेलवे पर बहुत कम नई गाड़ियां चलाई गई हैं। नागपुर तक एक जनता गाड़ी की मांग की गई है। यहां मुख्य लाइन पर तीन स्पात कारखाने हैं। यात्रियों की संख्या भी दुगुनी हो गई है। फिर भी हावड़ा से नागपुर तक केवल दो ही सीधी गाड़ियां हैं। अतः एक जनता गाड़ी भी चलाई जाये।

हावड़ा से बन कर रांची जाने वाली केवल एक ही गाडी है। इस लाइन पर गरीबों के लिये कोई पैसेंजर गाड़ी नहीं है। अतः टाटानगर हो कर हावड़ा से रांची तक एक पैसेंजर गाड़ी चलाई जानी चाहिये।

हम यह बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि गमोह से हावड़ा तक खड़गपुर हो कर एक एक्सप्रेस गाड़ी अथवा तेज़ रफ्तार से चलने वाली गाड़ी चलनी चाहिये। हमने यह भी सुझाव दिया था कि कम से कम एक गाड़ी को मोड़ कर गमोह से खड़गपुर हो कर हावड़ा ले जाया जाय। परन्तु इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। अतः इस लाइन पर एक पैसेंजर गाड़ी के अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ी भी चलाई जाये।

मैं रेल विभाग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खड़गपुर-टाटानगर खण्ड पर दिन में चलने वाली गाड़ी की व्यवस्था कर दी है।

गाड़ियों के समय में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिये कि लोग खड़गपुर और टाटानगर में समय पर कार्यालय में उपस्थित हो सकें।

रेलवे प्रशासन को दूसरे दर्जे के यात्रियों को भी यात्रा सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिये। इस दर्जे से सरकार को काफी लाभ होता है। इस दर्जे के डिब्बों की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिये। रेलवे के कर्मचारियों को बहुत शिकायतें है। विशेष रूप से तीसरे तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को। सरकार को इन लोगों की शिकायतें दूर करने के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिये। इससे उनकी कार्यकुशलता में सुधार होगा।

रेलवे में अनुसूचित तथा आदिम जातियों के लोगों के बारे में बहुत शिकायतें हैं। इन जातियों के लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं होता। अब इन लोगों ने कलकता में एक संगठन स्थापित किया है जो इनके हितों का ध्यान रखता है। मेरा सुझाव है कि रेलवे के सभी सेवा आयोगों में इनका प्रतिनिधि होना चाहिये। इससे इन लोगों की भर्ती पूरी हो सकेगी। यहां पर कहा गया है कि इनमें उचित व्यक्ति मिलते नहीं है। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। आप एक जांच समिति नियुक्त कर दीजिए जो यह देखे कि क्या इन लोगों को ठीक ठीक अवसर मिलता रहा है या नहीं।

रेलवे में खानपान व्यवस्था अच्छी नहीं है। मुझे इसका अनुभव है। इस विभाग के कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिलता है। इस विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

रेलवे प्रशासन को अपने सभी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये स्कूलों आदि की व्यवस्था करनी चाहिये। खड़गपुर में रेलवे कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है। वहां यह प्रबन्ध करना बहुत आवश्यक है। मेरा रेलवे मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री वारियर (त्रिचूर) : मैंने बहुत से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये है। मुझे आशा है माननीय मंत्री उन पर विचार करेंगे।

[श्री वारियर]

जिन स्थानों पर उद्योग स्थापित हो गये है वहां पर रेलवे सुविधाएं उपलब्ध करना बहुत आवश्यक है। हमारे देश के कुछ ऐसे क्षेत्र है जो बहुत पिछड़े हुए है वहां पर रेलवे सुविधाएं उपलब्ध करने से प्रगति हो सकती है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। पश्चिमी घाट क साथ कुछ क्षेत्र इसी प्रकार का है। अंग्रेजों ने अपने हितों को दृष्टि में रखते हुए कार्य किया। अब हमारा देश एक स्वतंत्र देश है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश क कुछ क्षेत्र हैं जहां पर रेलवे लाइनें नहीं बिछाई गई हैं। इस प्रकार के उदाहरण बहुत से अन्य क्षेत्रों के बारे में भी दिये जा सकते है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में अधिकांश लाइनें छोटी या मीटर लाइने हैं। यह अधिक उपयोगी नहीं हैं।

केरल राज्य में परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे। वहां पर कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। जब हम मंत्रालय से रेलों की व्यवस्था करने की मांग करते हैं तो बताया जाता है कि वहां पर उद्योग नहीं है। इस प्रकार हम एक विचित्र स्थिति में पड़ गये हैं। वहां पर केवल 93 मील लम्बी एक मीटर लाइन बनायी गयी है। पहले इसे बड़ी लाइन बनाने का विचार था परन्तु बाद में इसे मीटर लाइन बना दिया गया। इसमें मद्रास राज्य वालों द्वारा दबाव डाला जाता जान पड़ता है। इस प्रकार केरल राज्य की उपेक्षा कर दी गई है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करें।

कोचीन बन्दरगाह में माल उठाने की सुविधाएं अपर्याप्त है। वहां पर जहाज़ों का यातायात भी बहुत है परन्तु सुविधाएं बहुत कम है इस लिये मालगोदामों की व्यवस्था की जानी चाहिये। हमारे देश में केरल राज्य में जनसंख्या सब से घनी है। सरकार को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिक सहायता करनी चाहिये।

मछली के पालन कार्य को यदि उचित प्रोत्साहन हो तो करोड़ों रुपये की आय हो सकती है। इसके लिये भी अच्छी परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता है। इससे हमारे खाद्य समस्या के समाधान में भी सहायता मिल सकती है। सरकार को तथा योजना आयोग को इन बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और योजना आयोग में समन्वय होना चाहिये।

केरल के लोग देश के सभी भागों में काम करते हैं। अब तो वहां की नर्सें ब्रिटेन और जर्मनी आदि देशों में जाने लगी है। देश के सभी बड़े बड़े नगरों जैसे अहमदाबाद, बम्बई, भिलाई, रुडकेला में हजारों के संख्या में वहां के लोग काम करते हैं। इनको यातायात सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिये। रेलवे के अस्पतालों में रोगियों को खाना बहुत घटिया किस्म का मिलता है। इस बारे में सुधार होना चाहिये। मेरी जानकारी में लाया गया है कि कार्यालयों में कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। इसका कोई विशेष कारण नहीं होता। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

दिल्ली-कोचीन कोच में पहले दर्जे को समाप्त कर देना चाहिये। उसके स्थान पर तीसरे दर्जे की व्यवस्था कर देनी चाहिये। बम्बई से कन्याकुमारी तक एक सीधी लाइन बनाई जानी चाहिये। यह रेल मार्ग बहुत लाभदायिक सिद्ध हो सकता है। अब इस क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र वाले मोटर परिवहन से बहुत धन कमा रहे हैं। रेलव मंत्रालय को मेरे इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। रेलवे मंत्रालय को और अधिक कमचारियों के क्वार्टर उपलब्ध करने चाहिये।

जहां तक केटरिंग कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हाल ही में एक परिपत्र जारी किया गया है कि किसी चीज या बरतन आदि के खोये जाने अथवा टूट जाने के पैसे उनकी तनख्वाह से काटे जाय। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिये। मैनेजरों की भी कुछ जिम्मेदारी होनी

चाहिये। केवल कर्मचारियों पर ही सारी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिये। हमें यह महसूस करना चाहिये कि उन्हें किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। उनके साथ मानव का सा व्यवहार नहीं किया जाता है क्योंकि यात्री लोक खाना खराब होने आदि पर उनको डांटते डपटते है। नैमित्तिक कर्मचारियों को तनख्वाह भी बहुत कम मिलती है। मंत्री महोदय को इन सब बातों की जांच करके उचित कार्यवाही करनी चाहिये जिससे इन कर्मचारियों की हालत सुधार सके। कुछ लाइनों जैसे कन्याकुमारी-तिरुनेलवेली लाइन की बहुत अधिक आवश्यकता है।

यह बहुत ही विचित्र बात है कि ओलावाकोट में रेलवे लाइन के पूर्वी ओर के कर्मचारियों को वह भत्ता नहीं दिया जाता है जो रेलवे लाइन के पश्चिमी ओर के कर्मचारियों को मिलता है।

डा० राम सुभग सिंह : उन्हें भी अब मिलेगा।

श्री वारियर : मैं उनका बहुत ही आभारी हूं।

एर्णाकुलम–कायाकुलम–एलप्पी पट्टी में तट के साथ साथ रेलवे लाइन बनाया जाना बहुत जरूरी है। एलप्पी बहुत ही सुन्दर शहर है जहां अब संचार के अभाव में कारोबार ठप्प हो गया है। यह एक पर्यटक केन्द्र भी है। इस लिये इस रेलवे लाइन को अवश्य ही बनाया जाना चाहिये।

कुम्बली लाइन चालू की जानी चाहिये ताकि चाय, रबड़ तथा इलायची आदि जिनका काफी बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है, कोचीन पत्तन तक ले जाई जा सकें।

मैं और अधिक समय न लेकर केवल यही कहना चाहता हूं कि केरल राज्य के संसाधनों के विकास हेतु वहां पर रेलों का विकास किया जाये।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर–मध्य-दक्षिण) : खुली लाइनों पर कर्मचारियों के लिये काफी कुछ किया जा रहा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

रेलवे के दो सौ से अधिक वर्कशाप हैं और उनमें लगभग 5 लाख लोग काम करते हैं। इस आधुनिक तथा जटिल मशीनों के युग में यह जरूरी हो गया है कि कर्मचारी उनका होशियारी से उपयोग करें औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और मेरी जानकारी के अनुसार रेलवे वकशापों में दुर्घटनाओं की दर अखिल भारतीय औसत से दुगुनी है। इन दुर्घटनाओं से कर्मचारियों तथा नियोजकों दोनों को ही हानि होती है क्योंकि एक तरफ तो कर्मचारी अथवा उसका परिवार कठिनाई उठाता है और दूसरी ओर उत्पादन की हानि होती है। रेलवे वर्कशापों में सुरक्षा के बारे में इस समय जो व्यवस्था है वह कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस बारे में कुछ माने हुए सिद्धान्त है। सुरक्षा पाठ्यक्रम शुरू किये जाने चाहिये और संगठित रूप में सर्वेक्षण किये जाने तथा दुर्घटनाओं के आंकड़े रखे जाने चाहिये। एक नया विषय सुरक्षा इंजीनियरिंग भी पढ़ाया जाना शुरू किया गया है।

हमारे यहां प्रत्येक रेलवे वर्कशाप एक पृथक एकक के रूप में कार्य करता है और इससे दुर्घटनाओं के आंकड़े इकट्ठे करने, तत्संबंधी सामग्री के उचित वर्गीकरण तथा दुर्घटना रोक उपायों का समन्वय करने में बड़ी कठिनाई होती है।

मेरा सुझाव है कि हम इस दिशा में एक पृथक औद्योगिक सुरक्षा विभाग की स्थापना से शरूआत करें और सुरक्षा अधिकारी होने चाहिये जो दुघटनाओं को रोकने सम्बन्धी इन सभी कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करें। मुझे आशा है कि रेलव बोड मेरे इस सुझाव पर गम्भीरता

[श्री व० बा० गांधी]

से विचार करेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि रेल कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं किया गया है। हमें जो साहित्य उपलब्ध किया गया है उससे पता चलता है कि सुरक्षा के मामले में बहुत कुछ किया गया है। खुली लाइनों पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में काफी कुछ किया गया है। अब रेलवे वर्कशापों के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये भी काफी कुछ किया जाना चाहिये।

Shri A. S. Saigal (Janjgir) : The Railway Board deserves our congratulations for effecting all-round improvement in the working of the railways. Many new trains have been introduced and the speed of several trains has been increased for the convenience of the public.

An Express train should be introduced between Waltair and Delhi. I have no objection if it runs via Katni and Allahabad so that the railways may get more revenue. This should be done because there has been persistant demand from the people of that area and also from us.

The construction of the school building on the Railway land at Bilaspur should not be stopped, for which their permission had been taken. Necessary action should be taken in this regard.

At Bilaspur and Karagpur the quarters of Class III and IV employees are not satisfactory. These categories of employees are the backbone of the nation. We should, therefore, do everything for their betterment and keep them contented.

The powers of the Station Superintendents to dismiss and punish Class III and IV employees should not be taken away from them. The administration has to be strict if we want to keep these third and fourth class employees under control.

The study of spiritualism should be introduced in railway schools to inculcate the spirit of spritualism in the students. The sayings of our great saints and Gurus should be taught there.

The Railways should give a lead to the rest of the country in this regard and set a model for them to follow.

The railway employees deserve our congratulations for their devotion to duty during the recent Indo-Pak conflict.

उपाध्यक्ष महोदय : वर्ष 1966-67 के रेलवे बजट सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने जायेंगे।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	20	श्री वारियर	हावड़ा में कार्य कर रहे वाणिज्यिक क्लर्कों को केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	21	,,	हावड़ा बन्देल और हावड़ा तारकेश्वर खण्डों में सभी स्थानीय रेल गाड़ियों को दो यूनिट के बजाय तीन यूनिट वाली बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांगा संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	22	श्री वारियर	हावड़ा-बदमान कार्ड लाइनपर चार-चार आने-जाने वाली रेल-गाड़ीयां चलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	23	,,	हावड़ा-बर्दमान खण्ड में स्टेशनों के प्लेट-फार्मों पर छिड़काव की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	24	,,	हावड़ा-तारकेश्वर खण्ड में तीन-तीन आने-जाने वाली रेलगाड़ियों चलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	25	,,	हरिपाल और सीरामपुर स्टेशनों के उत्तर की ओर एक पैदल ऊपरी-पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	26	,,	मुगलसराय के सी एण्ड डब्ल्यू शेड के ट्रेन-एक्जामिनरों को न्यायनिर्णयक के पंचाट के अनुसार साप्ताहिक छुट्टी देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	27	,,	पूर्व रेलवे में "सी" श्रेणी के और उस से ऊपर के ट्रेन-एक्जामिनरों की वरिष्ठता सूची रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	28	,,	ट्रेन-एक्जामिनरों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया के वज्ञानिकीकरण की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	29	,,	लिलुआ वर्कशाप में पिछली जबरी छुट्टी की अवधि के लिए कर्मचारियों को पूरी मजूरी देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	30	,,	विभिन्न खण्डों में विद्युतीकरण परियोजनाओं के पूरा होने के पश्चात् उनके कर्मचारियों को स्थायी पदों पर रख लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	31	,,	पूर्व रेलवे के रिशडा स्टेशन के दोनों ओर केबिनों के लिये अधिक कबिनमैन स्वीकृत करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	32	,,	ट्रेन एक्जामिनरों के बीच सीधे भर्ती किये गये तथा विभाग में पदोन्नत किये गये प्रविष्टि ग्रेड के वेतन क्रमों के संबंध में भेदभाव ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	33	श्री वारियर	सीधे भर्ती किये गये ट्रेन एक्जामिनरों के लिये रक्षित पदों में से 80 प्रतिशत स्थान और विभाग में पदोन्नत किये गये ट्रेन एक्जामिनरों के लिए केवल 20 प्रतिशत स्थान प्रविष्टि ग्रेड से अगली ऊंची ग्रेड के घोषित करने में भेदभाव का बर्ताव ।	100 रुपये
1	34	,,	ट्रेन एक्जामिनरों के लिए 205—280 रुपये के गैर-सेलेक्शन ग्रेड को सेलेक्शन ग्रेड घोषित करने का प्रश्न ।	100 रुपये
1	35	,,	ट्रेन एक्जामिनरों के लिए अधिक ऊंचे ग्रेड के पद देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	36	,,	सी एण्ड डब्ल्यू मरम्मत विभागों में विद्यमान अराजकतापूर्ण स्थिति ।	100 रुपये
1	37	,,	सभी ट्रेन एक्जामिनरों को रात की ड्यूटी का भत्ता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	38	,,	250—280 रुपये के ग्रेड के ट्रेन एक्जामिनरों को नये बनाये गये पदों के मुकाबले में पदोन्नति के अवसर से वंचित रखना ।	100 रुपये
1	39	,,	अड़रा यूनिट ट्रेन एक्जामिनरों को 250—380 रुपये तथा इससे भी ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति के अवसर से वंचित रखना ।	100 रुपये
1	40	,,	पूर्व, दक्षिण-पूर्व तथा रेलवे में योग्यता प्राप्त मिस्त्री कर्मचारियों को "डी" ग्रेड के ट्रेन एक्जामिनरों के पदों पर पदोन्नति से वंचित रखना ।	100 रुपये
1	41	,,	पूर्व रेलवे में मुगलसराय के सी एण्ड डब्ल्यू डिपों के ट्रेन एक्जामिनरों को रात की ड्यूटी के भत्ते की बकाया रकम का भुगतान न करना ।	100 रुपये
1	42	,,	'सी' और 'डी' ग्रेड के पदों पर कार्य कर कर रहे ट्रेन एक्जामिनरों को स्थायी बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	44	श्री कृष्णपाल सिंह	बरहान-एटा लाइन के विस्तार की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	45	श्री कृष्णपाल सिंह	उत्तर रेलवे में भदान स्थान पर एक्सप्रैस गाड़ियों रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	46	,,	बरौनी और तिनसुखिया के बीच खान-पान व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	85	श्री प्र० के० देव	भोजन यान के नैरों को, चाहे वे अस्थायी अथवा स्थायी पदालि में हों, गरम वर्दियां देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	86	,,	अस्थायी पदालि के कर्मचारियों को स्थायी पदालि में खपाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	87	,,	हावड़ा रूरकेला एक्सप्रैस गाड़ी को ठिठिला-गढ़ होते हुए वाल्टेयर तक बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	88	,,	केसिंगा (दक्षिण-पूर्व रेलवे) को जैपुर (दण्डकारण्य-बोलनगीर किरीबुरु रेलवे) से मिलाने के लिये एक नई बड़ी लाइन की रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	89	,,	द० वो० कि० रेलवे लाइन को बस्तर में बैलाडीला से मध्य रेलवे के वर्धा-विजयवाड़ा खण्ड में रामगडम अथवा चांदा तक बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	90	,,	केसिंगा (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के निकट एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	91	,,	केसिंगा रेलवे स्टेशन पर नगर की ओर एक प्लेटफ़ार्म और एक पैदल ऊपरी-पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	92	,,	केसिंगा स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर महिलाओं के लिय एक प्रतीक्षालय बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	93	श्री वारियर	रेलवे अस्पतालों में दिये जाने वाले भोजन की मात्रा और किस्म में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	94	,,	ओलवाक्कोठ की सिगनल शाखा के अधीनस्थ कर्मचारियों की शिकायतों और दिक्कतों की जांच करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	95	श्री वारियर	दिल्ली-कोचीन रेलगाड़ी को तीसरे दर्जे की सोने वाली गाड़ी में बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	96	,,	बम्बई से कोचीन तक एक एक्सप्रैस गाड़ी चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	97	,,	रेलवे के कर्मचारियों के लिये और अधिक क्वार्टरों का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	98	,,	भोजन-यान कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	99	,,	और अधिक डीलक्स रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	104	,,	तिरुनेलवेली से नगर कोयल होते हुए त्रिवेन्द्रम तक एक नई लाइन बिछाने के लिए जिसकी एक शाखा कन्याकुमारी तक जाये, शीघ्र यातायात-सर्वेक्षण कराने के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	105	,,	गार्डों के वेतन-क्रम तथा उन्हें गाड़ियों के साथ चलने पर मिलने वाला भत्ता बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	106	,,	ओलावाक्कोट में पालघाट नगर से 8 किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर रहने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	107	,,	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रम और सेवा की शर्तें अविलम्ब सुधारने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	108	,,	केरल राज्य में नई रेलवे लाइनें चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	109	,,	केरल राज्य में एर्नाकुलम और कायमकुलम को जोड़ने वाली एक नई तटवर्ती रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
14	110	श्री वारियर	एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाइन को मीटर गेज से बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	111	श्री प्रिय गुप्त	नागा उपद्रवों और चीनी खतरे से पीड़ित पूर्वोत्तर सीमा रेलवे कर्मचारियों के लिये सीमा भत्ता मंजूर करने की आवश्यकता।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	112	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को राजपत्रित पदाधिकारियों के बराबर तीन बढ़ोतरियां देने की आवश्यकता।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	113	,,	परिसीमन अधिनियम के आधार पर 1-1-62 से पहले की अवधि के लिये आकस्मिक श्रमिकों को केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन-क्रमों की बकाया रकमों का भुगतान करने की आवश्यकता।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	114	,,	भारतीय रेलवे संस्थापन संहिता के नियम 148/149 के अधीन हटाये गये कर्मचारियों को पुनः नौकरी में रख लेने तथा उनके सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख से तीन वर्ष आगे के वेतन की बकाया रकम भुगतान करने की आवश्यकता।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
	115	,,	दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लेने पर छुट्टी के नियमों को सरल बनाते समय कम्पनी के भूतपूर्व कर्मचारियों को विकल्प का अवसर न देना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	116	,,	पेंशन सम्बन्धी नियमों को सरल करते समय सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन-योजना के लिये तथा अन्य कर्मचारियों को पेंशन के किये नये सिरे से विकल्प का अवसर न देना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	117	,,	पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में डिवीजन-योजना आरम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा की आवश्यकता।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	118	श्री प्रिय गुप्त	पदावधि के आधार पर अन्य विभागों से कार्यपालिका अधिकारियों का पर्सोनिल शाखा में रखा जाना जिसके कारण नियमों को समान और नियमित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।
1	119	,,	मापदण्ड ऊंचा करने तथा अधिक काम के कारण स्वीकृत संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।
1	120	,,	58 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों को मनमाने ढंग से सेवानिवृत करना जब कि सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ा कर 58 वर्ष कर दी गई है जिससे अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्ति के लाभ से वंचित हो जाते है क्योंकि 55 वर्ष की आयु में उनकी सेवा 30 वर्ष पूरी नहीं होती ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।
1	121	,,	अन्य कर्मचारियों के समान, जिला या प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति के लिये वर्ग 1 के राजपत्रित पदालि में लिखित परीक्षा आरम्भ करना ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।
1	122	,,	बचे हुये सहायक सर्जनों को वर्ग 2 के सहायक चिकित्सा पदाधिकारियों के तौर पर लाइसेंस न देना ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।
1	123	,,	लोको-शेड, केरेज-शेड, इलेक्ट्रिक, पुल, सिगनल और दूर-संचार विभागों में कारीगरों की पदालि को ऊंचा करने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	124	,,	कर्मचारियों की सभी श्रेणीयों को ऊंचा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	125	,,	वेतन का अधिकृत क्रम लागू करते समय वर्कशापों में प्रोत्साहन बोनस की दरें बढ़ाने और भूतलक्षी प्रभाव से उसकी बकाया रकमें देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	126	श्री प्रिय गुप्त	गार्डों के वेतन-क्रम बढ़ाने, 33⅓ प्रतिशत को पदोन्नत करने और गाड़ियों के साथ चलने के भत्ते की दर बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	127	,,	माल डीपुओं में पड़े हुए स्टाक को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	128	,,	तीसरे दर्जे के और अधिक डिब्बे चला कर तीसरे दर्जे के यात्रियों को और अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	129	,,	कटिहार स्टेशन की इमारत को फिर से बनाने, कटिहार स्टेशन तक बड़ी लाइन की मीटर लाइन से मिलाने और बरौनी को बड़ी लाइन द्वारा कटिहार से मिलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	130	,,	भारत रक्षा नियमों को अनियमित रूप से लागू करना जिसके कारण कर्मचारियों को असीमित अवधियों के लिय मामूली कारणों से कर्मचारियों को मुअत्तिल किया जाता है और मामलों को मामूली दण्ड के साथ निपटा दिया जाता है ।	100 रुपये
1	139	श्री मुहम्मद इस्माइल	वनीयमबाड़ी रेलवे स्टेशन दक्षिण रेलवे के निकट रेलवे का एक ऊपरी पुल अथवा सुरंग मार्ग बनाने का काम आरम्भ करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	140	,,	अम्बुर रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) को आधुनिक बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	141	,,	दक्षिण रेलवे में परनामबुट को मैलपट्टी गुडियाट्टम और अम्बुर से जोड़ने वाली रेलवे लाइन बनाने का काम आरम्भ करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	142	,,	दक्षिण रेलवे में वलायूर में दुर्घटना-ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिकर दावे की अदायगी में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	143	श्री मुहम्मद इस्माईल	रेलवे विकास कार्यों में केरल और मद्रास की उपेक्षा ।	100 रुपये
1	144	,,	मेलायूर से फरोक तक नई लाइन बनाने का काम आरम्भ करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	145	,,	अयम्बुरम-विल्लीपुरम लाइन को दोहरी लाइन में बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	146	,,	तिरूर (दक्षिण रेलवे–पश्चिमी तट) में रेलवे का एक ऊपरी पुल बनाने की की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	147	,,	नीलम्बुर-शोरानुर के बीच एक नई बड़ी लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	148	,,	मद्रास नगरीय विद्युच्चालित लाइन के क्रोम-पेट स्टेशन पर एक छतदार प्लेटफार्म की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	149	,,	क्रोमपेट स्टेशन तक जाने वाली छोटी सड़क को सुधारने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	150	,,	क्रोमपेट स्टेशन, मद्रास, दक्षिण रेलवे में कार्यालयों के लिए पर्याप्त स्थान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	152	श्री वारियर	केवल सीधे भर्ती किये गये ट्रेन एक्ज़ामिनरों को 205––280 रुपये का उच्चतर प्रविष्टि ग्रेड दे कर और विभाग में पदोन्नत किये गये ट्रेन एक्ज़ामिनरों के इस ग्रेड से वंचित रख कर किया गया भेदभाव ।	100 रुपये
1	153	,,	सीधे भर्ती किये गये ट्रेन एक्जामिनरों के लिए ग्रेड 'डो' के ट्रेन एक्जामिनर के अगले ऊंच पदों में से 80 प्रतिशत पद और विभाग में पदोन्नत किय गय ट्रेन एक्जा-मिनरों के लिए केवल 20 प्रतिशत पद घोषित करने में भेदभाव का बर्ताव ।	100 रुपये
1	154	,,	विभाग में पदोन्नत किये गय ट्रन एक्जामिनरों के लिए 205––280 रुपय के नाम-सेलेक्शन ग्रेड को सेलेक्शन ग्रेड घोषित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	155	श्री वारियर	अखिल भारतीय ट्रेन एक्जामिनर कल्याण समिति के तेरहवां वार्षिक सम्मेलन में उस समिति की मांग के अनुसार भारतीय रेलों में ट्रेन एक्जामिनरों, ट्रेन इक्जामिनरों हैड, सी–एण्ड–डब्ल्यू इन्सपेक्ट्रों तथा कॅरेज फोरमेनों के लिए प्रभारों का एक सा मापदंड कार्यान्वित न करना ।	100 रुपये
1	156	,,	मरम्मत-लाइनों पर और गाड़ियों के सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत के संबंध में काम के घन्टों, सामग्री और आवश्यक औज़ारों को कोई एक सा मापदंड न होने की दशा में सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के मरम्मत डिपुओं में विद्यमान दुरव्यवस्था की स्थिति ।	100 रुपये
1	157	,,	भारतीय रेलों के सभी ट्रेन एक्जामिनरों को बिना किसी भेदभाव के रात की ड्यूटी का भत्ता न देना ।	100 रुपये
1	158	,,	नए समझौते के अनुसार पदों का वितरण 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किये जाने के परिणामस्वरूप नये बनाये गये पदों के लिए 250––380 रुपये के ग्रेड के ट्रेन एक्जामिनरों को पदोन्नति के अवसर देने से वंचित रखना ।	100 रुपये
1	159	,,	दक्षिण पूर्व रेलवे में सेलेक्शन पदों का बिना किसी अनुपात के वितरण और उसके परिणामस्वरूप आडरा डिविजन के 250––380 रुपये के ग्रेड के ट्रेन एक्जामिनरों को पदोन्नति से वंचित रखना ।	100 रुपये
1	160	,,	पूर्व, दक्षिण-पूर्व और मध्य रेलवे के सी-एण्ड-डब्ल्यू विभाग के उन कारीगर कर्मचारियों को जिन्होंने आवश्यक परीक्षा पास करके योग्यता प्राप्त कर ली है पदोन्नति से वंचित रखना और उन कारीगरों को छोड़कर सीधे भर्ती किये गये लोगों को पदोन्नति देना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	161	श्री वारियर	पूर्व रेलवे में मुग़लसराय के ट्रेन एक्जामिनरों को रात की ड्यूटी के भत्ते की बकाया रकम भुगतान न करना।	100 रुपये
1	162	,,	पूर्व रेलवे के मुग़लसराय कैरेज एण्ड वैगन डिपो के ट्रेन एक्जामिनरों को न्याय-निर्णायक के पंचाट के अनुसार साप्ताहिक विश्राम का न दिया जाना।	100 रुपये
1	163	,,	पूर्व रेलवे में 205--280 रुपये और उससे ऊपर के ग्रेड के ट्रेन एक्जामिनरों की वरिष्ठता-सूची रखने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	164	,,	भारतीय रेलों की विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में ट्रेन एक्जामिनरों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया में एकरूपता लागू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	165	,,	जमालपुर, भुसावल और अम्बाला सी-एण्ड-डब्ल्यू प्रशिक्षण संस्थाओं में ट्रेन एक्जामिनरों के लिये भोजन संबंधी व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	166	श्री प्रिय गुप्त	सभी कर्मचारियों को गर्मी और सर्दी की वर्दियां देने तथा हाल ही में मंजूर किये गये एक से वेतन-क्रमों को लागू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	167	,,	बंगाईगांव, मरिमानी, कटिहार तथा अन्य स्कूलों को रेलवे प्रशासन द्वारा अपने नियंत्रण में किये जाने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	168	,,	निर्वाह-व्यय में निरंतर वृद्धि के कारण गाड़ियों के साथ चलने के लिए दिये जाने वाले भत्ते तथा यात्रा भत्ते की दरें बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	169	,,	बच्चों की बढ़ी हुई संख्या के लिये अध्यापकों की संख्या बढ़ाने तथा रेलवे प्राथमिक स्कूलों में स्थान बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	170	श्री प्रिय गुप्त	अधिक गाड़ियां चला कर तथा पैदल ऊपरी पुल और महिलाओं के लिये प्रतीक्षालय बना कर मनिहारी, सौनेली, बरसोई तथा सुधानी के यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	171	,,	पूर्वोत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सिगनल वर्कशाप में निर्माण-प्राभारित पदों को नियमित पदों में बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	172	,,	इंजीनियरी तथा इलैक्ट्रिकल विभागों के मल-व्यवस्था संयंत्रों में नियुक्त कर्मचारियों तथा कारीगरों को ऊंचे वेतनक्रम देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	173	,,	सामान्य प्रबन्धक तथा ज़िला/डिवीजन कार्यालयों के संदेश-वाहकों को ऊंचे वेतनक्रम देने तथा उन्हें गाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों के वर्ग में रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	174	,,	वर्ग 3 तथा वर्ग 4 के कर्मचारियों को उन पदों पर, जिन पर वह तीन वर्ष से कार्य कर रहे हैं, स्थायी करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	175	,,	डीज़ल शेड्स में रिक्त स्थानों को योजनाबद्ध तरीकों से भरने तथा भाप से चलने वाले इंजनों के स्थान पर डीज़ल वाले तथा बिजली वाले इंजन चलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	176	,,	पटरी वाले कर्मचारियों, स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों तथा ट्रेन एग्ज़ामिनरों को दुर्घटना समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार ऊंच वेतनक्रम दिये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	177	,,	वेतन-क्रमों, भत्तों, वर्दियों आदि के बारे में मैरिन समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करने तथा प्रतिवदन को प्रकाशित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	178	श्री प्रियगुप्ता	निरन्तर, सविराम जैसे वर्गीकरण के बावजूद जो वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारी रात में काम करते हैं, उन्हें रात की ड्यूटी का भत्ता देने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	179	,,	नियमित पारियों में तथा नियमित कार्यकारी पदालि में बी० टी० एम० का उपयोग करने की प्रथा समाप्त करने तथा ऐसे पदों को नियमित कुशल पदालि में बदलने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	180	,,	भविष्य निधि लेखे ठीक ठीक रखने के लिये पास बुक पद्धति लागू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	181	,,	लोको तथा ट्राफिक रनिंग स्टाफ को भूतलक्षी प्रभाव से जेएसी वेतनक्रम देने तथा बाद में अधिकृत वेतनक्रम देने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	182	,,	पम्प ड्रायवरों और एसपीए को कुशल कारीगर कर्मचारियों के वर्ग में रखने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	183	,,	स्विचमैन, कैबिनमैन, लीवरमैन तथा यार्ड के अन्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनक्रम देने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	184	श्री प्र० के० देव	राउरकेल्ला को राज्य की राजधानी से जोड़ने के लिये वोण्डोमुंडा-बर्सुआन रेलवे लाइन को तलछट तक बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	185	,,	परादीप बन्दरगाह को रेलवे लाइन द्वारा जोड़ने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	186	श्री काशी राम गुप्त	अलवर (राजस्थान) और मथुरा (उत्तर प्रदेश) के बीच एक नई बड़ी लाइन बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	187	,,	गार्डों के वेतनक्रम बढ़ाने और उनके गाड़ी के साथ चलने के भत्ते की दरें बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	188	श्री काशीराम गुप्त	सीधे भर्ती किये गये तथा विभाग में पदोन्नत किये गये ट्रेन एग्जामिनरों के वतन-क्रमों में विषमता दूर करने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	189	श्री मधु लिमये	सभी मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिये एक 25-वर्षीय क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार न करना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय।
1	190	,,	भाप के स्थान पर बिजली और डीजल से चलने वाली गाड़ियों चलाने के लिए एक 25-वर्षीय क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार न करना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	191	,,	मिरज-पूना लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मिरज-कोल्हापुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम तुरन्त आरम्भ न करना और उक्त कार्यक्रम को बढ़ा कर मारमागोआ तक बड़ी लाइन की व्यवस्था न करना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	192	,,	बिहार में सुल्तानगंज-देवघर बड़ी लाइन का सर्वेक्षण आरम्भ न करना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	193	,,	प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बरौनी-गौहाटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता न देना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	194	,,	रेलवे वर्कशापों में सभी कार्यों का वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन न करना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	195	,,	रेलवे के लिए एक पृथक मजूरी बोर्ड नियुक्त न करना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	196	,,	रेलवे कर्मचारियों के लिए सस्ते अनाज की दुकानें पुनः न खोलना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	197	श्री मधु लिमये	नीति निर्धारित करने वाले पदाधिकारियों को छोड़कर शेष सभी रेलवे कर्मचारियों के लिये राजनैतिक दलों के सदस्य बनने के सम्बन्ध में लगाये गये प्रतिबन्ध न हटाना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	198	,,	रेलवे वर्कशापों को और अधिक पंचिंग मशीनें न देना और पंचिग के काम के लिये समय न बढ़ाना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	199	,,	मजदूर नेताओं को दिये गये वातानुकूलित पास वापिस न लेना, जिस के कारण रेल कर्मचारियों के बीच स्वस्थ्य मजदूर संघ की भावना के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	200	,,	रेलों में प्रतिस्पर्धी संघों का प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिए क्षेत्रवार जनमत संग्रह न करना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	212	,,	पूर्व रेलवे में मुंगेर जिले के पुरब सराय स्टेशन पर एक प्लेटफार्म न बनाना।	100 रुपये
1	213	,,	पूर्व रेलवे के पूरब सराय और मुंगेर स्टेशनों पर सभी सुविधाओं वाले तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों की व्यवस्था न करना।	100 रुपये
1	214	,,	पूर्व रेलवे में झाझा और क्यूल स्टेशनों पर पर्याप्त शेड और छतों की व्यवस्था न करना।	100 रुपये
1	215	,,	पूर्व रेलवे में साहिबगंज-क्यूल लूप-लाइन पर एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चालू न करना।	100 रुपये
1	216	,,	पूर्व रेलवे में हावड़ा-बरौनी तेज़ सवारी गाड़ी (फास्ट पैसेंजर) को समस्तीपुर तक न बढ़ाना।	100 रुपये
1	217	,,	पूर्व रेलवे में सिमुलतल्ला के निकट टेलवा बाजार स्टेशन पर गाड़ियां न रोकना।	100 रुपये
1	218	,,	पूर्व रेलवे में गया-क्यूल शटर गाड़ी को जमालपुर तक न बढ़ाना।	100 रुपये
1	219	,,	पूर्व रेलवे में 327 अप लाइन पर हावड़ा-भागलपुर शयन-यान (स्लीपर कोच) को दानापुर तक न चलाना।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटोती की राशि
1	220	श्री मधु लिमये	पूर्व रेलवे में साहिबगंज लूप लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के समय में ऐसा तालमेल न बैठाना, जिससे कि यात्री अप-तुफान एक्सप्रेस पकड़ सकें ।	100 रुपये
1	221	,,	पूर्व रेलवे के क्यूल-जमालपुर खण्ड में अतिरिक्त गाड़ियां न चलाना और बीच के स्टेशनों पर, जहां बस से नहीं पहुंचा जा सकता, गाड़ियों के पर्याप्त ठहरने की व्यवस्था न करना ।	100 रुपये
1	236	श्री वारियर	चतुर्थ श्रेणी के आकस्मिक और स्थायी कर्मचारियों को स्थायी न बनाना ।	100 रुपये
1	237	,,	एक कर्मचारी को आंशिक रूप से अपंग हो जाने और दूसरा काम दिये जाने पर वही वेतन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	238	,,	हावड़ा-अमता और हावड़ा-शियाखला लाइट रेलवे का पूरा नियंत्रण न सम्भालना ।	100 रुपये
1	239	,,	हावड़ा-बर्दवान उपनगरीय खण्ड में सीजन टिकट के किराये में कमी न करना ।	100 रुपये
1	240	,,	पूर्व रेलवे के सियालदा डिविजन में कस्बा और बालीगंज तथा तिलजला और बालीगंज के निकट बोंडल रोड के बीच ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	241	,,	पूर्व रेलवे के सियालदा डिविजन में ढुरिया स्टेशन के दक्षिण सिरे पर दो प्लेटफार्मों को जोड़ने वाला एक पैदल-ऊपरी पुल न बनाना ।	100 रुपये
1	242	,,	पूर्व रेलवे के सियालदा डिविजन में हाल्ट क्षेत्र के निकट गरिया और जादवपुर स्टेशनों के ठीक मध्य में एक फ्लैग स्टेशन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	243	,,	पूर्व रेलवे के सियालदा डिविजन के उल्टाडांगा, ढकुरिया, जादवपुर और कालीघाट स्टेशनों पर यात्रिओं के लिए अधिक सुविधाओं की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	244	श्री वारियर	रेलवे के विद्युतीकरण विभाग में नियुक्त कर्मचारियों को स्थायी श्रेणियों में खपाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	245	,,	रेलवे-कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड-स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	246	,,	पूर्व रेलवे सियालदा तथा हावड़ा डिविजन के लिए पर्याप्त संख्या में स्थानीय सवारी गाड़ियां न चलाना ।	106 रुपये
4	247	,,	पूव रेलवे के सियालदा डिविजन के बालीगंज स्टशन के निकट पंचाननताला बस्ती और टालीगंज पुल तथा ढकुरिया स्टेशन के निकट रेलवे बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों का निष्कासन ।	100 रुपये
4	248	,,	रेलवे में इलेक्ट्रोनिक यंत्रों का आरम्भ .	100 रुपये
5	249	,,	पूर्व रेलवे के सियालदा डिविजन के उल्टाडांगा ढकुरिया, जादवपुर और गरिया स्टशनों आधुनिक बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	250	,,	पूर्व रेलवे के सियालदा स्टेशन को आधुनिक बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	251	,,	पश्चिम रेलवे में घाट खण्ड के इंजनों की की व्यवस्था न करना ।	100 रुपये
5	252	,,	बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर पुनः रेलव लाइन बिछाना ।	100 रुपये
6	253	,,	भोजन-यान (डाइनिंग-कार) कर्मचारियों को गरम वर्दी देने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	263	श्री मधु लिमये	किऊल के एक कर्मचारी के लड़के की, वहां के रेल डाक्टर की उपेक्षा के कारण, हुई मृत्यु की जांच न करना ।	100 रुपये
1	264	,,	किऊल के रेलवे पोर्टरों के कर्मचारी सहयोगी संघ को प्रोत्साहन न देना ।	100 रुपये
1	265	,,	झाझा स्टेशन के पुल के नीचे इंजिनों के खड़े रह कर धुवां छोड़ने से होने वाली यात्रियों की परेशानी को दूर न करना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	266	श्री मधु लिमये	सिमुलतल्ला को डाऊन एक्सप्रेस गाड़ि यों के लिये बिना टिकट यात्रा रोकने के हेतु तथा 19 अप मिथिला एक्सप्रेस के लिये यात्रियों की सुविधा के वास्ते स्टाप न बनाना।	100 रुपये
1	267	,,	सिमुलतल्ला के तीसरा वर्ग प्रतीक्षालय की ठीक मरम्मत न करना।	100 रुपये
1	268	,,	पहले वर्ग के अटेंडेंटों की तनख्वाह के स्केल आदि में सुधार न करना तथा उनको सुविधायें न देना।	100 रुपये
1	269	,,	बम्बई की लोकल गाड़ियों में होने वाली भीड़ तथा उससे होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने हेतु ठोस कार्यवाही न करना।	100 रुपये
1	270	श्री प्रिय गुप्त	असम के लिये परिवहन की सुविधायें बढ़ाने के लिये रेलवे मेरीन सेवा को मिलाकर समन्वित अन्तर्देशीय परिवहन लागू न करना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
1	271	,,	जोगी गोपी को ब्रह्मपुत्र पर पुल द्वारा दिब-रुगढ़ से और छोटी मार्ग द्वारा जोड़ने के लिये बड़ी लाइन बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	272	,,	वाणिज्यिक, परिवहन तथा इंजीनियरिंग विभागों में सभी सहायक निरीक्षकों को, उनके द्वारा संभाले गए स्वतन्त्र कार्यभार सहित उन्हें 250—380 रुपये का समान वेतन-क्रम देकर अनियमितता दूर करने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	273	,,	दूसरे केन्द्रीय वतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी क्लेम इन्सपक्टरों को 335–425 रुपये का वेतन-क्रम देने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	274	,,	पश्चिम रेलवे के प्रचार विभाग के विरुद्ध 'रेलवे एडवर्टाइज़िंग कनवसर्ज एण्ड एजट्स एसोसियेशन' द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	275	श्री प्रिय गुप्त	पूर्वाह्न में इटारसी पहुंचने के लिये मध्य रेलवे के जबलपुर-इटारसी खण्ड में एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	276	,,	यात्रियों और खराब होने वाली वस्तुओं के लिये पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कटिहार और गौहाटी के बीच सीधी रेलगाड़ियां पुनः चलाने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	277	,,	कनिष्ठ कर्मचारियों के अधिक वेतन पाने की अनियमितता दूर करने के लिये वाणिज्यिक ट्रेसरों को ऊंचे वेतन-क्रम देने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	278	,,	आवास, खाद्य और बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये वाणिज्यिक कर्मचारियों तथा वेतन-क्लर्कों के बड़ी संख्या में होने वाले स्थानांतरण को रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	279	,,	मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम आदि के रेलवे कर्मचारियों को चावल, आटा और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं का नियमित संभरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	280	,,	लोको शेडों, कॅरेज, बिजली घर और आई० ओ० डब्ल्यू०, बी० आर० आई०, पी० डब्ल्यु० आई० तथा सिगनल कार्यालयों में काम करने वाले क्लर्कों को, प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी देने तथा राज-पत्रित छुट्टियों के दिन काम करने के लिये, विशेष प्रतिकारात्मक भत्ता देने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	281	श्री किशन पटनायक	राउरकेला को तालचेर से रेल द्वारा जोड़ने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	282	,,	पूरी-तालचेर लाइन को सम्बलपुर तक बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये

Shri Bade (Khargone) : Mr. Deputy Speaker, Sir, though railways are a commercial concern but the responsibility of development also lies on them. Madhya Pradesh is very rich in minerals. There should be a railway line in Belladilla and Bastar upto Dhali, Rajhari, Jagdalpur, Bhadrachalam and Dantwara. The Government of Madhya Pradesh have already submitted some plans to Government in this connection. The railway line from Visakhapatnam to Jagdalpur should be extended so that forest wood is utilised. A railway line should be laid from Khandwa to Dohad as there is groundnut and cotton in ample quantity in that area. There are 250 ginning factories in that are and about 25 lakh tons of groundnut is exported.

There is no railway in 100-150 miles North-South and East-West of West Nimad. The population of Adivasi in this area is 56 lakhs. If that area is not developed the Railway ministry would be held responsible for that.

There are no means of conveyance for goods traffic, except trucks. Khandwa-Dohad line is also important in view of defence need.

On the one hand it is said that we do not have rolling stock while on the other hand we are exporting junior coaches to Hungary. It is very strange.

At most of the stations water is either not available or if available it is not cold though on the board it is written "cold water". Most of the machines of cold water installed on railway stations are out of order.

Tea served on stations is of very poor quality. I have already lodged a complaint regarding tea served at Ratlam railway station. Ever since railway catering has been introduced. The travelling public has not been getting good stuff. Too many inspectors and supervisions in the catering department are perhaps responsible for this state of affairs. That is why passengers travelling in Third class do not get good quality tea.

There is over-crowding on railways. People have been seen passing through windows.

The dining car attached to the Dehradun Express coming from Bombay to Delhi is detached at Kotah. This causes great inconvenience to passengers. It has been suggested by our friend Shri Kachhavaiya that it should be detached at Sawai Madhopur. Likewise the dining car to this train should be attached at Sawai Madhopur.

Station Masters and other staff are at present allowed to continue at a particular station for five or six years. There have been many complaints against the station Master of Indore railway station but he has not so far been transferred.

At present T.T.Es. are not treated as running staff and they are not paid the allowance. They should be treated as running staff.

As we want to establish a socialistic pattern of society, we should do away with the classes. There should two-tier and three-tier coaches. In three-tier coaches, the T.T.E. & the conductor should be allotted sleeping births.

More quarters should be constructed in Gangapur for railway staff.

श्री ल० ना० भंजदेव (क्योंझर) : भाड़े में 3 प्रतिशत अधिभार से मुझे निराशा हुई है। निर्यात के लिये कर से जो रियायत मैंगनीज़ अयस्क और लौह-अयस्क को दी गयी है, वह इस्पात संयंत्रों के लिये मैंगनीज़ अयस्क और लौह-अयस्क पर भी दी जानी चाहिये ताकि इस्पात और लोहे के मूल्य घट सकें।

[श्री ल० ना० भंजदेव]

दक्षिण-पूर्व रेलवे का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है। इस रेलवे की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। हल्दिया से परादीप तक रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिये और इस बारे में प्राक्कलन समिति ने भी सिफारिश की है। इस लाइन को चौथी योजना में प्राथमिकता दी जाय।

कलकत्ता जैसे शहर में, जहां भीड़भाड़ बहुत है, यात्रियों के लिय टर्मिनल व्यवस्था की जाय।

रेलवे में भोजन व्यवस्था का स्तर बहुत गिर गया है और इस बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। विभागीय तौर पर यह व्यवस्था चलाने से पूर्व इसका स्तर बड़ा अच्छा था। पुरानी बंगाल-नागपुर रेलवे में हालां कि इसको एक निजी पक्ष द्वारा चलाया जाता था, वहां पर भोजन-व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। वे जो सुविधायें यात्रियों को देते थे, वे भारत भर में सर्वोत्तम थीं। पुरी में दक्षिण-पूर्व रेलवे में भोजन-व्यवस्था का स्तर बहुत उंचा है। लेकिन समझ में नहीं आता सभी रेलवे में भोजन-व्यवस्था का स्तर ऊंचा क्यों नहीं है।

कालका मेल रेलगाड़ी से यात्रा करते समय जो चाय मिली वह बहुत ही घटिया किस्म की थी। मैंने इस बारे में रेलवे का ध्यान आकर्षित किया है और शिकायत पुस्तिका में एक शिकायत भी दर्ज की है। इस बात को नौ महीने हो गये हैं लेकिन इसका स्तर वैसा का वैसा बना हुआ है। बल्कि और घटिया हो गया है। मजबूर होकर हमें भोजन साथ लेकर चलना पड़ता है। आशा है कि सरकार भोजन व्यवस्था की ओर ध्यान देगी और इसका स्तर सुधारने के लिये कार्यवाही करेगी।

उड़ीसा में खनिज पदार्थ और इमारती लकड़ी प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसलिये यह आवश्यक है कि उड़ीसा के आन्तरिक क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछाई जाय ताकि परादीप पत्तन का विकास हो सके। हल्दिया के बारे में भी स्थिति ऐसी ही है। इसको भी रेलवे लाइन से जोड़ा जाय ताकि जब पत्तन चालू हो जाय तो इससे उसको लाभ हो। मोरबन्द से जमशेदपुर तक की रेलवे लाइन को बड़ी लाइन (ब्राड गेज) बनाया जाय और उसका समुचित विकास किया जाय ताकि उस महत्वपूर्ण क्षेत्र की सहायता की जा सके। इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

रेलवे में जरूरत से ज्यादा पूंजी लगी गई है और इसी लिये यह ऋण-मुक्ति निधि (एमोर्टाईजेशन फंड) बनाई गई है। में यह महसूस करता हूं कि इससे रेलवे में जरूरत से ज्यादा पूंजी संचय कम हो जायगा लेकिन जब पहले ही एक विकास निधि (डेवेलपमेंट फंड) है तो यह दूसरी निधि बनाने की क्या आवश्यकता है। पहले ही कई निधियां है : रेलवे विकास निधि है, यात्री सुविधा निधि है, नई लाइन निधि है।

आपातकाल में रेलवे कर्मचारियों ने जो प्रशंसनीय कार्य किया उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। मैं इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत में रेलवे सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है जिसमें दस लाख से अधिक व्यक्ति काम करते हैं और इससे आय भी काफी होती है। आपातकाल में रेलवे कर्मचारियों ने बड़ा सराहनीय कार्या किया है।

नमक और कोयले पर भाड़ा दर में वृद्धि की गयी है। नमक पर कर से नमक उत्पादकों और नमक के व्यापारियों पर असर पड़ता है। नमक एक अत्यावश्यक वस्तु है जिसे जनसाधारण इस्तेमाल करता है। इसका स्वतंत्रता आन्दोलन से भी सम्बन्ध है। भाड़े में इस वृद्धि से तुत्तुक्कुडी के नमक उत्पादकों और नमक व्यापारियों को बड़ी कठिनाई होगी। रेलवे मंत्री इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और नमक पर भाड़ा दरों में प्रस्तावित वृद्धि को वापस ले लें।

तीसरी योजना में रेलवे का पर्याप्त विकास हुआ है और वैगन और सवारी-डिब्बों के निर्माण में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली गई है और डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण आरम्भ हो चुका है।

रेलवे कर्मचारीवृन्द में और विशेषत: प्वांइटसमेन, केबिन मेन और ड्राइवरों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिये रेलवे प्रशासन विभिन्न उपाय कर रहा है। तिन्नवेल्लि जंक्शन लेवल क्रासिंग के निकट प्रस्तावित ऊपरि पुल के लिये मद्रास सरकार को केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिये। मद्रास राज्य में इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। वहां पर यातायात बहुत है और काफी भीड़भाड़ रहती है। इस लेवल क्रासिंग का द्वार एक दिन में 30 बार बन्द होता है और हर बार लगभग आधा घंटे तक बन्द रहता है जिससे लोगों को काफी कठिनाई होती है। इस बारे में रेलवे के राज्य मंत्री ने वहां का दौरा किया था और इस मामले में काफी रुचि दिखाई थी। मेरी प्रार्थना है कि इस योजना को 1966 के अन्त तक पूरा कर दिया जाय।

तिन्नेवेली-कन्याकुमारी लाइन के बारे में इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण कई मास पूर्व किया जा चुका है। लेकिन दो सर्वेक्षणों के प्रतिवेदन अभी तक रेलवे बोर्ड को नहीं दिय गय। प्रतिवदनों को शीघ्र दिलाने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये और इन लाइनों के बारे में 1966 में प्राक्कलन तैयार कर लिये जाने चाहियें। इस रेलवे लाइन को चौथी योजना में शामिल कर लेना चाहिये। इसको प्रक्रम के आधार पर पूरा किया जा सकता है। पहले यह लाइन कन्याकुमारी तक बनाई जा सकती है और फिर इसके नागरकोइल और त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाया जा सकता है। यह लाइन इसलिये भी महत्व-पूर्ण है क्यों कि इससे तिलेवेली और कन्याकुमारी इन दो जिलों की औद्योगिक क्षमता का विकास हो सकता है। इससे वहां पर खनिज पदार्थों का विदोहन हो सकेगा।

तिलवेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बहुत सुधार किये जाने की आवश्यकता है। तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय बहुत छोटा है। इसको बड़ा बनाया जाना चाहिये। वहां पर तीसरी श्रणी के यात्रियों के लिये एक स्नानागार का होना बहुत आवश्यक है। रेलवे के राज्य मंत्री ने 1965 में वहां पर स्नानागार बनाने का आश्वासन दिया था लेकिन वह अभी तक नहीं बनाया गया है। इस कार्य को शीघ्र किया जाना चाहिये और इसको 1966 में ही बना दिया जाना चाहिये।

तिरुनेलवेली जंक्शन स्टेशन पर प्लेटफार्म पूरी तरह ढसे हुए नहीं हैं। इसमें यात्रियों और रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई होती है। मैं रेलवे मंत्री से अपील करता हूं कि तीनों प्लेट-फार्मों को 1966 में ही पूरा ढकने के लिये कार्यवाही की जाय। इस पर अधिक लागत नहीं आयगी।

तुत्तुक्कुडि पत्तन एक बड़ा बन्दरगाह बन रहा है और इसके पीछे की भूमि में औद्योगीकरण हो रहा है और इस बात को भी देखते हुए कि तुत्तुक्कुडि पत्तन पर निर्यात और आयात-कार्य बढ़ रहा है, तिरु-चिरापल्लि से तुत्तुक्कुडि तक एक बड़ी लाइन बिछाने की बड़ी आवश्यकता है।

1965–66 में यात्रियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये 4 करोड़ रुपये रखे गये थे लेकिन इसमें से अधिकांश धनराशि यात्रियों के कल्याण पर खर्च नहीं की गयी है। यात्रियों से आय का कम से कम पांच प्रतिशत यात्री-सुविधाओं पर खर्च किया जाना चाहिये।

हमारा राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और हमारा ध्येय एक समाजवादी समाज की स्थापना करना है, इसलिये रेलवे मंत्री को तीसरी श्रेणी के यात्रियों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। तीसरी श्रेणी के यात्रियों को अभी भी बड़ी कठिनाईयां होती हैं। तीसरी श्रेणी के हर डिब्बे में बिजली के पंखे और वाश-बेसिन लगाये जांय। तीन-शायिका वाले शयन डिब्बों के स्थान पर दो शायिका वाले शयन डिब्बे लगाये जांये।

[श्री मुथिया]

रेलवे में भीड़भाड़ को समाप्त किया जाना चाहिये। सभी गाड़ियों को, विशेषत: दूर जाने वाली गाड़ियों को समय पर चलाने की ओर ध्यान दिया जाय। स्वचालित सिगनल लगाये जांय। दुर्घटनाएं रोकने के लिये बिना चौकीदार वाले लेवल-क्रासिंगों के दोनों ओर चेतावनी-बोर्ड लगाये जांय। सभी रेलगाड़ियों में भोजन-व्यवस्था में सुधार किया जाये।

अधिवक्ता अधिनियम की कार्यान्विति का पुनरीक्षण करने वाली समिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. COMMITTEE TO REVIEW WORKING OF ADVOCATES ACT

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : श्रीमन्, जैसा सभाको ज्ञात है सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कार्यान्विति के पुनर्विलोकन के लिये एक समिति नियुक्त करने का फैसला किया है। इस समिति के समापति के विधि मंत्री होंगे और इस समिति में महान्यायवादी तथा संसद् के 9 सदस्य होंगे। संसद् के जो सदस्य इस समिति में कार्य करने को सहमत हो गये हैं, उनके नाम ये हैं :—

श्री पी० एन० सप्रू, श्री दीवान चमन लाल और श्री देवव्रत मुकर्जी—ये सभी राज्य सभा के सदस्य हैं। लोकसभा के सदस्य हैं :— श्री हेमराज, श्री सें० वें० रामास्वामी, श्री नि० चं० चटर्जी, डा० लक्ष्मी-मल्ल सिंधवी, श्री फ्रैंक एन्थनी और डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी।

अनुदानों की मांगे (रेलवे), 1966-67 और अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1965-66—जारी

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAY), 1966-67 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAY), 1965-66—*contd.*

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों को पुन: रोजगार पर लगाने के सम्बन्ध में परिपत्र रेलवे मंत्रालय को मिला है या नहीं।

गृह-कार्य मंत्रालय के इस परिपत्र के बाद कि गोपनीय प्रतिवेदनों को किस प्रकार पेश किया जाय, रेलवे मंत्रालय ने भी ऐसा ही एक परिपत्र जारी किया है और इसको महा प्रबन्धक के स्तर तक गोपनीय रखा गया है। इस को प्रकाशित नहीं किया गया है और इससे कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि रात को काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रात्रि भत्ता मिलना चाहिये। रेलवे बोर्ड ने बड़े कशमकश के बाद यह माना कि रात 10 बजे से 6 बजे तक मानी जायगी। दूसरी बात यह है कि इसका हकदार कौन व्यक्ति है। तीसरे कर्मचारियों को निर्धारित रात्रि भत्ता की दर पर भत्ता नहीं दिया जाता है। रात में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, समान दर पर रात्रि भत्ता दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बाद जारी रखें।

भाषा के आधार पर पंजाब के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. REORGANISATION OF PUNJAB ON LINGUISTIC BASIS

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : संसद् सदस्यों की समिति ने, जिसके सभापति इस सभा के माननीय अध्यक्ष थे, अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसको 18 मार्च, 1966 को सभा पटल पर रख दिया गया था।

इस समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पंजाब के लोगों तथा समस्त देश के हितों को देखते हुए वर्तमान पंजाब का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाना चाहिये।

उसने निम्नलिखित सिफारिशें की है :

(क) पंजाबी प्रदेश को एक भाषायी पंजाबी राज्य बनाना चाहिये ;

(ख) पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को, जिनको हिन्दी प्रदेश में शामिल किया गया था और जिनकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश से मिलती हैं और जिनकी भाषा तथा संस्कृति हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ मिलती है, हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाना चाहिये ; और

(ग) शेष क्षेत्रों का हरयाना प्रान्त नामक पृथक राज्य के रूप में गठन करना चाहिये।

सरकार ने इन सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। उसने यह बात सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली है कि वर्तमान पंजाब राज्य का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाये।

समिति ने आगे सिफारिश की है कि यदि सीमा के बारे में कोई समायोजन करना पड़े तो आवश्यक समायोजनों का सुझाव देने के लिये एक विशषज्ञ समिति नियुक्त की जायेगी। सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह मान लिया है कि सीमाओं का निर्धारण विशषज्ञ समिति की सहायता से किया जायेगा। सरकार का विचार पंजाब राज्य के पुनर्गठन के निर्णय को पूर्व कंडिकाओं में उल्लिखित आधार पर कार्यान्वित करने का है।

सरकार ने इन निर्णयों की घोषणा करने से पहले सम्बन्धित विभिन्न लोगों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर विचार किया है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने प्रस्तावित आधार पर पंजाब के पुनर्गठन का विरोध किया था। सरकार ने विचार विमर्श के दौरान पुनर्गठन के सम्बन्ध में ये बातें स्पष्ट कीं :—

(एक) पंजाब का पुनर्गठन भाषायी आधार पर किया जायेगा और इसमें साम्प्रदायिक तथा धार्मिक तत्वों को कोई महत्व नहीं दिया जायेगा ;

(दो) प्रस्तावित पुनर्गठन के परिणामस्वरूप जो राज्य बनेंगे उनमें सम्बन्धित हितों के परामर्श से सम्पर्क स्थापित किया जायेगा ;

(तीन) इन राज्यों में अल्प संख्यकों के हितों की पूरी तरह रक्षा की जायेगी।

सरकार को आशा और विश्वास है कि पंजाब के सभी नेता और लोग शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने तथा पंजाब के पुनर्गठन के निर्णय को शीघ्र क्रियान्वित करने में सरकार को पूरा सहयोग देंगे।

हाल के उपद्रवों में मारे गये लोगों के परिवारों के प्रति मैं सभा की ओर से सहानुभूति प्रकट करता हूं।

श्री यज्ञदत्त शर्मा द्वारा अनशन समाप्त किये जाने का सरकार स्वागत करती है।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 372 पढ़िये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : वक्तव्य के बारे में हम कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दो-तीन सदस्यों को अनुमति दे सकता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : महोदय, यदि आप अनुमति देंगे तो उन सभी सदस्यों को अनुमति देनी पड़गी जो स्पष्टीकरण चाहते हैं। कुछ सदस्यों को अनुमति देने तथा अन्य को अनुमति न देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

Shri Madhu Limaye : According to the convention you call all the leaders of the opposition.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह सदैव अध्यक्षपीठ के स्वविवेक पर निर्भर करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 372 इस प्रकार है :--

"लोक-महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जाय कोई प्रश्न नहीं पूछा जायगा।"

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : इसका कई बार उल्लंघन किया गया है।

श्री नन्दा : महोदय, मैं नियम का केवल तकनीकी प्रकार का संरक्षण नहीं मांग रहा हूं। मैं इस लिये भी संरक्षण मांग रहा हूं क्योंकि मंत्रिमंडल ने इस पर अभी विचार किया है और जल्दी जल्दी कुछ निर्णय किये हैं। अतः मैं कुछ अन्य बातों का, जिन पर अभी विस्तारपूर्वक विचार किया जाना है, उत्तर नहीं दे सकूंगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर वक्तव्य दिया है। सरकार ने सिद्धान्त रूप में पंजाब के विभाजन सम्बन्धी सिफारिश मान ली है। किन्तु मंत्री महोदय अन्य दो सिफारिशों के बारे में मौन हैं। एक हरियाना प्रान्त और दूसरी हिमाचल प्रदेश में मिलाय जाने वाले पहाड़ी क्षत्रों के बारे में है। समिति ने इनकी सिफारिश की है। मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में प्रकाश नहीं डाला है। क्या विशेषज्ञ समिति से आम चुनावों से काफी पहले प्रतिवेदन देने के लिये कहा जायगा तथा तीनों राज्यों में आम चुनाव हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा से मेरा अनुरोध है कि प्रश्न न पूछे जायें। यदि मैं एक को अनुमति दे दूं, तो सभी स्पष्टीकरण चाहेंगे। इसलिये अब मैं कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य अन्य किसी अवसर पर इस बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री प्रियगुप्त अपना भाषण जारी रखे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : माननीय सदस्य का प्रश्न सभा की कार्यवाही के वृत्तान्त में है। इसे सारा देश पढ़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी।

श्री हमे बरुआ : इस नियम का कई बार उल्लंघन किया गया है। इस समय भी श्री द्विवेदी को प्रश्न पूछने की अनुमति दे कर उल्लंघन किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम स्पष्ट है। अब मैं प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : पिछले सप्ताह रोडेशिया के बारे में सरदार स्वर्णसिंह द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रश्न पूछे गये थ .....

उपाध्यक्ष महोदय : तब एसा हुआ होगा। मैं प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

Shri Madhu Limaye : We will leave the House if you do not permit us to ask questions.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : There is a convention to allow to ask for clarification on such statements (intruptions)

(इसके बाद श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी तथा अन्य कुछ सदस्य सदन छोड़ कर चले गये।)

(Shri Surendranath Dwivedy and some other Members then left the House.)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यदि वे बाहर जाना चाहे तो जायें, मैं प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता हूं।

इन सब बातों को सभा की कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा..... **(अन्तर्बाधा)***

श्री प्रिय गुप्त अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्रिय गुप्त : आपने मुझ कल को भाषण जारी रखने को कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह कभी नहीं कहा था। मैंने मंत्री महोदय के बाद आपको भाषण जारी रखने को कहा था।

श्री प्रिय गुप्त : आपने हमारे नेताओं का अपमान किया है, इसलिय मैं अपना भाषण जारी नहीं रखूंगा।

(इसके बाद श्री प्रिय गुप्त सदन छोड़ कर चले गये।)

(Shri Priya Gupta then left the House.)

Shri Sheo Narain (Bansi) : I rise on a point of order. Whatever Shri S. N. Dwivedy has said now should not be recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैंने कहा है, वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1966-67 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1965-66—(जारी)

DEMANDS FOR GRANDS (RAILWAYS), 1966-67 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS) 1965-66—*Contd.*

श्री मणियगाडन (कोट्टयम) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में नई रेलवे लाइनों का उल्लेख किया है। उनके भाषण से ऐसा लगता है कि नई रेलवे लाइने मुख्य रूप से औद्योगिक खनिज, तथा बड़े-बड़े पत्तनों के विकास क्षेत्रों में अथवा प्रतिरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनाई

---

* उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by Deputy Speaker.

[श्री मणीयांगाडन]

जायगी। मेरा इस से कोई विरोध नहीं है। किन्तु मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। नई रेलवे लाइनों का निर्माण वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इससे अन्य क्षेत्र पिछड़े ही रह जायेंगे। औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में भी नई रेलवे लाइनें बिछाई जानी चाहिएं ताकि उन क्षेत्रों का विकास हो सके।

परिवहन की सुविधाओं की कमी के कारण केरल में औद्योगिक विकास नहीं हो सका है। केरल राज्य में कई वर्षों से केवल 888 किलो मीटर रेलवे लाइन है। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल में कोई नई रेलवे लाइन नहीं बनाई गई। यही कारण है कि केरल औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा रह गया है।

केरल सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उसमें केरल राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में कई सुझाव दिये गये हैं। सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि एर्नाकुलम-त्रिवेंद्रम छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाये। इससे त्रिवेंद्रम जाने वाले यात्रियों को एर्नाकुलम में गाड़ी बदलने की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस रेलवे लाइन के निर्माण के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि इसे आसानी से बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा सके। इस कार्य में अधिक खर्च नहीं होगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये जिन नई रेलवे लाइनों के निर्माण को शामिल करने का अनुरोध किया है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन में कोट्टयम से पीरयादा होकर वोदिनायकन्नूर लाइन भी है। यह पत्तन के विकास के लिये लाभदायक होगी। इस लाइन के आस पास के क्षेत्रों में चाय, रबड़, नारियल तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों की खेती की जाती है। इस लाइन के बन जाने से वहां के किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। अतः इसका निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए।

कोचीन और कोयम्बटूर के बीच रेलवे लाइन को दोहरा किया जाना चाहिए।

दिल्ली से कोचीन और दिल्ली से मंगलौर जाने वाली गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के शयन डिब्बों की व्यवस्था नहीं है। इससे इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले लोगों को दो-तीन रात तक जागते रहना पड़ता है। अतः मेरा अनुरोध है कि इन गाड़ियों में यात्रियों की सुविधा के लियें शयन डिब्बों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

नई समय सारिणी के अनुसार इस समय साउदर्न एक्सप्रेस गाड़ी 10 बज कर 20 मिनट पर मद्रास पहुंचती है और वहां से अगली गाड़ी 15 बज कर 45 मिनट पर छूटती है। इससे वहां पर यात्रियों को काफी समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वहां पर गार्ड की व्यवस्था भी नहीं है। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करने केलिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। इसी प्रकार कोचीन में गाडी साढ़े आठ बजे पहुंचती है और वहां से त्रिवेंत्रम के लिये गाड़ी 11 बजकर 35 मिनट पर छूटती है। मंत्री महोदय को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

कोट्टयम रेलवे स्टेशन के निकट स्थित रेलवे फाटक पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है। प्रायः यह फाटक आधा दिन बन्द रहता है। जिससे लोगों को बहुत असुविधा होती है। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिये एक उपरि पुल बनाया जाना चाहिए।

हाल में सरकार ने रेलवे में डाक्टरों का दर्जा बढ़ा कर श्रेणी दो कर दिया है। किन्तु कई वर्षों से रेलवे में काम कर रहे लाइसेंस प्राप्त डाक्टरों को यह दर्जा नहीं दिया गया है। अतः मेरा अनुरोध है इन डाक्टरों को एम० बी० बी० एस डाक्टरों के बराबर समझा जाना चाहिए।

श्री अ० श० अल्वा (मंगलौर) : मंगलौर पत्तन एक बड़ा पत्तन है। वहां पर विदेशों से आयात किया गया खाद्यान्न उतारा जाता है। यह सराहनीय बात है कि सरकार मंगलौर तक जाने वाली हसन-मंगलौर रेलवे लाइन का विकास कर रही है और बंगलौर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण कर रही है। किन्तु ऐसा लगता है कि इस कार्य के लिये नियत की गई धन राशि पर्याप्त नहीं है। यह कार्य तेजी से किया जाना चाहिए और धन की कमी के कारण कार्य में बाधा नहीं पड़नी चाहिए।

मंगलौर को दक्षिण से मिलाने वाली लाइन बड़ी लाइन है किन्तु हसन में छोटी लाइन की व्यवस्था है। मैसूर सरकार और जनता की मांग है कि पूना से बंगलौर तक बड़ी रेलवे लाइन होनी चाहिए। पूना से मिरज तक बड़ी लाइन है। मिरज और हुबली के बीच बड़ी रेलवे लाइन होनी चाहिए। सरकार को इस कार्य का सर्वेक्षण करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। हम काफी समय से मांग कर रहे हैं कि चामराजनगर-सत्यमंगलम् तथा कोट्टूर–हरिहर रेलवे लाइनों का निर्माण किया जाय। इन से पश्चिमी तट को लौह अयस्क की ढलाई होगी। मुझे आशा है रेलवे मंत्रालय इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगा। हमें बताया गया है कि सरकार बंगलौर रेलवे स्टेशन के बारे में पुनर्विचार कर रही है। यह राज्य का महत्वपूर्ण स्टेशन है। मंत्रालय को इस सम्बन्ध में अपनी मूल योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए।

दिल्ली और पश्चिमी घाट के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में सीधे जाने वाले तीसरी श्रेणी के शयन डिब्बों की व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण यात्रियों को तीन रात तक जागते रहना पड़ता है। अतः मेरा अनुरोध है कि इन गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के शयन डिब्बों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

तिप्तूर एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक स्थान है। उस स्टेशन से काली मिर्च तथा अन्य वस्तुएं भेजी जाती हैं। वहां पर उपरि पुल न होने के कारण बहुत कठिनाई होती है। वहां पर कई महत्वपूर्ण रेल-गाड़ियां नहीं रुकती हैं। वहां एक उपरि पुल की तथा गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अब मैं स्टेशनों पर विश्राम कक्षों के आरक्षण के बारे में कुछ कहूंगा। आम तौर पर यह देखा गया है कि स्टेशनों पर लगे आरक्षण पटों पर विश्राम कक्ष खाली दिखाये जाते हैं किन्तु जब कोई व्यक्ति उन्हें आरक्षित करने के लिय कहता है तो उसे यह कह कर टाल दिया जाता है कि कक्ष पहले से आरक्षित है। सरकार को इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिए और वास्तविक यात्रियों को आराम कक्षों में स्थान मिलना चाहिए।

अब मैं बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। मुझे बताया गया है कि प्रायः कम दूरी वाले स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं। यह बात रेलवे कर्मचारी अच्छी तरह जानते हैं और ये कर्मचारी उनसे थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं। मंत्रालय को इस सम्बन्ध में अच्छी तरह जांच करनी चाहिए और यह कुप्रथा शीघ्र समाप्त करनी चाहिए।

प्रायः यह देखने में आया है कि रेलवे का भोजन व्यवस्था विभाग घाटे में चलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस विभाग के कर्मचारी यात्रियों को दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों का पूरा मूल्य हिसाब में नहीं दिखाते हैं। ये लोग इस प्रकार अपनी जेब गरम रखते हैं। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Mr. Deputy Speaker, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बज रही है। सभा में गणपूर्ति नहीं है। सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 22 मार्च, 1966 / 1 चैत्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 22, 1966/ *Chaitra* 1, 1888 (*Saka*)

———

5240

भा.स.मु.ना—वि. 2—40 लोक सभा/66—14-7-67—600